[2020] 6 एस. सी. आर. 28

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस।

वी.

एपी और ओआरएस का राज्य।

(2002 की सिविल अपील सं. 3609)

22 अप्रैल, 2020

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, वाइन सरन,

एम. आर. शाह और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 14 , 15 , 16 (1) , 16 (4) , 244 और 371 डी; अनुसूची 5-ए. पी. शिक्षा अधिनियम, 1982-ए. पी. का पैरा 5 (1)। सी.लोक सेवा अधिनियम में आरक्षण और नियुक्ति का विनियमन,1997 – G.O.Ms। सं. 3/2000 पूर्ववर्ती राज्य द्वारा जारी किया गया आंध्र प्रदेश ने अनुसूचित जनजाति को 100% आरक्षण प्रदान किया निर्धारित समय में विद्यालयों में शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवारआंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्र-मान्यता: G.O.Ms। D. 3/2000 संविधान के तहत 100% आरक्षण की अनुमति नहीं है, बाहरी सीमा 50 प्रतिशत है जैसा कि इंद्र साहनी में निर्दिष्ट किया गया है।मामला-अनुसूचित जनजाति को 100% आरक्षण प्रदान करके अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को भी वंचित किया उनका उचित प्रतिनिधित्व-आरक्षण की अवधारणा नहीं है आनुपातिक लेकिन पर्याप्त-इस प्रकार कार्रवाई अनुचित है और ई. कला के प्रावधानों का उल्लंघन। 14 , 15 और संविधान के 16 भारत-नतीजतन, G.O.Ms.No। 3/2000 रद्द कर दिया गया है। भारत का संविधान-अनुसूची V का पैरा 5 (1) -आयोजित किया गया: के पैरा 5 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपालसंविधान की अनुसूची V, संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है एफ. संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम -अनुसूची V का पैरा 5 (1) राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है -राज्यपाल को अपवादों के साथ इसे लागू करने का अधिकार देता है और संशोधन जैसा कि वह उचित समझता है-हालाँकि, कोई नया कानून नहीं हो सकता है अनुसूची V के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया जी.- संशोधन की शक्ति पूरे को फिर से लिखने तक नहीं बढ़ सकती है। कानून।

भारत का संविधान-अनुसूची V का पैरा 5 (1) और अनुच्छेद। 309 - ए. पी. राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 आर. 22 , 22 ए -G.O.Ms। नं. 3/2000 पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी किया गया एच. अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान किया गया-G.O.Ms। सं. 3/2000, अन्य बातों के साथ-साथ, नियम, 1996 को संदर्भित करता है और उक्त नियम कला के प्रावधान के तहत बनाए गए हैं। 309 संविधान का-यू/Art.309 द्वारा बनाए गए नियम 22 और 22 ए में संशोधन किया गया: संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति संसद या राज्य के विधानमंडल के अधिनियमों को संशोधित

करने या लागू नहीं करने तक सीमित है-इस प्रकार, पैरा 5 (1) अनुसूची V के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता था-अनुच्छेद के परन्तुक के तहत बनाए गए नियम। 309 संविधान के प्रावधान को राज्य विधानमंडल द्वारा एक अधिनियम नहीं कहा जा सकता है-इस प्रकार, राज्यपाल के लिए विवादित G.O.Ms जारी करने का अधिकार नहीं था। नं. 3/2000।

भारत का संविधान-अनुसूची V का पैरा 5 (1)-राज्यपाल की शक्ति अधीनस्थ विधान तक फैली हुई है या नहीं-आयोजित: संविधान की पैरा 5 (1), पाँचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की शक्ति अधीनस्थ विधान तक नहीं फैली है, यह एक के संबंध में है राज्य की संसद या विधानमंडल द्वारा संप्रभु कार्य में अधिनियमित अधिनियम जिससे निपटा जा सकता है।

भारत का संविधान-अनुसूची V का पैरा 5 (1)-पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है। भाग-III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार: राज्यपाल की शक्ति संविधान के भाग-3 के तहत मौलिक अधिकारों का स्थान नहीं लेती है-जब पांचवीं अनुसूची का पैरा 5 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका उद्देश्य मनमानी शक्ति प्रदान करना नहीं है-शक्ति अपमान में नहीं है, बल्कि संवैधानिक उद्देश्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।

भारत का संविधान-अनुसूची V का पैरा 5 (1)-गैर-अबाधित खंड का प्रभाव-आयोजित: पाँचवीं अनुसूची का प्रावधान "इसमें कुछ भी होने के बावजूद" शब्दों से शुरू होता है।संविधान "को संशोधन शक्ति की सीमा से बाहर के प्रावधान को छीनने के रूप में नहीं लिया जा सकता है और इसे संविधान के मौलिक सिद्धांतों और बुनियादी विशेषताओं के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

भारत का संविधान-अनुसूची V का पैरा 5 (1)-क्या राष्ट्रपति के आदेश और G.O.Ms के बीच कोई टकराव है।राज्यपाल के आदेश के तहत पैरा [2020] 6 एस. सी. आर. के तहत जारी किया गया। 5 (1) अनुसूची वी-आयोजित: राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया स्थानीय संवर्ग के लिए जिला/क्षेत्र प्रदान करते हुए, दूसरी ओर, राज्यपाल द्वारा जारी आदेश में शिक्षकों के सभी पदों को आरक्षित किया गया है अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित क्षेत्र इच्छुक उम्मीदवार अनुसूचित क्षेत्र में जिले/क्षेत्र के उम्मीदवार जिले में शिक्षकों के पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 100% आरक्षण G.O.Ms के माध्यम से किया गया था। नहीं. राज्यपाल द्वारा और यह भी विवादित नहीं है कि इच्छुक उम्मीदवार जिले के बाहर आवेदन नहीं कर सकते हैं /यू/आर्ट प्रतिबंधों के कारण क्षेत्र। 371 संविधान का डी -इस प्रकार, जारी की गई अधिसूचना के बीच एक स्पष्ट असहमति है राष्ट्रपति द्वारा और अनुसूची V के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश-सामंजस्य स्थापित करना संभव नहीं है।दोनों अधिसूचनाएँ-राज्यपाल आदेश जारी करने में सक्षम है।जो राष्ट्रपति के आदेश के विपरीत नहीं है-राज्यपाल राष्ट्रपति के अपमान में आदेश जारी नहीं कर सकते थे आदेश-तत्काल मामले में, 100% आरक्षण नहीं हो सकता था बशर्ते कि यह राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करता हो।

भारत का संविधान-कला। 16 (1) और 16 (4)-क्याअधिसूचना जी. ओ. एम. सं. 3/2000 में यू/आर्ट का वर्गीकरण शामिल है। 16 (1)और यू/आर्ट आरक्षण प्रदान नहीं करता है। 16 (4) संविधान का-आयोजित किया गया: G.O.Ms नहीं. 3/2000 प्रदान किया गया 100% आरक्षण-इसे वर्गीकरण का मामला नहीं कहा जा सकता है जिसे यू/आर्ट बनाया गया है। 16 (1) – विभिन्न श्रेणियों के

सत्ताधारियों को हिस्सेदारी का अधिकार हैउस रोजगार के लिए दावा जिससे वे वंचित रहे हैं-इस प्रकार, यह वर्गीकरण का विषय नहीं है-आरक्षण यू/आर्ट।16 (4) बनाया गया था-100% आरक्षण प्रदान करने वाला आदेश मनमाना है,अवैध, अस्वीकार्य और असंवैधानिक।

भारत का संविधान-G.O.Ms संख्या. 3/2000 आवश्यक उम्मीदवारया माता-पिता लगातार क्षेत्र में रहने के लिए डब्ल्यू. ई. एफ. 26.01.1950 आज तक-स्वामित्व-आयोजित: पिछले 50 वर्षों या उससे अधिक समय से निरंतर निवास की आवश्यकता का कोई तुक या कारण नहीं है-यह इस बात को नजरअंदाज करता है कि विभिन्न अन्य व्यक्तियों के अधिकार जो दशकों से बसे हुए हैं विचाराधीन क्षेत्र में एक साथ-यह भेदभावपूर्ण है अनुसूचित जनजातियाँ भी इस क्षेत्र में बस गईं-पात्रता की शर्तें अधिसूचना में कट-ऑफ तिथि यानी 26.01.1950 के साथ, लाभ प्राप्त करने के लिए आरक्षण अनुचित और मनमाना है। चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय

नेपकड़ना: भारत के संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 (1) का दायरा क्या है? ; और क्या प्रावधान सशक्त बनाता हैराज्यपाल नया कानून बनाएँगे?

1. संविधान की अनुसूची 5 का पैरा 5 (1) शक्ति प्रदान करता है।राज्यपाल पर किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने वाली विधि को अपवर्जित करने का अधिकार है। यह राज्यपाल को अपवादों और संशोधनों के साथ इसे लागू करने का भी अधिकार देता है जैसा वह उचित समझता है। हालांकि, किसी क्षेत्र को लागू करने, संशोधन से बाहर करने और कानून में अपवाद बनाने की शक्ति, जो उस क्षेत्र में लागू थी, को विनियमन बनाने की शक्ति के बराबर नहीं कहा जा सकता है।उक्त नियमों के पैरा 5 (2) के तहत प्रदान किया गया। [पैरा 48] [71-एफ-जी]

2. अपवाद और संशोधन कानून द्वारा बनाए गए हैं, जो पहले से ही इस क्षेत्र में लागू है। यह रचना नहीं है एक नया कानून जिस पर अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) के तहत विचार किया गया है। अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई नया कानून नहीं बनाया जा सकता है। संशोधन की शक्ति पूरे क़ानून को फिर से लिखने तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। शक्ति का उपयोग कानून को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो लागू होता है। कानून को केवल अपवादों या संशोधनों के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह पूरी तरह से मौजूदा कानून का स्थान नहीं ले सकता है, जो पूरी तरह से लागू कानून के विचार का विरोध करता है क्योंकि उस मामले में यह नए कानून के समान होगा न कि संशोधन या अपवाद या अपवादों का निर्माण या लागू कानून में संशोधन। लागू कानून के उद्देश्य और सार को पैरा 5 (1) के दायरे में नहीं बदला जा सकता है, हालांकि लागू कानून की प्रयोज्यता को बाहर रखा जा सकता है। यदि राज्यपाल कानून को लागू रखने का निर्णय लेता है, तो उसके पास केवल अपवाद बनाने और उसे संशोधित करने की शक्ति है, न कि उसी लागू कानून के साथ एक नया बनाने की।[पैरा 49] [72-ए-सी]

3. इस प्रकार, राज्यपाल संविधान की पांचवीं अनुसूची, पैरा 5 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम से संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों या उसके किसी भी हिस्से पर लागू नहीं होगा। राज्यपाल हैं।अनुसूचित क्षेत्र या किसी भाग [2020] 6 एस. सी. आर. पर इस तरह के

कानून को लागू करने के लिए सशक्त। राज्य में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकता है और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक अधिसूचना भी जारी कर सकता है। [पैरा 154] [160-जी-एच]

या राज्य विधानमंडल। नए कानून/विनियम बनाने की शक्ति, संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (2) में उसमें उल्लिखित उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है, न कि पांचवें के पैरा 5 (1) के तहत।भारत के संविधान की अनुसूची। [पैरा 154] [161-ए-बी]

क्या भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति अधीनस्थ विधान तक फैली हुई है?

5. वास्तव में, अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए ए. पी. राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के नियम 22 और 22 ए में कहा गया है: संशोधन किया गया था, जिसे नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह संसद या राज्य के विधानमंडल का अधिनियम नहीं है। इस प्रकार, राज्यपाल बनाए गए नियम से संबंधित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थेसंविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत। [पैरा 54] [73 ई-एफ]

6. संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को संसद या राज्य का अधिनियम नहीं कहा जा सकता हैविधायिका। हालांकि नियमों में वैधानिक बल है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के तहत बनाया गया था। ये नियम तब तक लागू रहते हैं जब तक कि विधायिका शक्ति का प्रयोग नहीं करती। के पैरा 5 (1) के अधीन राज्यपाल की शक्तिसंविधान की अनुसूची V संशोधन करने या न करने तक ही सीमित है। राज्य की संसद या विधानमंडल के अधिनियमों को लागू करना। इस प्रकार, नियमों के अभ्यास में संशोधन नहीं किया जा सकता था अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियाँ। बनाए गए नियमसंविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नहीं कहा जा सकता है राज्य विधानमंडल द्वारा एक अधिनियम होना। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, यह राज्यपाल के लिए जारी करने के लिए खुला नहीं थाआक्षेपित जी. ओ. सं. 3/2000।[पैरा 57] [75-बी-सी]

7. संविधान की पैरा 5 (1), पाँचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की शक्ति अधीनस्थों तक नहीं फैली हुई है। विधान, यह राज्य की संसद या विधानमंडल द्वारा संप्रभु कार्य में अधिनियमित एक अधिनियम के संबंध में है जिससे निपटा जा सकता है। [पैरा 154] [161-सी]

क्या पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग भाग के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर हावी हो सकता है?III?

8. राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों से निपटने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य संविधान पर हावी होना नहीं है।राज्यपाल की शक्ति संसद और राज्य की विधायी शक्ति के साथ समान है। विधायी शक्ति हो सकती हैभाग III और संविधान के अन्य प्रावधान। जब पाँचवीं अनुसूची का पैरा 5 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका उद्देश्य मनमानी शक्ति प्रदान करना नहीं है। संविधान का उद्देश्य कभी भी संविधान को कोई मनमानी शक्ति प्रदान करना नहीं हो सकता है।अधिकारीगण। इनका प्रयोग

संविधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत तरीके से किया जाना चाहिए। शक्तियाँ अवमूल्यन में नहीं हैं, बल्कि संवैधानिक उद्देश्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में हैं। [पैरा 78] [90-ई-जी]

9. इस प्रकार, संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, जो कानून बनाते समय संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पालन किया जाना चाहिए और मौलिक अधिकारों को ओवरराइड नहीं किया जा सकता हैसंविधान के भाग III के तहत गारंटी। [पैरा 154] [161-डी]

क्या संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत शक्ति का प्रयोग किसी भी समानांतर शक्ति के प्रयोग को ओवरराइड करता है अनुच्छेद 371 डी के तहत राष्ट्रपति?

10. विचार करने योग्य मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति के आदेश और जी. ओ. सुश्री के बीच कोई टकराव है।संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल के आदेश के तहत जारी 2000 का सं. 3।सार्वजनिक रोजगार में भौगोलिक असमानता, अनुच्छेद 371 डी को संविधान में जोड़ा गया था, जो कुछ जिलों/क्षेत्रों के उम्मीदवारों को राज्यों के विभिन्न हिस्सों के लिए विभिन्न पदों के लिए स्थानीय संवर्ग बनाने के लिए प्रदान करता है। राष्ट्रपति का आदेश स्थानीय संवर्ग के लिए जिला/क्षेत्र प्रदान करने के लिए जारी किया गया था, दूसरी ओर राज्यपाल द्वारा जारी आदेश में शिक्षकों के सभी पदों को आरक्षित किया गया है।

अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में जिले/क्षेत्र के इच्छुक उम्मीदवार जिले में शिक्षकों के पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 100 प्रतिशत आरक्षण G.O.Ms के माध्यम से किया गया था। राज्यपाल द्वारा 2000 का सं. 3। यह भी विवादित नहीं है कि इच्छुक उम्मीदवार संविधान के अनुच्छेद 371 डी के तहत प्रतिबंधों के कारण जिले/क्षेत्र के बाहर आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, अनुसूचित जाति, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के अन्य उम्मीदवारों के लिए

श्रेणी अन्य जिलों में बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकती है। उन्हें विचाराधीन पदों के विपरीत रोजगार प्राप्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। अतः राज्यपाल द्वारा जारी आदेश है -

स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के साथ टकराव में है। अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर स्थानीय क्षेत्रों के उम्मीदवार या अन्य उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति द्वारा जारी आदेश के कारण सार्वजनिक रोजगार पाने के अवसर से वंचित रहे हैं।

12. इस प्रकार, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है।अनुच्छेद 371 डी के तहत शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को ओवरराइड करें। शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी किए गए इस तरह के आदेश के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए, न कि इसके टकराव में।

[पैरा 154] [161-ई] चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस बनाम। एपी और ओआरएस का राज्य।

क्या संविधान के तहत 100% आरक्षण की अनुमति है?

13. अनुसूचित जनजातियों को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े लोगों को वंचित कर दिया है

1950. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त आरक्षण का कुल प्रतिशत 6 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने से उन आदिवासियों के अधिकार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, जो अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी नहीं हैं। अनुच्छेद 371-डी के तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, वे अन्य क्षेत्रों में अपना दावा नहीं कर सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में 100% आरक्षण करके अन्य क्षेत्रों में पदों को कम किया जाना है। [पैरा 127] [141-ई-जी]14. एक आरक्षण जो सुरक्षात्मक तरीके से अनुमत है, इसे 100 प्रतिशत बनाने से भेदभावपूर्ण और भेदभावपूर्ण हो जाएगा।

15. इस न्यायालय ने पाया कि जी. ओ. सुश्री संख्या 3/2000 पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसे कानूनी रूप से अनुमेय नहीं कहा जा सकता है और संवैधानिक रूप से वैध। यह कहा जा सकता है कि कार्रवाई न केवल तर्कहीन है, बल्कि यह अधिनियम के भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करती है।

संविधान और टिकाऊ नहीं है। [पैरा 135] [143-एफ]

16. इस प्रकार, G.O.Ms। सं. 3/2000 संविधान के तहत 100 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति नहीं है।

सीमा 50 प्रतिशत है जैसा कि इंदर साहनी में निर्दिष्ट है। [पैरा 154] [161 ई-एफ] [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या अधिसूचना केवल एक पर विचार करती है

अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण और अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण नहीं?

17. 100 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यह.

इसे अनुच्छेद 16 (1) के तहत किए गए वर्गीकरण का मामला नहीं कहा जा सकता है। यह मानते हुए कि तर्क के लिए, यह अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण का मामला है, यह बिना किसी तर्क के भेदभावपूर्ण

और पूरी तरह से मनमाना और संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करने वाला होता। [पैरा 140] [154-सी]

18. विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को अधिकार है -

अनुच्छेद 16 (4) के तहत बनाया गया था। 100% आरक्षण के माध्यम से, दूसरों को रोजगार अवैध रूप से वंचित किया गया था और उनके पास कोई नहीं हैअनुच्छेद 371 डी के तहत आदेश के कारण कहीं और शिक्षकों के पद के विपरीत रोजगार की संभावना जिसमें जिला/क्षेत्र एक इकाई है। यह स्पष्ट रूप से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ का मामला है। [पैरा 141] [154-डी]

19. अतः, विचाराधीन अधिसूचना को इस रूप में नहीं माना जा सकता है

अनुच्छेद 16 (1) के तहत किया गया वर्गीकरण। एक बार अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किए जाने के बाद, अनुच्छेद 16 (1) के तहत ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना यह है कियह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (4) का उल्लंघन है। [पैरा 154] [161-एफ]

क्या पात्रता की शर्तें जो मूल हैं और

अधिसूचना में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए कट-ऑफ तिथि उचित है:

20. विचाराधीन जी. ओ. के लिए उम्मीदवार या माता-पिता की आवश्यकता होती है

अब तक लगातार डब्ल्यू. ई. एफ. 26.1.1950 वाले क्षेत्र में रहना। पिछले 50 वर्षों के लिए निरंतर निवास की आवश्यकता का कोई तुक या कारण नहीं है।वर्षों या उससे अधिक। यह विभिन्न अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की अनदेखी करता है जो शायद इस क्षेत्र में दशकों से एक साथ बसे हुए हैं। यह क्षेत्र में बसे अनुसूचित जनजातियों के लिए भी भेदभावपूर्ण है और इसे प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं है और प्रतिबंध लगाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश में भी नहीं दिया गया था।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस का सम्मान करें। वी. एपी और ओआरएस का राज्य।

आवासीय या शैक्षिक आवश्यकताएँ। इस प्रकार, इसकी अपनी वैध शर्तें नहीं हैं। इसे अत्यधिक अनुचित और मनमाने तरीके से तय किया जाता है और विचार के क्षेत्र को यहां सार्वजनिक रोजगार के अवसर को कम करने के लिए सीमित किया जाता है।

सभी उचित अधिकारों से संबंधित हैं। शर्तें

अधिसूचना में कट-ऑफ तिथि, यानी 26.1.1950, आरक्षण के लाभों के बारे में जानकारी देना अनुचित और मध्यस्थता है।

ई. [पैरा 147 और 154] [157-डी-ई; 166-जी]

इंद्र साहनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। , (1992)

पूरक। 3 एससीसी 217: [1992] 2 पूरक। एससीआर 454 -

पीछा किया।

भारत के राष्ट्रपति और अन्य। ए. आई. आर. 1961 एससी 1519: [1962] 1 एससीआर 688; बॉम्बे डाइंग एंड एमएफजी। कं. लिमिटेड (3) v. बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप एंड ओआरएस। , (2006) 3 एससीसी 434: [2006] 2 एससीआर 920; एस. के. गुप्ता और अन्र. वी. के. पी. जैन और अन्र. , (1979) 3 एससीसी 54: [1979] 2 एससीआर 1184; एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य। , (2001) 7 एससीसी 126: [2001] 1 पूरक। एस. सी. आर 621; कर्नल ए. एस. अय्यर और अन्य। वी. वी. बालासुब्रमण्यम, (1980) 1 एससीसी 634: [1980] 1 एस. सी. आर. 1036; अजय हसिया और अन्य। वी. खालिद मुजीब सहरावर्दी और अन्य। , (1981) 1 एससीसी 722: [1981] 2 एससीआर 79; ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्र। , (1974) 4 एससीसी 3: [1974] 2 एस. सी. आर. 348; मेनका गांधी वी. भारत संघ और ए. एन. आर. , (1978) 1 एससीसी 248: [1978] 2 एससीआर 621; आर. सी. पौडयाल बनाम भारत संघ और अन्य। , (1994) पूरक। 1 एससीसी 324: [1993] 1 एस. सी. आर. 891; सिक्किम राज्य बनाम। सुरेंद्र प्रसाद शर्मा और अन्य। , (1994) 5 एससीसी 282: [1994] 5 एस. सी. आर. 563; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। और एनर. वी. भारतीय रिजर्व बैंक, (1992) 2 एस. सी. सी. 343: [1992] 1 एस. सी. आर. 406; वी. जगन्नाथ राव और अन्य। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य। , (2001) 10 एस. सी. सी. 401 [2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 17; एस. प्रकाश राव और [2020] 6 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. आर. वी. वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य। , (1990) 2 एससीसी 259: [1990] 1 एससीआर 561; एम. आर. बालाजी और अन्य। वी. मैसूर राज्य और अन्य। , [1963] पूरक 1 एस. सी. आर. 439; एम. नागराज और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2006) 8 एससीसी 212: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 336-निर्भर

पर।

जतिंद्र बनाम। बिहार प्रांत, (1949) एफ. एल. जे. 225; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम। नया गुलाबी शहर निर्माण

सहकारी समिति लिमिटेड और अन्र। , (2015) 7 एससीसी 601: [2015] 5 एससीआर 365; बी. एस. यादव और अन्य। वी. हरियाणा राज्य

& ओआरएस। , ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 561 [1981] 1 एस. सी. आर. 1024; केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य, (1973) 4 एस. सी. सी. 225 [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; वामन राव और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (1981) 2 एससीसी 362: [1981] 2 एससीआर 1; एल. आर. द्वारा आई. आर. कोएल्हो (मृत)। वी. टी. एन. राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1: [2007] 1 एससीआर 706; नीलिमा मिश्रा बनाम। हरिंदर कौर पेंटल और अन्य। , (1990) 2 एससीसी 746:

[1990] 2 एस. सी. आर. 84; श्रीमती परायणकंडियाल एरावथ

कनप्रवन कल्लियानी अम्मा और अन्य। वी. के. देवी और अन्य। , ए. आई. आर 1996 एस. सी. 1963: [1996] 2 पूरक। एससीआर 1;चंदावरकर एस. आर. राव बनाम आशालता एस. गुरम, (1986) 4 एससीसी 447: [1986] 3 एस. सी. आर. 866; जे इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम। उद्योग सुविधा परिषद और एएनआर। , (2006) 8 एससीसी 677: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 189; महाराष्ट्र ट्यूब लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. , (1993) 2 एससीसी 144: [1993] 1 एससीआर 340; नरसिम्हा राव बनाम। ए. पी. राज्य (1969) 1 एस. सी. सी. 839: [1970] 1 एस. सी. आर. 115; संदीप और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2016) 2 एससीसी 328: [2015] 14 एस. सी. आर. 328; डॉ. फजल गफूर बनाम। प्राचार्य, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद और अन्य। , (1988) 4 एससीसी 532, एन. टी. आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

विजयवाड़ा बनाम. जी. बाबू राजेंद्र प्रसाद और अन्र। ,

(2003) 5 एससीसी 350: [2003] 2 एससीआर 781; आर. एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। , [1991] पूरक। 1 एस. सी. आर. 387; सरवन सिंह और अन्य। वी. कस्तूरी लाल, [1977] 2 एससीआर 421, सांवरमल केजरीवाल बनाम।

विश्व सहकारी चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य।

हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य। , [1990] 1 एससीआर 862, द

दक्षिण भारत निगम (पी) लिमिटेड बनाम सचिव, राजस्व बोर्ड त्रिवेंद्रम और अन्य। , [1964] 4 एससीआर 280,

डॉ. फजल गफूर बनाम प्राचार्य, उस्मानिया मेडिकल

कॉलेज, हैदराबाद और ओआरएस। , (1988) 4 एस. सी. सी. 532; डॉ. सी. सुरेखा बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 44: (1988) 4 एससीसी 526; एम. पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड एन. आर. वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। , (1997) 7 एससीसी 592: [1997] 1 पूरक। एस. सी. आर. 671; उषा मेहता बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार, जॉन

वल्लामट्टम बनाम। भारत संघ, (2003) 6 एस. सी. सी. 611:

[2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 638; महाप्रबंधक,

उत्तरांचल जल संस्थान बनाम। लक्ष्मी देवी (2009) 7 एस. सी. सी. 205: [2009] 9 एस. सी. आर. 791; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबाशीष मुखर्जी, आकाशवाणी 2011 एससी 3667: [2011] 13 एससीआर 1077; मोहन कुमार सिंघानिया और अन्य। वी. संघ

भारत और ओआरएस। , (1992) सप. 1 एससीसी 594: [1991] 1 पूरक। एस. सी. आर. 46; केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (1976) 2 एस. सी. सी. 310: [1976] 1 एस. सी. आर. 906; के. कृष्ण मूर्ति

(डॉ.) और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. , (2010) 7 एस. सी. सी. 202 [2010] 6 एस. सी. आर. 972; आर. चित्रलेखा बनाम की स्थितिमैसूर, ए. आई. आर 1964 एस. सी 1823: [1964] 6 एससीआर 368; एम्स छात्र संघ बनाम। A.I.I.M.S., जेटी 2001 (7) एससी 12;

लिंगप्पा पोचन्ना अप्पेलवार और अन्य। वी. की स्थिति

महाराष्ट्र और ओआरएस। (1985) 1 एससीसी 479: [1985] 2 एस. सी. आर. 224; बेरियम केमिकल्स बनाम। कंपनी लॉ बोर्ड आकाशवाणी

1967 एससी 295: [1966] पूरक। एससीआर 311; जरनैल सिंह और अन्य। वी. लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य। , (2018) 10

एस. सी. सी. 396 [2018] 10 एस. सी. आर. 663-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1970] 3 एससीआर 233

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

[1962] 2 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 41

[1966] 2 एससीआर 770

उस पर भरोसा करें

पैरा 42

(1997) 8 एससीसी 191

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[2015] 5 एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैरा 43 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020

[1962] 1 एससीआर 688

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2006] 2 एससीआर 920

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

[1979] 2 एससीआर 1184

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1981] 1 एससीआर 1024

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[1973] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[1981] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2007] 1 एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2001] 1 पूरक। एससीआर 621

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1980] 1 एससीआर 1036

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1981] 2 एससीआर 79

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1974] 2 एससीआर 348

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1978] 2 एससीआर 621

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1990] 2 एससीआर 84

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1993] 1 एससीआर 891

उस पर भरोसा करें

पैरा '

[1994] 5 एससीआर 563

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1996] 2 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1992] 1 एससीआर 406

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1986] 3 एससीआर 866

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2006] 6 पूरक। एससीआर 189

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1993] 1 एससीआर 340

संदर्भित किया गया है

पैरा &

[1970] 1 एससीआर 115

संदर्भित किया गया है

पैरा &

[2015] 14 एससीआर 328

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1988) 4 एस. सी. सी. 532

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1988) पूरक। एस. सी. सी. 794

पैरा &

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर 781

संदर्भित किया गया है

पैरा &

[1977] 2 एससीआर 421

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1990] 1 एससीआर 862

संदर्भित किया गया है

पारा और चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य।

[1964] 4 एससीआर 280

संदर्भित किया गया है

पैरा 83

(1988) 4 एस. सी. सी. 526

पैरा 86

संदर्भित किया गया है

(1988) पूरक। एस. सी. सी. 794

संदर्भित किया गया है

पैरा 86

[2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 17

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[1990] 1 एससीआर 561

उस पर भरोसा करें

पैरा 88

[1997] 1 पूरक। एससीआर 671

पैरा 91

संदर्भित किया गया है

(2012) 12 एससीसी 419

पैरा 92

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 पूरक। एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा 92

[2009] 9 एससीआर 791

संदर्भित किया गया है

पैरा 92

[2011] 13 एससीआर 1077

संदर्भित किया गया है

पैरा 92

[1991] 1 पूरक। एससीआर 46

पैरा 95

संदर्भित किया गया है

[1963] पूरक। 1 एससीआर 439

उस पर भरोसा करें

पैरा 110

[1976] 1 एससीआर 906

संदर्भित किया गया है

पैरा 111

[2006] 7 पूरक। एससीआर 336

उस पर भरोसा करें

पैरा 112

[2010] 6 एससीआर 972

संदर्भित किया गया है

पैरा 114

[1964] 6 एससीआर 368

संदर्भित किया गया है

पैरा 116

[1985] 2 एससीआर 224

पैरा 118

संदर्भित किया गया है

[1966] पूरक। एससीआर 311

पैरा 121

संदर्भित किया गया है

[2018] 10 एससीआर 663

पैरा 123

संदर्भित किया गया है

पीछा किया।

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

पैरा 137,

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं।

2002 से।

उच्च न्यायालय के 23.11.2001 दिनांकित निर्णय और आदेश से

न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में रिट याचिका सं।

2000 से।

के साथ

2002 का सी. ए. सं. 7040।

[2020] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. राजीव धवन, ए. आदिनारायण राव, आर. वेंकटरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. एस. एन. मोहन राव, आर. शांतन कृष्णन, लोकेश शर्मा, आदित्य कुमार अर्चना, सुश्री संगीता चंद्र, प्रवीण कुमार पांडे, आनंद पद्मनाभन, जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बैरपानेनी, सुश्री फिल्जा मूनिस, भरत जे. जोशी, सुश्री तातिनी बसु, मोहम्मद। वसीय खान, जी. वी. आर. चौधरी, के. शिवराज चौधरी, हर्ष सिंघल, हितेश कुमार शर्मा, एस. उदय के. सागर, सुश्री स्वाति भारद्वाज, मोहित राव, जी. एन. रेड्डी, टी. विजय भास्कर रेड्डी, दिग्विजय हरिचंदन, सुश्री सी. के. सुचरिता, हेमल किरीटकुमार सेठ, शिवम सिंह, गुरप्रीत सिंह गुप्ता,सुश्री उदिता सिंह, लक्ष्मी रमन सिंह, जॉन मैथ्यू, मैसर्स। वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. संदर्भ में, आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, जिनमें से 33.1/3 प्रतिशत महिलाएँ होंगी, आरक्षण प्रदान करने वाले पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी सरकारी कार्यालय सुश्री संख्या 3 की वैधता को चुनौती दी जा रही है।

2. दिनांकित 11.1.2016 आदेश में कई प्रश्नों को विचार के लिए संदर्भित किया गया है। हमने प्रश्न संख्या को पुनः क्रमांकित किया है। 1 (ए) (बी) (सी) और (घ) परस्पर संबंध पर आधारित। सवाल इस प्रकार हैं:

" (1) अनुच्छेद 5 (1), अनुसूची V का दायरा क्या है

भारत का संविधान?(क) क्या यह प्रावधान राज्यपाल को नया संविधान बनाने का अधिकार देता है?

कानून?

(ख) क्या शक्ति अधीनस्थ विधान तक फैली हुई है?(ग) क्या उसमें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ओवरराइड हो सकता है?

भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार?

(घ) क्या इस तरह की शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 371 डी के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के किसी भी समानांतर प्रयोग पर हावी है?(2) क्या संविधान के तहत 100% आरक्षण की अनुमति है?

(3) क्या अधिसूचना केवल अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण पर विचार करती है और अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण पर नहीं?

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

(4) क्या अधिसूचना में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्तें (यानी, मूल और कट-ऑफ तिथि) हैं

उचित? "

3. पृष्ठभूमि में तथ्य यह बताते हैं कि G.O.Ms। भारत के संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा जारी किया गया No.275 दिनांक 5.11.1986, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश देता है, भले ही किसी अन्य आदेश या नियम या कानून में कुछ भी निहित हो। आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") ने 25.8.1989 दिनांकित आदेश द्वारा अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस न्यायालय में सी. ए. Nos.2305-06/1991 में आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसे 20.3.1998 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था। 4. एक और G.O.Ms। जी. ओ. एम. एस. में संशोधन के लिए No.73 दिनांकित 25.4.1987 जारी किया गया था। No.275 दिनांक 5.11.1986 अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों पर गैर-आदिवासियों की नियुक्ति की अनुमति देने के लिए जब तक कि योग्य स्थानीय आदिवासियों को उपलब्ध नहीं कराया जाता। उसके बाद, अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त गैर-आदिवासियों ने अपनी सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। इसे 5.6.1996 और जी. ओ. एम. के निर्णय और आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। No.73 दिनांकित 25.4.1987, और विज्ञापनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना गया। रिट अपील में, एकल पीठ के आदेश को डिवीजन बेंच द्वारा 20.8.1997 के फैसले और आदेश के माध्यम से दरकिनार कर दिया गया था। इस प्रकार डब्ल्यू. पी. No.16198/1988 में निर्णय प्रबल रहा। गैर-जनजातीय नियुक्तियों ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल अपील 6437/1998 को प्राथमिकता दी, जिसकी अनुमति 18.12.1998 पर दी गई थी।

5. इस न्यायालय द्वारा 18.12.1998 पर निर्णय देने के बाद, सरकार ने जीओएम के माध्यम से एक नई अधिसूचना जारी की। सं. 3 दिनांक 10.1.2000 अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रभावी रूप से 100% आरक्षण प्रदान करता है। न्यायाधिकरण ने जीओएम को दरकिनार कर दिया। इससे व्यथित होकर, उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं, 3-न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से जी. ओ. की वैधता को बरकरार रखा।6. बहुमत का विचार था कि ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों को विशेष रूप से माना जाता था, और सकारात्मक कार्रवाई संवैधानिक रूप से की गई थी।

आत्मा। यह अधिसूचना अनुसूचित क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ाने के लिए एक कदम था और इसका उद्देश्य प्रत्येक [2020] 6 एस. सी. आर. में शिक्षकों की उपलब्धता प्रदान करना भी था।

प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु के साथ संबंध है। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की अभूतपूर्व अनुपस्थिति को देखते हुए जी. ओ. आवश्यक हो गया और यह सहायता के लिए एक कदम थाआदिवासियों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना। असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। राज्यपाल के पास शक्ति थी कि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16। राज्यपाल को अनुसूची V के खंड I, पैरा 5 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के भाग III या अन्य प्रावधानों का अपमान करते हुए कोई कानून बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। संख्या 3 भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह न केवल खुली श्रेणी के उम्मीदवारों को बल्कि अन्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। पिछड़े वर्ग। इसने यह भी राय दी कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, थोड़ी सी छूट की अनुमति थी। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों को संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम नहीं माना जा सकता था।

8. G.O.Ms। सं. 3 दिनांकित 10.1.2000, जिसकी वैधता पर सवाल उठाया जाता है,

अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर शैक्षणिक संस्थानों में सभी पदों को स्थानीय अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित किया गया। आदेश यहाँ नीचे निकाला गया है:

" जबकि, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ (1) के तहत, आंध्र के राज्यपाल

2. और जहाँ, G.O.Ms.No.275 में, समाज कल्याणभारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

निर्देश देते हुए कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पद

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के स्थानीय सदस्यों द्वारा ही भरा जाएगा।

3. और जबकि, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने 1988 के R.P.Nos.6377 में 25.8.1989 और 6379 के आदेश में G.O.Ms.No.275, समाज कल्याण में जारी आदेशों को रद्द कर दिया। विभाग दिनांक 1 इस आधार पर कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 के उप-

अनुच्छेद (1) के तहत जारी अधिसूचना किसी राज्य या केंद्रीय विधान के अस्तित्व को नहीं दर्शाती है जिसे जारी करने के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

ऐसी अधिसूचना;

4. और जबकि, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने परियोजना अधिकारी, I.T.D.A द्वारा दायर 1997 की रिट अपील No.874 में अपने निर्णय दिनांक 20-8-1997 में कहा।

पूर्वी गोदावरी जिले के रामपाचोडयारम ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे शिक्षकों के अपने-अपने पदों पर बिना किसी अवकाश के अस्थायी कर्मचारियों के रूप में तब तक बने रहें जब तक कि योग्य स्थानीय आदिवासियों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता और जब भी ऐसे आदिवासी उन पदों को भरने के लिए उपलब्ध हों।

शिक्षक और तेलुगु पंडित भी, ग्रेड। में जारी किए गए आदेशों को ध्यान में रखे बिना एजेंसी क्षेत्रों में IG.O.Ms.No.275, समाज कल्याण विभाग, दिनांक 5.11.1986।

6. और जबकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 1998 के अपने आदेश में सिविल अपील No.6437/98 को अनुमति देते हुए आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राज्य 1989 के एस. एल. पी. Nos.14562-63 से उत्पन्न अपीलों को वापस लेता है:

7. और जहाँ तक सरकार का मानना है कि आंध्र प्रदेश स्कूल शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 4 (बी) और आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के नियम 22 ए को इस हद तक संशोधित किया जाएगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी, जबकि सीधी भर्ती के संबंध में 33.1% आरक्षण है; [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. और जहाँ तक, जनजाति सलाहकार का परामर्श

परिषद भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 के उप-अनुच्छेद (5) के तहत आवश्यकतानुसार बनाई गई है।

9. और जबकि, आंध्र प्रदेश सरकार क्रम में

अनुसूचित क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आदिवासियों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना,अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की अभूतपूर्व अनुपस्थिति और स्थानीय

आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए स्थानीय अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के पक्ष में शिक्षकों के पदों को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

10. और जहां सरकार ने संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 के उप-अनुच्छेद (1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेशों को पूर्वव्यापी रूप से जारी करने पर विचार किया;

11. निम्नलिखित अधिसूचना आंध्र प्रदेश राजपत्र के भाग-IV-B असाधारण अंक, दिनांक 10.1.2000 में प्रकाशित की जाएगी।

सूचना

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 और G.O.Ms.No.275 में जारी अधिसूचना के अधिनिर्णय में, सामाजिककल्याण विभाग, दिनांक 5 नवंबर 1986, जैसा कि बाद में जी. ओ. सुश्री No.73, समाज कल्याण में संशोधित किया गया

प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम 1) और आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 13) की धारा 169,195 और 268 और G.O.Ms.No.538 में जारी आंध्र प्रदेश स्कूल शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 4 (a) शिक्षा (सर्. II) विभाग, दिनांक 20 नवंबर 1998 और आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के नियम 22 और 22 ए और इस संबंध में बनाए गए कोई अन्य नियम स्थित स्कूलों में शिक्षकों के पदों की नियुक्ति पर लागू होंगे,

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में इस संशोधन के अधीन कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों के सभी पदों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा।

केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिनमें से 33 1/3%

महिलाएँ।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

व्याख्या: - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, 'स्थानीय अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार 'का अर्थ है, जो उम्मीदवार से संबंधित है

अनुछेद 342 के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ

भारत का संविधान और उम्मीदवार स्वयं या उनके माता-पिता

के अनुसूचित क्षेत्रों में लगातार रह रहे हैं जिन जिलों में वे 26 तारीख से अब तक निवासी हैं

जनवरी 1950 "।

(जोर दिया गया)

9. अधिसूचना में विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

ए. पी. शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 78 शैक्षिक सेवा के गठन का प्रावधान करती है। यह राज्यपाल को शैक्षणिक सेवा के सदस्यों के वर्गीकरण, भर्ती के तरीकों, सेवा की शर्तों, वेतन और भत्तों और अनुशासन और आचरण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 79 अन्य बातों के साथ-साथ निजी संस्थानों के कर्मचारियों की बर्खास्तगी, निष्कासन, रैंक में कमी और निलंबन से संबंधित है। ए. पी. पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 169 मंडल परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के निर्माण, भर्ती की विधि और सेवा की शर्तों से संबंधित है। ए. पी. पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 195 में जिला परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के सृजन, भर्ती की विधि, सेवा की शर्तों आदि का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 268 सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है।

10. आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम,

1996 अधिसूचना में निर्दिष्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के नियम 22 में आरक्षण का प्रावधान है। नियम 22 यहाँ नीचे निकाला गया है:

के पक्ष में एक सेवा, वर्ग या श्रेणी में नियुक्तियों के लिए किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएँ,

शारीरिक रूप से विकलांग, मेधावी खिलाड़ी, पूर्व सैनिक

और ऐसी अन्य श्रेणियाँ, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।

समय-समय पर, निर्दिष्ट सीमा तक और तरीके सेइसके बाद इन नियमों में या जैसा भी मामला हो, विशेष में

नियम। इसके बाद दिए गए आरक्षण के सिद्धांत

सभी नियुक्तियों को किसी सेवा, वर्ग या श्रेणी में लागू करें।

(i) सीधी भर्ती द्वारा, सिवाय इसके कि जहां सरकार इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी सेवा, वर्ग या श्रेणी को छूट देती है;

((ii) प्रत्यक्ष भर्ती के अलावा, जहां विशेष नियम विशेष रूप से यह निर्धारित करते हैं कि जहां तक यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, मुख्य आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं, वर्ग या श्रेणी पर उसमें निर्दिष्ट सीमा तक लागू होगा।(2) (क) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियुक्तियों की इकाई एक सौ रिक्तियां होंगी, जिनमें से पंद्रह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगी, छह अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी, पच्चीस पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी और शेष पचास-चार नियुक्तियां खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर और इन नियमों के नियम 22-ए के अधीन की जाएंगी।

(ई) इस नियम के तहत नियुक्तियां इस क्रम में की जाएंगी -

सौ रिक्तियों की एक इकाई में नीचे निर्दिष्ट आवर्तन।

नियम 22-ए: नियुक्तियों में महिलाओं को आरक्षण: इन नियमों या विशेष नियमों या तदर्थ नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद:

(1) जिन पदों के लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं, उनकी सीधी भर्ती के मामले में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी:

बशर्ते कि महिलाओं को इस तरह की पूर्ण वरीयता का परिणाम नहीं होगा

(2) जिन पदों के लिए महिला और पुरुष समान रूप से उपयुक्त हैं, उनकी सीधी भर्ती के मामले में महिलाओं को खुली प्रतिस्पर्धा, पिछड़े वर्ग (समूह-ए), पिछड़े वर्ग (समूह-बी), पिछड़े वर्ग (समूह-सी), पिछड़े वर्ग (समूह-डी), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग और पूर्व सैनिक कोटे की प्रत्येक श्रेणी में 33.3 प्रतिशत तक आरक्षण होगा। (3) उन पदों पर सीधी भर्ती के मामले में जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित हैं, उन्हें केवल महिलाओं द्वारा भरा जाएगा।

राज्य में छह प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

लूटी गई जनजातियाँ।11. ए. पी. आरक्षण और सार्वजनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति विनियमन अधिनियम, 1997 को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि आरक्षण के लिए चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओ. आर. एस. को अनिवार्य किया जाए।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

नियम 22 के तहत सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य आरक्षण के नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकारियों को दंडित करना था। अधिनियम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों को आरक्षण का कोई प्रतिशत प्रदान नहीं किया गया था।

जनजातियाँ, और पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के नियम 22 और 22 ए के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था।

दलीलें

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के अधीन संसद या राज्य विधानमंडल। विनियमन बनाने की शक्ति अनुसूची V के पैरा 5 (2) के तहत प्रदान की गई थी। पैरा 5 (1) के तहत ऐसी कोई विधायी शक्ति नहीं है। 1986 के पहले के G.O.Ms. को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद, इस न्यायालय में दायर अपील को वापस ले लिया गया और नए जी. ओ.जारी किया गया, फिर से एक 100% आरक्षण प्रदान करके अवैधता को कायम रखा गया।

13. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 371-डी में राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान हैं -

प्रावधान, राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए स्थानीय कैडर बनाए गए थे। राष्ट्रपति के आदेश में विभिन्न पदों के लिए जिला/क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसा भी मामला हो, एक जिला/क्षेत्र एक स्थानीय क्षेत्र का गठन कर सकता है। जिला शिक्षकों के लिए एक इकाई है और कई जिलों में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा सभी पदों को भरने का आदेश दिया गया है।14. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार जिले या क्षेत्र के बाहर आवेदन नहीं कर सकते, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार, पदधारी अपने जिलों के बाहर आवेदन नहीं कर सकते हैं जहां वे रह रहे हैं। शिक्षकों के पदों के बजाय सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने की उनकी संभावनाओं को छीन लिया गया है। इस प्रकार, जी. ओ. [2020] 6 एस. सी. आर. का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 371-डी के तहत जारी राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और प्रबल नहीं हो सकता है।

15. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि

16. जी. ओ. सुरक्षात्मक कानून प्रदान करने में संविधान के उद्देश्य के विपरीत होगा, और आरक्षण का मुख्य जोर वंचित वर्गों को बड़े पैमाने पर समाज की मुख्यधारा में लाना है। आदिवासी छात्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने का विचार शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता के साथ समझौता करने के समान है और आदिवासी बच्चों को नुकसान में डालता है और उन्हें मुख्यधारा से अलग करता है। भाषा बाधा के बारे में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि शिक्षकों के लिए योग्यता प्रदान की जा सकती है कि उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, एक जिले का निवासी हमेशा स्थानीय भाषा

जानता है। विवादित अधिसूचना में ऐसे किसी पहलू का उल्लेख नहीं किया गया था। 17. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ के नियम 22 और 22 ए

सेवा नियम, 1996 संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए आरक्षण का प्रावधान करता है। विधायिका ने उन्हें तैयार नहीं किया। इस प्रकार, अधीनस्थ विधान होने के कारण संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा इसमें संशोधन या संशोधन नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि कोई भी नया कानून चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस नहीं हो सकता है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

अनुसूची V के पैरा 5 (1) के दायरे में बनाए गए हैं। G.O.Ms में उल्लिखित अधिनियम। सं. 3/2000 आरक्षण से संबंधित नहीं था। आरक्षण के लिए 1997 के अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया था। इसे संशोधित करके भी, 100% आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता था।

18. अनुसूचित जनजातियों के भीतर केवल उम्मीदवारों या उनके माता-पिता को लाभान्वित करने के लिए बनाया गया वर्गीकरण जो अनुसूचित जनजातियों में लगातार रह रहे हैं।

चूंकि 26.1.1950 क्षेत्र अन्य श्रेणियों के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण है। कार्यकारी आदेश आरक्षण प्रदान नहीं कर सकता था। 100% आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून अनिवार्य था। मूल संरचना के सिद्धांत के आधार पर मामले का परीक्षण करना सामान्य नहीं है क्योंकि यह स्थापित किया गया मामला नहीं है कि अनुसूची V के पैरा 5 के तहत प्रावधान संविधान की मूल संरचना के खिलाफ हैं। अनुसूची V के पैरा 5 के प्रावधान नहीं हैंसवाल उठाया, लेकिन केवल उसके तहत की गई कार्रवाई की वैधता पर। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसी भी कार्रवाई के मामले में उपलब्ध है, जो अपने आप में अवैध, मनमाना या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और बिना किसी आधार के है।

19. अनापत्ति खंड के संबंध में, यह तर्क दिया गया था कि अनुसूची V के पैरा 5 के तहत आदेश जारी नहीं किया जा सकता था अनुच्छेद 371D.It का उल्लंघन राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन है।

20. प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने तर्क दिया कि संविधान में निर्धारित समय के लिए आग्रह है।

अनुच्छेद 15 और 16 में निहित विभिन्न प्रावधानों और अनुच्छेद 37,38,47 और 51 (ए) में निहित निदेशक सिद्धांतों के तहत जातियां और अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं; अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है, अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 335 अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के सेवाओं के दावे पर विचार करने का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338ए के गठन में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 339,341,342 और 334 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अन्य प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343डी और 343 (टी) (एच) पंचायतों में एससी/एसटी के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।21. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि भारत का संविधान एससी/एसटी के लिए सममित और स्थानिक है। उस दृष्टिकोण से, अनुसूचित क्षेत्रों का गठन अनुच्छेद 244 और अनुसूची 5 और 6 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। संविधान विशेष वर्गीकरण बनाता है। समानता एक अवधारणा है [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनमानेपन के खिलाफ। 50 प्रतिशत आरक्षण के सामान्य नियम में उचित मामलों में ढील दी जा सकती है जो राज्यपाल द्वारा सटीक रूप से किया गया है। आरक्षण कार्यकारी आदेश द्वारा किया जा सकता है। आरक्षण को योग्यता विरोधी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि आरक्षण भेदभाव, नुकसान और राज्य की शक्ति को साझा करने के कारण प्रदान किया गया था। इंद्र साहनी एंड ओआरएस में निर्णय का विस्तार से उल्लेख किया गया है। वी. भारत संघ और अन्य। , (1992) सप. 3 एस. सी. सी. 217 में यह तर्क दिया गया था कि आरक्षण में सुधार/संशोधन किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उप-विभाजित करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 16 (4) का उद्देश्य समूह में पिछड़ेपन को बढ़ावा देना है। कड़ाई से कहें तो जांच के लिए आयोग का गठन आवश्यक नहीं है।

विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त आरक्षणक्षेत्रों। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। उन्होंने उल्लेख किया

बाद में प्रचारित किए जाने वाले विभिन्न उक्ति के लिए।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने अंत में तर्क दिया कि G.O.Ms। सं. 3/2000 संवैधानिक रूप से वैध है और यदि ऐसा है तो न्यायालय ऐसा कर सकता है। सलाह दी जाती है कि राज्यों को निरीक्षण बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करें। उद्देश्य

23. आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर. वेंकटरमानी ने तर्क दिया कि समग्र रूप से अनुसूची 5 की योजना को एक विशेष संवैधानिक आधार पर निपटाया जाना चाहिए, जो कि एक विशेष संवैधानिक अंत:क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के हितों, चिंताओं और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने दायरे में स्वतंत्र है। पाँचवीं अनुसूची के पैरा 2 और 5 इसका सार हैं। पैरा 2 अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्य की कार्यकारी शक्ति पर सीमाएं लागू करता है। पैरा 5 सक्षम करने की शक्ति की एक

मिश्रित और विशेष प्रजाति है, जो राज्यपाल, विधायी और प्रशासनिक को प्रदान करती है। शक्तियाँ। विधायी और प्रशासनिक शक्तियाँ निर्बाध रूप से चलती हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 5 के खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में केंद्रीय या राज्य विधान का विस्तार करने की शक्ति, "अपवादों के अधीन और

संशोधन ", कानून में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। खंड (1) और (2) के तहत शक्ति अलग-अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती है।

उनमें से प्रत्येक अपने तरीके से व्यापक है। खंड चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस के तहत प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

25. श्री आर. वेंकटरमानी ने आगे तर्क दिया कि अनुच्छेद 371 डी और अनुसूची 5 के बीच कोई टकराव नहीं है। दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।और विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करना। विधायिकाओं द्वारा और इस मामले में राज्यपाल द्वारा तैयार किए गए सामाजिक-आर्थिक प्रयोगों की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है। यह कहना गलत है कि अनुच्छेद 371-डी में अ-अ-अ-

28. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग ने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की है।राज्य में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुरुकुल पाठशाला, आश्रम स्कूल और आवासीय, शैक्षणिक संस्थानों जैसी शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणियों और स्थानीय जनजाति की नियुक्ति के तरीके से अच्छे परिणाम मिले हैं।

29. तेलंगाना राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री बी. आदिनारायण राव ने अनुसूचित क्षेत्रों गंजम और विशाखापत्तनम के इतिहास की ओर इशारा किया। 1839 के अधिनियम ने मद्रास प्रेसीडेंसी के एजेंसी क्षेत्रों को घोषित किया, जिसमें आदिवासियों/एजेंसी क्षेत्रों के अलग प्रशासन का प्रावधान किया गया। 1874 में, अनुसूचित जिला अधिनियम, XIV पारित किया गया था, जिसमें एक अनुसूची थी जिसमें क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था, जिसमें आदिवासी रहते थे। सामान्य कानूनों को छोड़कर गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल द्वारा क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम जारी किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने "सुधार के लिए पूरी तरह से बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों" को बनाया था और उन्हें राज्यपाल के प्रशासन के तहत रखा था। सामान्य-परिषद, कानूनों के एक अलग अनुप्रयोग के साथ। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने इसका विस्तार किया था। इस प्रकार, ऐतिहासिक रूप से, अनुसूचित क्षेत्र विशेष कानूनों द्वारा शासित थे। उनकी तुलना आम तौर पर विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा प्रशासित क्षेत्रों से नहीं की जा सकती है। अनुसूची V में विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को कानून के रूप में माना जाना चाहिए। कानूनों का अनुप्रयोग कानून के मान्यता प्राप्त रूपों में से एक है। राज्यपाल के आदेश का परीक्षण केवल क्षमता और संविधान के उल्लंघन के मापदंडों पर किया जा सकता है। आदर्श मानदंडों की कसौटी पर इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 46 के उद्देश्य को प्राप्त करता है।

30. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. आदिनारायण राव ने आगे तर्क दिया है कि वन या पहाड़ियाँ अनुसूचित क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से अलग करती हैं।

इनमें अधिसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। अनुसूचित चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस में कुछ गैर-आदिवासी हैं।

क्षेत्रों। उनके रहने/निवास के बावजूद, गैर-आदिवासी बिक्री, खरीद, पट्टे या अन्यथा द्वारा अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि और ऐसे प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को संवैधानिक माना गया है।इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में। जनजातीय रीति-रिवाजों, संस्कृति, परंपराओं और

व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है। वे अपनी आबादी में अपनी बोली बोलते हैं। दुर्गम और सुविधाओं की कमी के कारण, अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षक स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक अनुपस्थिति हो रही है। इस प्रयोग के परिणामस्वरूप वांछित उद्देश्यों को पूरा किया गया है। आदिवासियों में साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के साथ कोई प्रतिकूलता नहीं है।

अनुच्छेद 371 डी। अनुच्छेद 371 डी (10) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रावधानों को चुनौती से मुक्त बनाने के लिए गैर-अबाधित खंड का प्रावधान करता है। अनुसूची 5 के पैरा 5 में किए गए प्रावधानों को इसी तरह से देखा जाना चाहिए।

31. कुछ उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री शिवम सिंह ने तर्क दिया कि मूल संरचना सिद्धांत है -

अप्रयोज्य, मूल संवैधानिक पाठ का उपयोग विवादित कार्रवाई का परीक्षण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अनुसूची V मूल पाठ का हिस्सा है। इसलिए, इसका टचस्टोन पर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।मूल संरचना का उल्लंघन। उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि 1973 के बाद के संवैधानिक संशोधनों को रद्द किया जा सकता है यदि वे मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं न कि संविधान के मूल पाठ का। पैरा 5 (1) अनुसूची V में गैर-अस्थाई खंड बरकरार है और क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। मूल संरचना सिद्धांत की कठोरता अनुच्छेद 371-डी को प्रभावित कर सकती है लेकिन अनुसूची V को प्रभावित नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 14 का उपयोग अनुसूची V के अबाधित खंड के इरादे को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

32. विद्वान वकील श्री शिवम सिंह ने आगे तर्क दिया कि गैर-अबाधित खंडों के बीच टकराव के मामले में, जहां तक संभव हो, उनका सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए। बाद में अधिनियमित प्रावधान लागू होता है जो पहले अधिनियमित किया गया था। यदि बाद वाला प्रावधान पहले के प्रावधान के विपरीत सामान्य पाया जाता है, तो पहले का प्रावधान प्रबल होना चाहिए।

33. विद्वान वकील ने आगे कहा है कि चूंकि राज्यपाल के पास विनियम बनाने की शक्ति है, इसलिए शक्ति अधीनस्थ विधान तक भी फैली हुई है। अधीनस्थ विधान को स्वयं विधान के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। विनियमों को क़ानून के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

100% आरक्षण प्रदान करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में संशोधन और अपवाद बनाने की शक्ति अनुमत है। न्यायिक समीक्षा के लिए न्यूनतम गुंजाइश है। अधिसूचना में अनुच्छेद 16 (1) के तहत एक वर्गीकरण पर विचार किया गया है, न कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत एक आरक्षण जो शिक्षा के क्षेत्र में

अनुसूचित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जारी किया गया है; शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।

आदिवासियों का विकास; शिक्षकों की अभूतपूर्व अनुपस्थिति को रोकने के लिए

अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में आदिवासियों को पढ़ाने से लेकर। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्रता और कट-ऑफ डेट की शर्तें उचित हैं।

क्षेत्र में विकास और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इन रे: प्रश्न संख्या 1: भारत के संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 (1) का दायरा क्या है? ; और प्रश्न संख्या 1 (ए): क्या यह प्रावधान राज्यपाल को नया कानून बनाने का अधिकार देता है?34. पाँचवीं अनुसूची का संदर्भ भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 में मिलता है। अनुच्छेद 244 के प्रशासन से संबंधित है

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूची V के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे। अनुच्छेद 244 यहाँ नीचे निकाला गया है:

" अनुच्छेद 244। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। - (1) पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे और

असम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ

मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।

(2) छठी अनुसूची के प्रावधान इन पर लागू होंगे -असम, मेघालय राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन,

त्रिपुरा और मिजोरम "।

35. अनुच्छेद 244 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को अनुसूची V से बाहर करता है और उन्हें अनुसूची VI में अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार शामिल किया गया है। अनुसूची V को विस्तार में नीचे निकाला गया है:

" पाँचवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 244 (1)]

प्रशासन और प्रशासन के बारे में प्रावधान

अनुसूचत क्षेत्रों का नियंत्रण और

अनुसूचित जनजातियाँ चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

भाग ए

सामान्य

" 1. व्याख्या। इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भअन्यथा आवश्यक है, 'राज्य' अभिव्यक्ति में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल नहीं हैं।

2. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति। - इस अनुसूची के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तक फैली हुई है। 3. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति द्वारा ऐसा आवश्यक होगा, उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देगा।

और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा।

भाग बी

प्रशासन और नियंत्रण

अनुसूचत क्षेत्र और अनुसूचत जनजातियाँ

4. जनजाति सलाहकार परिषद। — (1) जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें प्रत्येक राज्य की स्थापना की जाएगी और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं, तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजाति है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद होगी जिसमें बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगेः

बशर्ते कि यदि प्रतिनिधियों की संख्या

राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियाँ ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली जनजाति सलाहकार परिषद में सीटों की संख्या से कम हैं, शेष सीटें उन जनजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। (2) जनजाति सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह दे जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, निर्धारित या विनियमित करने वाले नियम बना सकता है:

(क) परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति का तरीका और परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति।

परिषद और उसके अधिकारियों और सेवकों की;

राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा या राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा, जो ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन होगा जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस उप-अनुच्छेद के तहत दिया गया कोई भी निर्देश दिया जा सकता है ताकि पूर्वव्यापी प्रभाव हो। (2) राज्यपाल किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है जो कुछ समय के लिए अनुसूचित क्षेत्र है।

विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे विनियम

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा धन-ऋणदाता के रूप में व्यवसाय के संचालन को विनियमित करना। क्षेत्र।

(3) ऐसा कोई विनियमन बनाने में जो उप में निर्दिष्ट है।

इस पैराग्राफ के पैराग्राफ (2) में राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल या किसी अन्य अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है।

विद्यमान विधि जो कुछ समय के लिए विचाराधीन क्षेत्र पर लागू है।

(4) इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए सभी विनियमों को तुरंत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक उनके द्वारा सहमति नहीं दी जाती, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।](5) इस अनुच्छेद के तहत कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने, उस मामले में जहां राज्य के लिए जनजाति सलाहकार परिषद है, ऐसी परिषद से परामर्श नहीं किया है।

भाग सी

अनुसूचत क्षेत्र

6. अनुसूचित क्षेत्र। - (1) इस संविधान में,

'अनुसूचित क्षेत्रों' का अर्थ है राष्ट्रपति जैसे क्षेत्र।

आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा

निर्देश दें कि एक का पूरा या कोई निर्दिष्ट भाग

(अ)

अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा।

या ऐसे क्षेत्र का एक हिस्सा;

((क) उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद किसी राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाएँ;]

(ख) परिवर्तन, लेकिन केवल सीमाओं के सुधार के माध्यम से,

कोई अनुसूचित क्षेत्र; किसी राज्य की सीमाओं के किसी भी परिवर्तन पर या

((ग)

संघ में प्रवेश या किसी नए राज्य की स्थापना, किसी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करती है जो पहले किसी राज्य में शामिल नहीं था;

(घ) किसी भी राज्य या राज्यों के संबंध में, इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी आदेश या आदेश को निरस्त करता है, और

संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके, उन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए नए आदेश दें जो

अनुसूचित क्षेत्र हों,

ऐसे किसी भी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और परिणामी दृष्टिकोण हो सकते हैं जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत होते हैं, सिवाय इसके कि उप-अनुच्छेद (1) के तहत किया गया आदेश

पैराग्राफ में किसी भी बाद के आदेश से बदलाव नहीं किया जाएगा।

भाग डी

अनुसूची में संशोधन

अनुसूची में सुधार।— (1) संसद कर सकती है

समय-समय पर कानून द्वारा जोड़, परिवर्तन या निरसन के माध्यम से संशोधन [2020] 6 एस. सी. आर.

इस अनुसूची के प्रावधानों में से कोई भी और जब अनुसूची में इस तरह से संशोधन किया जाता है, तो इस संविधान में इस अनुसूची का कोई भी संदर्भइसका अर्थ इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

(2) ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका उप-अनुच्छेद (1) में उल्लेख किया गया हो।

इस अनुच्छेद को इसका संशोधन माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान।

36. राज्य अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

हालाँकि, यह अनुसूची के प्रावधानों के अधीन है। अनुसूची V के पैरा 3 में राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच निरंतर बातचीत का प्रावधान है। राज्यपाल को एक वार्षिक रिपोर्ट या किसी भी समय भेजना होता है।

राष्ट्रपति द्वारा जब भी समय की आवश्यकता हो। राज्यपाल अनुसूची के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है।

क्षेत्रों, और कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में, केंद्र सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश जारी कर सकती है।

क्षेत्रों। 37. अनुसूची 5 के पैरा 5 का उद्देश्य एक समतावादी समाज की स्थापना करना और अनुसूचित जाति के लिए सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

समता बनाम में आयोजित जनजातियाँ। ए. पी. और अन्य का राज्य। , (1997) 8 एस. सी. सी. 191 इस प्रकार है:

" 71. इस प्रकार, पांचवीं और छठी अनुसूची, दिशा, दर्शन और चिंता के साथ संविधान की एक अभिन्न योजना की रक्षा करना है।

आदिवासियों को शोषण से बचाना और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अपनी भूमि के मूल्यवान दान को संरक्षित करना और

हमारे राजनीतिक भारत में उनके व्यक्तित्व की गरिमा।

38. भारत के संविधान की अनुसूची V के पैरा 4 में प्रशासन और नियंत्रण के लिए जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है।

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का। पैरा 4 (2) सलाहकार परिषद को राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देने में सक्षम बनाता है जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किए जाएं। राज्यपाल के पास जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति के तरीके, बैठकों के संचालन और अन्य आनुषंगिक नियमों, विनियमों को बनाने की शक्ति है।

विषय हैं।

39. अनुसूची V का पैरा 5 इस पर लागू कानून से संबंधित है

अनुसूचित क्षेत्र। इसमें एक गैर-बाध्यकारी खंड है और राज्यपाल को इस आशय की अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत करता है कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस का कोई विशेष अधिनियम।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

संसद या राज्य विधानमंडल किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा। यह राज्यपाल को अपवाद और संशोधन करने का भी अधिकार देता है जैसा कि वह संसद या राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकता है। राज्यपाल को पूर्वव्यापी प्रभाव देते हुए अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम में निहित कानून को राज्यपाल द्वारा संशोधित किया जा सकता है या अनुसूचित क्षेत्र या इसके किसी भी हिस्से से इसके अनुप्रयोग में बाहर रखा जा सकता है। अतः, संसद या राज्य विधानमंडल के ऐसे अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किया जा सकता है। पैरा 5 (1) को शक्ति प्रदान करता है

राज्यपाल केवल संसद या राज्य के अधिनियम के अपवर्जन से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें संशोधन या अपवाद पैदा करने से संबंधित है।

(क) अनुसूची 5 का पैरा 5 (1) राज्यपाल को शक्ति प्रदान नहीं करता है।

प्रावधानों के चार कोनों के भीतर शक्ति का प्रयोग करें।(ख) अनुसूची 5 का पैरा 5 (2) राज्यपाल की उस शक्ति से संबंधित है जिसमें वह किसी अनुसूची में शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम बना सकता है।

किसी राज्य का क्षेत्र। राज्यपाल को पैरा 5 (2) से संबंधित मामलों में जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह लेनी होती है, यदि इसका गठन किया गया है। राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के किसी भी सदस्य द्वारा भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने और अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है। पैरा 5 (3) में प्रावधान है कि पैरा 5 (2) में उल्लिखित कोई भी विनियम बनाते समय,

राज्यपाल को संसद के किसी अधिनियम या राज्य के विधानमंडल या किसी भी मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित करने की शक्ति है जो उस क्षेत्र पर लागू होता है, लेकिन वह अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए है। राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियम को प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। विनियमन को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। वहाँ पर एक और सवार है

पैरा 5 (5) द्वारा प्रदत्त राज्यपाल की विनियामक शक्ति। जनजातियों के मामले में

कोई भी विनियमन बनाने से पहले सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्यपाल ऐसी परिषद से परामर्श करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। परिषद के गठन के मामले में उसके परामर्श के बिना कोई विनियमन नहीं बनाया जा सकता है।

40. संसद या उपयुक्त विधानमंडल का अधिनियम लागू होता है -

अनुसूचित क्षेत्र। राज्यपाल के पास अधिसूचना द्वारा उनके संचालन को बाहर करने की शक्ति है। इसकी अनुपस्थिति में, अधिनियमों के विधायिका का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में होगा। जतिंद्र बनाम। बिहार प्रांत, (1949) एफ. एल. जे. 225 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पैरा 5 के तहत राज्यपाल की शक्ति एक विधायी शक्ति है और राज्यपाल को अधिनियम या धारा के प्रावधानों को बदलने या संशोधित करने का अधिकार है जैसा कि वह अधिसूचना जारी करके उचित समझता है। पैरा 5 (1) के तहत शक्ति किसी अधिनियम को लागू करने या संशोधन करने या अपवाद बनाने के राज्यपाल के निर्णय को लागू करने तक सीमित है। यद्यपि शक्ति कुछ हद तक विधायी है, लेकिन वह सीमित है।

संसद या राज्य के अधिनियम के संबंध में प्रयोज्यता, संशोधन या अपवाद पैदा करना। जबकि पैरा 5 (2) की शक्ति प्रदान करता है

स्वतंत्र विधान, राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने की पूर्ण शक्ति होती है। आवश्यकता के बारे में निर्णय लेने के लिए वह विश्वास का भंडार है। राज्यपाल को पैरा 5 (3) द्वारा संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार है या

राज्य विधानमंडल, उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अनुसूची V के पैरा 5 (2) के तहत प्रदान किए गए विनियम बनाने का प्रयोग करते हुए। राम कृपाल भगत और अन्य में शक्ति के पहलू पर विचार किया गया था। वी.बिहार राज्य (1969) 3 एस. सी. सी. 471 इस प्रकार है:

" 21. दूसरा सवाल जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या 1951 का बिहार विनियमन I राज्यपाल के नियम से अधिक है। शक्तियाँ। विवाद इस प्रकार थे: पहला, कि 1951 का विनियमन I

बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता था; दूसरा, कि विनियम विषय-वस्तु से संबंधित हैं और इसका मतलब कानून को लागू करने की शक्ति नहीं है और तीसरा, किसी अन्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून का विस्तार करने की शक्ति को विधायी कार्य नहीं कहा जाता था, बल्कि एक सशर्त विधानमंडल था। वर्तमान मामले में यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में है। अनुसूचित क्षेत्रों से संविधान के अनुच्छेद 244 और संविधान की पांचवीं अनुसूची द्वारा निपटा जाता है। संविधान से पहले, बहिष्कृत क्षेत्रों से भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 91 और 92 द्वारा निपटा जाता था। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें धारा 91 और धारा 92 के तहत परिषद में आदेश द्वारा घोषित किया गया था। संघीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल का कोई भी अधिनियम बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस पर लागू नहीं होना था।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

क्षेत्र जब तक कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश न दे। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 की उप-धारा (2) ने राज्यपाल को किसी प्रांत के किसी भी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की।

एक बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र और इस प्रकार बनाए गए कोई भी विनियम संघीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल के किसी अधिनियम या किसी मौजूदा भारतीय कानून को निरस्त या संशोधित कर सकते हैं जो उस समय के लिए विचाराधीन क्षेत्र पर लागू था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 के तहत किसी भी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने में राज्यपाल की विधायी शक्ति की सीमा

प्रशासन, शांति, व्यवस्था और किसी भी क्षेत्र की अच्छी सरकार जो अभी किसी भी प्रांत में शामिल नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि यदि कोई कानून प्रशासन, शांति, व्यवस्था और अच्छी सरकार के लिए इंग्लैंड में बनाए गए प्रावधानों से अलग है तो उसे वैध नहीं माना जा सकता है। कि विवाद स्वीकार नहीं किया गया। इन शब्दों को विचाराधीन क्षेत्र के लिए शांति और अच्छी सरकार के लिए कानून बनाने की व्यापक शक्ति को शामिल करने के लिए रखा गया था।

22. संविधान की पांचवीं अनुसूची में 7 पैरा हैं और इसमें भाग ए, बी, सी और डी शामिल हैं। भाग सी में पैरा 6 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकते हैं और वर्तमान मामले में कोई विवाद नहीं है कि संथाल परगना अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर आता है। पाँचवीं अनुसूची में पैरा 5 अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानूनों से संबंधित है। पैरा 5 के उप-पैरा 2 में यह अधिनियमित किया गया है कि राज्यपाल किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है जो उस समय के लिए है।

एक अनुसूचित क्षेत्र होना। पैरा 5 के उप-पैरा 3 के तहत, राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी भी अधिनियम या किसी भी मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है जो उस क्षेत्र में

लागू होता है। यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों के वकील द्वारा एक तर्क दिया गया था कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 अभी भी लागू थी और राज्यपाल केवल उस धारा के तहत कार्य कर सकता था। यह विवाद [2020] 6 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी पदार्थ से पूरी तरह से रहित क्योंकि धारा 92 भारत सरकार अधिनियम, 1935 के निरसन के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935।

यह तर्क दिया गया था कि विनियम बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी

राज्यपाल को कोई भी कानून लागू करने की शक्ति। कहा गया है कि

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92-राज्यपाल

ऐसा कर सकते थे लेकिन संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल कानून लागू करने के लिए सक्षम नहीं है। यह तर्क बिना है

कानून बनाने और कानून लागू करने की अधिकतम शक्ति को शामिल करता है।किसी क्षेत्र में कानून लागू करना नियमों को बनाना है जो कानून हैं।

इसके अलावा कानूनों को लागू करने की शक्ति तब निहित होती है जब कोई शक्ति होती है

किसी अधिनियम या उस पर लागू किसी मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित करना।

विचाराधीन क्षेत्र। कानून लागू करने की शक्ति वास्तव में लागू करने के लिए है

किसी अधिनियम की कानूनी प्रभाव वाली धाराएँ जैसे कि वही अधिनियम अधिनियमित किया गया हो पूरी तरह से। कानूनों का अनुप्रयोग मान्यता प्राप्त रूपों में से एक है।

कानून। कानून किसी क़ानून को संदर्भित करके या द्वारा बनाया जा सकता हैकिसी क़ानून का हवाला देते हुए या किसी क़ानून या प्रावधानों या भागों को शामिल करके

कानून के रूप में कानून के एक टुकड़े में जो लागू होगा।

सशर्त कानून। वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि 1951 का बिहार विनियमन I या तो प्रत्यायोजित है।

कानून या एक सशर्त कानून। राज्यपाल के पास पूरी शक्ति थी।

ऐसे विनियम बनाना जो कानून हों और जैसे संसद कर सकती हो यह अधिनियमित करना कि कानून का एक टुकड़ा किसी विशेष राज्य पर लागू होगा,

इसी तरह, राज्यपाल पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत कर सकते हैं

किसी अनुसूचित क्षेत्र में निर्दिष्ट कानूनों को लागू करें। बिहार विनियमन I

विधायी प्राधिकरण से अपनी शक्ति की प्रचुरता में और वहाँ है प्रत्यायोजित या सशर्त विधान का कोई पहलू नहीं।

(जोर दिया गया)

41. होता वेंकट में सूर्य शिवराम शास्त्री और अन्र। वी. राज्य

आंध्र प्रदेश, (1962) 2 एस. सी. आर. 535: ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 71, प्रश्न

पैरा के तहत कानूनों को लागू करने की शक्ति के रूप में विचार के लिए

इस न्यायालय ने राय दी कि निरस्त करने या संशोधन करने की शक्ति विधायी है, इस शक्ति के प्रयोग में बनाए गए किसी भी विनियम को नहीं कहा जा सकता है

ए. टी. ए. डी. या सशर्त कानून। इस न्यायालय ने कहा:

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

" (11) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि 1951 का विनियमन IV अमान्य था क्योंकि यह संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 (1) और (2) द्वारा अनुमत विधान की सीमाओं को पार कर गया था। कहा गया है।

कि यदि राज्यपाल पूर्वव्यापी कानून बनाना चाहते हैं

प्रभावी रूप से यह स्वयं द्वारा बनाया गया कानून होना चाहिए, लेकिन यदि वह अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य में पहले से लागू कानून लागू करता है, तो वहपूर्वव्यापी प्रभाव के साथ ऐसा नहीं कर सके। सरल शब्दों में घटाया,

इस विनियमन में उन्मूलन अधिनियम की शर्तों को दोहराया हैलेकिन यदि वह केवल अधिनियम के शीर्षक का उल्लेख करता है तो वह उस क्षेत्र पर इसके प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दे सकता है जिस पर इसे लागू किया जा रहा था। यह स्पष्ट है कि यह तर्क सही था

उच्च न्यायालय द्वारा नकार दिया गया "।

42. रिलायंस को एडविंगसन बरेह बनाम में निर्णय पर रखा गया है। असम राज्य और अन्य। , (1966) 2 एस. सी. आर. 770 जिसमें

23.11.1964 पर जारी अधिसूचना पर सवाल उठाया गया था। अधिसूचना द्वारा, असम के राज्यपाल ने असम के जोवाई उप-मंडल को छोड़कर एक नया स्वायत्त जिला बनाया जिसे जोवाई जिला कहा जाएगा।

संयुक्त खासी-जयंतिया हिल्स जिला 1.12.1964 से प्रभावी और

सीमाओं को बदल दिया। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की गई थी

छठी धारा के अनुच्छेद 1 (3) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

अनुसूची. इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" हालाँकि, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि विवादित अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप, पैराग्राफ 20 (2) को

बदल गया। पैराग्राफ 20 (2), जैसा कि यह मूल रूप से था, विस्तार से वर्णन करता है

संयुक्त खासी-जयंतिया पहाड़ी जिले में शामिल क्षेत्रों और विवादित अधिसूचना के परिणामस्वरूप, उक्त विवरण को संशोधित करना होगा, क्योंकि उक्त जिले को अब दो स्वायत्त जिलों में विभाजित कर दिया गया है। हालाँकि, यह राज्यपाल द्वारा पैरा 1 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादित अधिसूचना जारी करके किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक परिवर्तन है। हमारी राय में, जहां राज्यपाल पैरा द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के आधार पर परिवर्तन करता है। 1 (3) (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी), इसके बाद तालिका के भाग ए में विभिन्न वस्तुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। का अभ्यास

कहा गया है कि शक्तियाँ नहीं बदलती हैं, और वर्तमान मामले में यह नहीं हैपरिवर्तित, भाग ए में शामिल कुल क्षेत्र। इसका उद्देश्य एक वस्तु को स्वायत्त जिलों की दो वस्तुओं में बदलना है।

चूंकि इस परिवर्तन को लाने की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है

राज्यपाल पर अनुच्छेद 1 (3) (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) द्वारा यह अभिनिर्धारित करना अनुचित नहीं है कि उक्त शक्ति का प्रयोग, जैसा कि वर्तमान मामले में, पैरा में परिणामी परिवर्तन होता है

20 (2) . पैरा 20 (2) में इस तरह का परिवर्तन एक तार्किक परिणाम है -

पैरा 1 (3) (ग) द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग,(डी), (ई), (एफ) और (जी)।"

43. समता वी. ए. पी. और अन्य का राज्य।, (1997) 8 एससीसी 191, यह

टी ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 298 और विधायी के तहत कार्यकारी शक्ति

आर अनुच्छेद 245 के तहत सरकारी संपत्ति के निपटान के अधीन है

अनुसूची 5 का आर. ए. 5. प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 85. यह सच है, जैसा कि श्री चौधरी ने तर्क दिया है कि संविधान

राज्य के राष्ट्रपति/राज्यपाल को कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करना है। अपने व्यक्तिगत विवेक से। यह विधायी सीमाओं के अधीन नहीं है।

व्यवसाय के नियमों के अनुसार किया जाना। विशेष रूप से,

सातवें में गणना की गई विधायी शक्ति के साथ सह-विस्तारित संविधान के अनुच्छेद 245 के साथ पठित अनुसूची। कार्यपालक

विशेष रूप से आनंद की तरह संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति

एक दोषी को क्षमा करने की अवधि या शक्ति हमारे विचार में है, नहीं

मुद्दे के लिए उपयुक्त। में कार्यकारी सरकार की शक्ति

उस ओर से संविधान में बुद्धिमानी से तैयार किया गया है और नहीं है

के अनुसार को छोड़कर किसी भी प्रतिबंध के अधीनसंविधान और अनुच्छेद 245 के तहत बनाया गया कानून

संविधान विषय की सातवीं अनुसूची में प्रासंगिक प्रविष्टि

पाँचवीं अनुसूची के लिए जब यह अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता है। द.सरकार की अधिग्रहण, धारण और निपटान करने की शक्ति

प्रदत्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति और अनुबंध बनाना।

संविधान के अनुच्छेद 298 के अनुसार समान रूप सेसंघ/राज्य की विधायी शक्ति। तथापि, अनुच्छेद 244 (1) स्वयं

निर्दिष्ट करता है कि पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण

उसमें निर्दिष्ट बहिष्कृत क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी राज्य में जनजातियाँ।

संविधान के प्रावधानों यानी पांचवीं अनुसूची के लिए। खंड (1) अनुसूचित चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओ. आर. एस. पर लागू पाँचवीं अनुसूची के भाग बी के पैरा 5 का।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

" संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, दूसरे शब्दों में, शक्ति के बावजूद, अनुच्छेद 298 के तहत, राज्यपाल जनता द्वारा

किसी राज्य का विधानमंडल किसी अनुसूचित क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।राज्य में उसका भाग या किसी अनुसूचित क्षेत्र या किसी अन्य पर लागू होगा।

राज्य में उसका भाग, ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए और

अधिसूचना और किसी भी निर्देश में निर्दिष्ट किए गए संशोधन

पैरा 5 के खंड (1) के तहत दिया जा सकता है ताकि

पूर्वव्यापी प्रभाव "। राज्य की कार्यकारी शक्ति है,

इसलिए, के खंड 5 (1) के तहत विधायी शक्ति के अधीन पाँचवीं अनुसूची। इसी तरह, इसका उप-पैरा (2) अधिकार देता है -

क्षेत्र। विशेष रूप से और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिनापूर्वगामी शक्ति, ऐसे विनियम के आवंटन को विनियमित कर सकते हैं

ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि या

खंड (ए) के तहत भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करना या

ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच। में। अन्य शब्द उप-पैरा 5 (2) विधायी और विधायी दोनों को जोड़ता है।

कार्यकारी शक्ति, खंड 5 (2) (ए) और (सी) विधायी शक्ति और

खंड (ख) विधायी और कार्यकारी दोनों शक्तियों को जोड़ता है।

इस प्रकार पैरा 5 (2) (बी) में "विनियमन" शब्द का व्यापक महत्व है।

(जोर दिया गया)

समता (ऊपर) में, यह माना गया था कि खनन पट्टों के पास नहीं हो सकता था

किसी व्यक्ति द्वारा अभिकरण क्षेत्रों में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर निषेध, चाहे वह व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों का सदस्य हो या नहीं या केवल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से बना समाज हो या अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार या राज्य निगमों सहित किसी व्यक्ति द्वारा। गैर-जनजातीय व्यक्तियों के पक्ष में खनन पट्टा देकर एजेंसी क्षेत्रों में सरकारी भूमि का हस्तांतरण अमान्य था। उक्त मामले में, आदिवासियों को उनके पक्ष में पट्टा दिया गया थाखेती के उद्देश्यों के लिए, उक्त पहलू ने पूरा अंतर पैदा कर दिया, और पट्टे पर प्रतिबंध गैर-जनजातीय लोगों के रास्ते में आ गया, जिसे इस न्यायालय ने बरकरार रखा। निर्णय एक अलग क्षेत्र में काम करने का है। इस न्यायालय ने राजस्थान आवास बोर्ड बनाम में इसी तरह के प्रतिबंध को बरकरार रखा। न्यू पिंक सिटी निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड और अन्र। , (2015) 7 एससीसी 601।

[2020] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. भूमि हस्तांतरण के संरक्षण के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है। इस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं और उन्हें संवैधानिक रूप से वैध माना गया है। कमोबेश सभी राज्यों में लगभग इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं। विभिन्न राज्यों में, अनुसूचित जनजातियों की भूमि से संबंधित लेनदेन को अदालत के डिक्री या आदेश सहित सांविधिक रूप से रद्द कर दिया गया था, और इस तरह के लेनदेन को पूर्वव्यापी प्रभाव से अमान्य घोषित कर दिया गया है और इस अदालत द्वारा इसकी वैधता को बरकरार रखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल भूमि की सुरक्षा का नहीं है। भूमि के संरक्षण के पीछे का विचार आदिवासियों की रक्षा करना है, क्योंकि वे अलग-थलग हैं, और गैर-आदिवासियों की तुलना में सामाजिक रूप से नुकसानदेह स्थिति में हैं। इस प्रकार, सुरक्षा प्रदान की गई है।

& ओआरएस। , ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1519, राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके अनुप्रयोग में कानून के किसी भी प्रावधान के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने की शक्ति दी गई है। न्यायालय ने कहा कि संशोधन करने की शक्ति पर उसके व्यापक संभव आयाम में विचार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने आगे ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश, खंड में 'संशोधित' शब्द पर विचार किया। VI, जिसका अर्थ है अन्य बातों के साथ-साथ "आंशिक परिवर्तन करना"; संबंध में परिवर्तन (उद्देश्य के रूप में) करना।इसके कुछ गुणों में; आमूल परिवर्तन के बिना बदलना या बदलना। इसी तरह का शब्द 'संशोधन' है, जिसका अर्थ है आवश्यक प्रकृति को बदले बिना किसी वस्तु में परिवर्तन करने की क्रिया। न्यायालय ने भी

यह देखा गया कि संशोधन का अर्थ केवल इस प्रकार परिवर्तन या परिवर्तन, विस्तार या विस्तार करना है:

" (4) लेकिन यह मानते हुए भी कि इस संशोधन द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कला के प्रावधानों में एक मौलिक परिवर्तन है। 81 (1) , सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इस तरह के संशोधन को कला में उपयोग किए गए "संशोधन" शब्द द्वारा उचित ठहराया जाता है। 370 (1) . हम

यहाँ एक ऐसे संविधान के प्रावधान के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी व्याख्या किसी संकीर्ण या पांडित्यपूर्ण अर्थ में नहीं की जा सकती है। दिल्ली विधि अधिनियम मामला, 1951 एस. सी. आर. 747 में विचार के लिए जो प्रश्न आया: (ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 332), अधीनस्थ बनाने में एक अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजन की शक्ति के संबंध में था।

कानून। इस संदर्भ में यह टिप्पणी की गई थी कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओ. आर. एस. के दौरान वहां के कानून के इरादे पर विचार किया जा रहा था।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

"संशोधन" शब्द का उपयोग यह था कि केंद्र सरकार भाग सी राज्यों में बिना किसी आमूलचूल परिवर्तन के कुछ कानूनों का विस्तार करेगी। लेकिन वर्तमान मामले में हमें कला में उपयोग किए गए "संशोधन" शब्द का अर्थ पता लगाना होगा। 370 (1) संविधान के संदर्भ में। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि वस्तु

कला को लागू करने के पीछे। 370 (1) जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को मान्यता देना और राष्ट्रपति को ऐसे अपवादों के साथ उस राज्य में संविधान के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति देकर उस विशेष स्थिति का प्रावधान करना था और

राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले संशोधन। हम पहले ही बता चुके हैं कि अपवाद करने की शक्ति का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति यह प्रावधान कर सकते हैं कि संविधान का कोई विशेष प्रावधान उस राज्य पर लागू नहीं होगा। यदि इसलिए राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होने वाले संविधान के किसी भी प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त करने की शक्ति दी जाती है, तो ऐसा लगता है कि जब उन्हें संशोधन करने की शक्ति भी दी जाती है तो उस शक्ति पर उसके व्यापक संभव विस्तार में विचार किया जाना चाहिए। यदि वह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होने वाले संविधान के किसी विशेष प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, तो हम यह सोचने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि संविधान का इरादा यह नहीं था कि उन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होने वाले किसी विशेष प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जब संविधान ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था

" संशोधन "। "संशोधित" शब्द का अर्थ "आंशिक बनाना" भी है। "और" संशोधन "में परिवर्तन का अर्थ है" आंशिक परिवर्तन "। इसलिए यदि राष्ट्रपति ने प्रत्यक्ष चुनाव के तरीके को अप्रत्यक्ष चुनाव में बदल दिया तो वह संक्षेप में आंशिक परिवर्तन या [2020] 6 एस. सी. आर. कर रहे थे।

कला में आंशिक परिवर्तन। 81 और इसलिए वर्तमान मामले में किया गया संशोधन उस शब्द के शब्दकोश अर्थ के भीतर भी होगा। लेकिन, कानून में, "संशोधित" शब्द का और भी व्यापक अर्थ है। रोलैंड बरोज द्वारा "शब्द और वाक्यांश" में, "संशोधित" शब्द का प्राथमिक अर्थ "सीमित करना" या "प्रतिबंधित करना" के रूप में दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ "भिन्न होना" भी है और इसका अर्थ "विस्तारित" या "बड़ा" भी हो सकता है। इस प्रकार कानून में "संशोधित" शब्द का अर्थ केवल "भिन्न" हो सकता है अर्थात संशोधन; और जब कला। 370 (1) यह कहता है कि राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के प्रावधानों को ऐसे संशोधनों के साथ लागू कर सकते हैं जो वह आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

इसका अर्थ है कि वह इसके प्रावधानों में परिवर्तन (अर्थात संशोधन) कर सकता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में अपने अनुप्रयोग में संविधान। इसलिए हमारी राय है कि संविधान के संदर्भ में

हमें शब्द के अर्थ को व्यापक प्रभाव देना चाहिए।

" कला में उपयोग किया गया "संशोधन"। 370 (1) और उस अर्थ में इसमें एक संशोधन शामिल है। कला में उपयोग किए गए "संशोधन" शब्द को सीमित करने का कोई कारण नहीं है। 370 (1) केवल ऐसे संशोधनों के लिए जो कोई "मौलिक परिवर्तन" नहीं करते हैं। इसलिए हमारी राय है कि राष्ट्रपति के पास वह संशोधन करने की शक्ति थी जो उन्होंने कला में किया था। 81 संविधान से। इसलिए याचिका विफल हो जाती है और खर्च के साथ खारिज कर दी जाती है।

राज्यपाल को संशोधन या सृजन करने की शक्ति प्रदान की जाती है।

अन्य, विवाद में नहीं है। शक्ति व्यापक है लेकिन संसद या राज्य विधानमंडल तक सीमित है। गवर्नर I की शक्ति केवल व्यापक है, लेकिन सुई जेनरिस भी है, और चूंकि अदालत को सामाजिक और आर्थिक प्रयोग के क्षेत्रों में इस्लामिक ज्ञान को टालना पड़ता है, इसलिए यहअपनी शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल के विवेक की ओर झुकता है

पाँचवीं अनुसूची का पैरा 5। 46. बॉम्बे डाइंग एंड एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड (3) v. बॉम्बे

रॉनमेंटल एक्शन ग्रुप और ओआरएस। , (2006) 3 एस. सी. सी. 434, न्यायालय ने पुरानलाल लखनपाल (ऊपर) मामले में निर्णय को संशोधित किया और कहा:

" 243. एक बार फिर पुरानलाल लखनपाल बनाम। भारत के राष्ट्रपति, (1962)

1 एस. सी. आर. 688 में कहा गया था: (एस. सी. आर पी. 693)

" [टी] शब्द 'संशोधन' का अर्थ है किसी वस्तु की आवश्यक प्रकृति या चरित्र को बदले बिना उसमें परिवर्तन करने की क्रिया। चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

47. पुरानलाल (ऊपर) में, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 (1) में संशोधन को व्यापक प्रभाव दिया जाना चाहिए।

संविधान, और उस अर्थ में, इसमें ऐसी सीमाएँ शामिल नहीं हो सकती हैं जो कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती हैं। एस. के. गुप्ता और अन्र. वी. के. पी. जैन और अन्र. , (1979) 3 एस. सी. सी. 54, "संशोधन" शब्द विचार के लिए आया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसमें परिवर्धन और चूक करना शामिल होगा। धारा 392 के संदर्भ में, "संशोधन" का अर्थ केवल इसे व्यवहार्य बनाने के लिए समझौते की योजना और/या व्यवस्था या उसमें से चूक को जोड़ना होगा। अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 26. परिभाषा के अनुसार, "संशोधन" और "संशोधन" में परिवर्धन और चूक करना शामिल होगा। के संदर्भ में

धारा 392, "संशोधन" का अर्थ केवल इसे व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से समझौते की योजना और/या व्यवस्था या उसमें से चूक को जोड़ना होगा। धारा 392 को पढ़कर उसके स्थान पर "संशोधन" शब्द की परिभाषा को प्रतिस्थापित करते हुए, यदि अदालत द्वारा समझौते की योजना में कुछ छोड़ा जा सकता है या कुछ जोड़ा जा सकता है, तो समझौता और/या व्यवस्था के उचित संचालन के लिए कंपनी के मामलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, हम नहीं देखते हैं

एक प्रक्रिया द्वारा इसके अर्थ को कम करने का औचित्य

व्याख्या और इस प्रकार एक समझौते की योजना और/या व्यवस्था से निपटने के लिए न्यायालय की शक्ति को कम कर देता है ताकि इसे जारी रखने के दौरान इसे व्यवहार्य बनाया जा सके।

धारा 392 (1) द्वारा विहित पर्यवेक्षण।

48. संविधान की अनुसूची 5 का पैरा 5 (1) शक्ति प्रदान करता है।

राज्यपाल पर किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने वाली विधि को अपवर्जित करने का अधिकार है। यह राज्यपाल को अपवादों और संशोधनों के साथ इसे लागू करने का भी अधिकार देता है जैसा वह उचित समझता है। हालांकि, किसी क्षेत्र को लागू करने, संशोधन करने और कानून में अपवाद पैदा करने की शक्ति, जो उस क्षेत्र में लागू थी, को उक्त नियमों के पैरा 5 (2) के तहत प्रदत्त विनियमन बनाने की शक्ति के बराबर नहीं कहा जा सकता है। 'अपवाद' और 'संशोधन' अभिव्यक्तियों का अर्थ इस प्रकार है:

" अपवाद • एन. एक व्यक्ति या चीज जो अपवाद है या जो एक नियम का पालन नहीं करता है। अपवाद या होने की क्रिया या स्थितिसिवाय "।

" संशोधन • एन. संशोधन की क्रिया। ➤ एक बदलाव

बनाया गया "।

(स्रोत: संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, 10thEdn। संशोधित)

49. अपवाद और संशोधन कानून द्वारा बनाए गए हैं, जो पहले से ही इस क्षेत्र में लागू है। यह किसी नए कानून का निर्माण नहीं है

जिसे अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) के तहत विचार किया गया है। अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई नया कानून नहीं बनाया जा सकता है। संशोधन की शक्ति पूरे क़ानून को फिर से लिखने तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। इस शक्ति का उपयोग कानून को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो लागू होता है। कानून को केवल अपवादों या संशोधनों के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह मौजूदा कानून का पूरी तरह से स्थान नहीं ले सकता है, जो लागू कानून के विचार का पूरी तरह से विरोध करता है क्योंकि उस मामले में यह नए कानून के समान होगा न कि लागू कानून में संशोधन या अपवाद या अपवादों या संशोधनों का निर्माण। लागू कानून के उद्देश्य और सार को पैरा 5 (1) के दायरे में नहीं बदला जा सकता है, हालांकि लागू कानून की प्रयोज्यता को बाहर रखा जा सकता है। यदि राज्यपाल कानून तय करता है -

लागू रहते हुए, उसके पास केवल अपवाद बनाने और उसे संशोधित करने की शक्ति है, न कि उसी लागू कानून के साथ एक नया बनाने की।

50. ए. पी. आरक्षण और लोक सेवा नियुक्ति विनियमन अधिनियम, 1997, राज्य में आरक्षण से संबंधित है।

सार्वजनिक सेवाएँ। 2000 के जी. ओ. सुश्री संख्या 3 ने उक्त अधिनियम में संशोधन नहीं किया। अधिसूचना में उल्लिखित अन्य अधिनियमों के प्रावधान आरक्षण की सीमा से संबंधित नहीं थे। ए. पी. शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 78 और 79 और ए. पी. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 169,195 और 268 आरक्षण से संबंधित नहीं हैं। ये नियम अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए थे। उन्हें विधायिका द्वारा मुख्य प्रावधान के तहत तैयार नहीं किया गया था। पैरा के तहत शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल

5 (1) अनुसूची V की धारा लोक सेवा अधिनियम, 1997 में संशोधन कर सकती थी या इसे अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं करने का निर्देश दे सकती थी। 100 प्रतिशत आरक्षण के सृजन का प्रभाव राज्य के अधिनियम या केंद्रीय विधान के संदर्भ के बिना पैरा 5 (1) के तहत एक नया कानून बनाने पर पड़ा। स्वतंत्र रूप से

उस शक्ति का प्रयोग भारत के संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 (1) के दायरे में नहीं किया जा सकता था। अन्यथा, भले ही 1997 के अधिनियम को राज्यपाल द्वारा संशोधित किया गया होता, 100% आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता था।

51. हमारी राय है कि नया कानून बनाने की राज्यपाल की शक्ति पैरा 5 (1) की स्पष्ट भाषा को देखते हुए उपलब्ध नहीं है, पांचवीं अनुसूची ऐसी शक्ति को मान्यता या प्रदान नहीं करती है, लेकिन केवल शक्ति उपलब्ध नहीं है।

कानून को लागू करना या इसे अपवादों या संशोधनों के साथ लागू करना। इस प्रकार, अधिसूचना संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 (1) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

इन रे: प्रश्न संख्या 1 (बी): क्या शक्ति अधीनस्थ विधान तक फैली हुई है? 52. जी. ओ. सुश्री संख्या 3/2000 विभिन्न प्रावधानों और ए. पी. शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 78 और 79 को संदर्भित करता है। इसका भी उल्लेख है

ए. पी. पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 169,195 और 268। उपरोक्त प्रावधानों में से कोई भी पदों के आरक्षण से संबंधित नहीं है। तीसरा संदर्भ ए. पी. राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के बारे में है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। ए. पी. राज्य का नियम 22 औरअधीनस्थ सेवा नियम, 1996 आरक्षण से संबंधित है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए हैं।

53. आंध्र प्रदेश आरक्षण विनियमन और

लोक सेवा अधिनियम, 1997 में नियुक्ति आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित की गई थी। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि नियम 22 के तहत प्रदान किए गए आरक्षण का ईमानदारी से पालन किया जाए और नियमों में किए गए प्रावधानों का उल्लंघन न हो। ए. पी. आरक्षण और नियुक्ति विनियमन अधिनियम में, संबंधित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रतिशत प्रदान नहीं किया गया है।

54. नियम 22 और 22ए, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं,

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाया गया। उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम में भाग नहीं लेना है।

वास्तव में, अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम 22 और 22ए में संशोधन किया गया है, जो संसद या राज्य के विधानमंडल का अधिनियम नहीं होने के कारण नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार,

राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम से संबंधित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था।

55. बी. एस. यादव और अन्य में। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 561, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम

56. राज्य की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अनुसूची V का पैरा 5 (1) राज्यपाल को कानून बनाने का अधिकार देता है, और यह एक विधायी है।कार्य, और राज्यपाल का कोई भी आदेश विधान के रूप में माना जाएगा। विवादित आदेश को कानून के रूप में माना जाना चाहिए और इसका परीक्षण केवल [2020] 6 एस. सी. आर. की क्षमता और उल्लंघन के मापदंडों पर किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान। आदर्श मानदंडों की कसौटी पर इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। रिलायंस को प्राकृतिक संसाधन आवंटन पर रखा गया है, पुनः, विशेष 2012 का संदर्भ सं. 1 (2012) 10 एस. सी. सी. 1 जिसमें न्यायालय ने राय दी:

" 112. इसलिए, समानता को हर परिदृश्य में परीक्षण किए बिना केवल औसत नीलामी तक सीमित नहीं किया जा सकता है। स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. वी. अनवर अली सरकार, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 75, इस न्यायालय ने कोटच बनाम. रिवर पोर्ट पायलट कमिश्नर, 91 एल एड 1093: 330 यू. एस. 552 (1947) ने माना था कि: (अनवर अली सरकार मामला, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 75, ए. आई. आर. पी. 80 ,

पैरा 10)

" 10. ..... " किसी राज्य के लिए कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करने का संवैधानिक आदेश एक ऐसा लक्षय निर्धारित करता है जिसे राज्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

एक सटीक सूत्र का आविष्कार और अनुप्रयोग। इस अदालत ने

उस असंभव कार्य का कभी प्रयास नहीं किया। "

आवश्यक के संदर्भ में किसी कानून की वैधता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है।

आदर्श लोकतंत्र के तत्व, वास्तव में शामिल

संविधान। (इंदिरा नेहरू गांधी बनाम देखें। राज नारायण, 1975 पूरक एस. सी. सी. 1) न्यायालयों को किसी कानून को अमान्य घोषित करने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उनकी राय में, यह संविधान की

भावना के खिलाफ है। अदालतें कुछ आदर्श खोजने की धारणा के तहत किसी सीमा या संवैधानिक आवश्यकता की घोषणा नहीं कर सकती हैं।

मानक। इसके अलावा, एक संवैधानिक सिद्धांत एक सटीक सूत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सटीक स्थितियों पर लागू एक अमूर्त सिद्धांत होना चाहिए। एक संवैधानिक जनादेश के रूप में नीलामी आयोजित करने का परिणाम हर उस कार्रवाई को रद्द करना होगा जो

और व्यावसायिक उद्यम। अनुच्छेद 14 की व्यापक और सामान्य घोषणा से केवल सीमित स्थितियों के लिए एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में नीलामी प्राप्त करना अजीब होगा। संवैधानिक निर्णय की ताकत मामले के निर्णय के मामले में निहित है और इसलिए नीलामी को एक तक नहीं बढ़ाया जा सकता हैसंवैधानिक आदेश "।

यह निवेदन कि राज्यपाल के आदेश को विधान के रूप में माना जाएगा और इसे विधान के रूप में परीक्षण किया जाना चाहिए, विवादित नहीं हो सकता है।

हालाँकि, जब चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस के संबंध में संशोधन या अपवाद की बात आती है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

57. संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम नहीं कहा जा सकता है। हालांकि नियमों में वैधानिक बल है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के तहत बनाया गया था। ये नियम तब तक लागू रहते हैं जब तक कि विधायिका शक्ति का प्रयोग नहीं करती। शक्ति।संविधान की अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल के संसद या राज्य के विधानमंडल के अधिनियमों को संशोधित करने या लागू नहीं करने तक सीमित है। इस प्रकार, अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता था।

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमन नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, हमारी राय में, यह खुला नहीं था

राज्यपाल को विवादित जी. ओ. सं. 3/2000 जारी करने के लिए।

भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकार? 58. इस संबंध में कई तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले, उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि मूल संरचना सिद्धांत है

संविधान के मूल पाठ पर लागू नहीं होता है। इसका उपयोग विवादित कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत पांचवीं अनुसूची मूल पाठ का हिस्सा है, और इसलिए, इसका मूल संरचना सिद्धांत के तहत परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। रिलायंस

को केशवानंद भारती बनाम पर रखा गया है। केरल राज्य, (1973) 4 एस. सी. सी. 225 जिसमें इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि संविधान संशोधनों के बाद

1973 यदि वे मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें निरस्त किया जा सकता है।

59. वामन राव और ओआरएस पर भी भरोसा रखा गया है। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (1981) 2 एस. सी. सी. 362, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार राय दी:

" 49. हम केशवानंद भारती, (1973) 4 एस. सी. सी. 225 में निर्णय को ऐतिहासिक मानते हुए एक रेखा खींचने का प्रस्ताव करते हैं। उस निर्णय से पहले नौवीं अनुसूची में कई अधिनियम इस धारणा पर रखे गए थे कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तिचौड़े और अनियंत्रित थे। यह सिद्धांत कि संसद बुनियादी [2020] 6 एस. सी. आर. को नुकसान पहुँचाने या नष्ट करने के लिए अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. एक सुविधाजनक और प्रासंगिक समय पर एक रेखा खींचने का दूसरा कारण यह है कि नौवीं अनुसूची में पहले 66 आइटम, जो केशवानंद में निर्णय से पहले डाले गए थे।भारती, (1973) 4 एस. सी. सी. 225, ज्यादातर कृषि सुधारों के कानूनों से संबंधित है। उन 66 मदों में कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मद 17,18,19, जो बीमा, रेलवे और उद्योगों से संबंधित हैं। लेकिन लगभग सभी अन्य वस्तुएं अनुच्छेद के दायरे में आती हैं।

31 - ए (1) (ए)। वास्तव में, आइटम 65 और 66, जो 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, केरल भूमि सुधार (संशोधन) हैं। क्रमशः 1969 और 1971 के अधिनियम, जिन्हें केशवानंद भारती, (1973) 4 एस. सी. सी. 225 में विशेष रूप से चुनौती दी गई थी। इस चुनौती को दरकिनार कर दिया गया।

51. इस प्रकार, जहां तक नौवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 31-बी की वैधता का संबंध है, हमारा मानना है कि 24 अप्रैल, 1973 से पहले नौवीं अनुसूची में शामिल सभी अधिनियमों और विनियमों को अनुच्छेद 31-बी का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। वे कानून और विनियम इस आधार पर चुनौती देने के लिए खुले नहीं होंगे कि वे संविधान के भाग III के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार से असंगत हैं या उन्हें छीनते हैं या कम करते हैं। अधिनियम और

विनियम, जो नौवीं अनुसूची में शामिल हैं या होंगे

24 अप्रैल, 1973 को या उसके बाद अनुच्छेद 31-बी का संरक्षण इस स्पष्ट कारण से प्राप्त नहीं होगा कि केशवानंद भारती, (1973) 4 एस. सी. सी. 225 में निर्णय के सामने, नौवीं अनुसूची में जोड़ करने का कोई औचित्य नहीं था।

उसमें शामिल कानूनों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने का दृष्टिकोण। विभिन्न संवैधानिक संशोधन, जिनके द्वारा जोड़े गए थे, चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस थे।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

केवल तभी वैध है जब वे मूल संरचना को नुकसान या नष्ट नहीं करते हैंसंविधान "।

(जोर दिया गया)

60. रिलायंस को भी इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

एल. आर. द्वारा आई. आर. कोएल्हो (मृत)। वी. टी. एन. राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस प्रकार निर्णय लिया गया:

" 151. मूल की सीमा के अनुप्रयोग का प्रभाव एक अनुसूचित अधिनियम की संरचना यह है कि अनुच्छेद 31-बी के साथ पढ़ा जाए

नौवीं अनुसूची अब न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। न्यायिक

इसलिए, समीक्षा बहुत अधिक मौजूद है।

इस प्रकार, यह आग्रह किया गया कि चूंकि संविधान का मूल पाठ है

पाँचवीं अनुसूची में निहित, मूल संरचना के संदर्भ में इसका परीक्षण करने की अनुमति नहीं होगी। अनुच्छेद 14 मूल संरचना का हिस्सा है; इसलिए, इसका उपयोग पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के अबाधित खंड को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है, और इसके तहत की गई कार्रवाई को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर नहीं परखा जा सकता है।

61. हमारी राय में, मूल संरचना पर आधारित प्रस्तुति

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 में निहित प्रावधानों की वैधता या किसी अन्य संवैधानिक संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने के लिए सिद्धांत तत्काल मामले के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हम अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली विवादित अधिसूचना जारी करने वाली राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता तय कर रहे हैं। विधायिका की प्रत्येक कार्रवाई, चाहे वह संसद हो या राज्य, को संविधान के भाग III में गारंटीकृत अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। संविधान की मूल योजना स्वयं इस प्रकार प्रदान करती है; इस प्रकार, बुनियादी संरचना सिद्धांत पर आधारित तर्क वैधता नहीं रखता है।

अधिसूचना के रूप में वह कार्रवाई प्रावधानों के तहत की जाती है, और पैरा 5 अनुसूची V के प्रावधान संविधान के भाग III में गारंटीकृत अधिकारों को ओवरराइड नहीं करते हैं। विधान के क्षेत्र में विधायिका की सीमाएँ राज्यपाल पर भी लागू होती हैं।

62. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि इसके साथ पूर्ण विवेक है

राज्यपाल की प्रयोज्यता के बारे में संशोधन और अपवाद करना

कानून; हालाँकि, पूर्ण विवेक को मनमाने ढंग से प्रयोग करने योग्य नहीं कहा जा सकता है। संविधान ने किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को कोई मनमानी शक्ति प्रदान नहीं की है। मनमानेपन अवधारणा का एक विरोधाभास है।

समानता, जो संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है, और वही इसकी भावना और आत्मा है।

[2020] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

63. संविधान के प्रावधानों की व्याख्या इसके निर्माताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जैसा कि एस. आर. चौधरी में कहा गया है।

पंजाब और अन्य का।, (2001) 7 एस. सी. सी. 126 इस प्रकार है:

" 33. संवैधानिक प्रावधानों को एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के साथ समझने और व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक संविधान होना चाहिए

संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए। उपयोग किए गए शब्द संदर्भ में सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उनके पूर्ण महत्व और सही अर्थ की सराहना उस सही संदर्भ को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया जाता है और जिस उद्देश्य को वे प्राप्त करना चाहते हैं। इस निर्णय के पहले भाग में संदर्भित संविधान सभा में बहस स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मंत्रिमंडल में एक गैर-सदस्य के समावेश को एक "विशेषाधिकार" माना जाता था जो केवल छह महीने के लिए होता है, इस अवधि के दौरान सदस्य को निर्वाचित होना चाहिए, अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा। यह एक स्थिर स्थिति है कि संविधान सभा में बहस पर निर्भर किया जा सकता है

एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए सहायता क्योंकि यह है

संविधान निर्माताओं के इरादे का पता लगाने के लिए न्यायालय का कार्य। हमें यह याद रखना चाहिए कि संविधान केवल गंभीर रूप में एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि संविधान के लिए एक जीवंत ढांचा है।

लोगों की सरकार पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य का प्रदर्शन कर रही है

और इसका सफल कार्य लोकतांत्रिक भावना पर निर्भर करता है

इसके अंतर्गत अक्षर और आत्मा में सम्मान किया जा रहा है। बहसें

"केवल" "छह महीने के लिए" "बढ़ाने के" "विशेषाधिकार" "को स्पष्ट रूप से इंगित करें।"

64. समानता की अवधारणा, जिसे वैकल्पिक भेदभाव प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, केवल वर्गीकरण का मामला नहीं है, बल्कि मनमानेपन के खिलाफ भी है। समानता मनमानेपन का विरोधी है। ए. एस. अय्यरान्ड ओरस में। वी. वी. बालासुब्रमण्यम, (1980) 1 एससीसी 634,

वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में कहा गया है:

" 57. x XX यह प्रवृत्ति, एक कट्टर जाति मानसिकता वाले अभिजात वर्ग के समाज में, हमारे संस्थापक विश्वास के लिए एक नुकसान है, भले ही न्यायिक रूप से पवित्र हो। सुब्बा राव, जे. ने लक्ष्मण दास बनाम में चेतावनी देते हुए सिर पर कील मार दी। पंजाब राज्य, (1963) 2 एससीआर

353 , 395 : ए. आई. आर 1963 एस. सी. 222:

" वर्गीकरण का सिद्धांत केवल एक सहायक नियम है।

उक्त सिद्धांत को एक व्यावहारिक सामग्री देने के लिए अदालतों द्वारा विकसित किया गया। वर्गीकरण के सिद्धांत पर अत्यधिक जोर देना या वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने का एक चिंतित और निरंतर प्रयास धीरे-धीरे और अस्पष्ट रूप से चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस को वंचित कर सकता है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

इसकी शानदार सामग्री का लेख। वह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समानता के सिद्धांत के लिए वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने में समाप्त हो जाएगी; कानून के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार और कानूनों का समान संरक्षण हो सकता है

वर्गीकरण के सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

65. अजय हसिया और ओआरएस में। वी. खालिद मुजीब सहरावर्दी और

(1981) 1 एस. सी. सी. 722, न्यायालय ने वर्गीकरण के सिद्धांत पर विचार किया। लैसिफिकेशन केवल उचित नहीं है; इसे आवश्यक शर्तों को पूरा करना चाहिए। जब भी राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन होता है, चाहे वह अनुच्छेद 12 के तहत विधायिका हो या कार्यपालिका या प्राधिकरण, अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को तुरंत निरस्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है

एक क्रिया। न्यायालय ने कहा:

" 16. यदि सोसायटी एक 'प्राधिकरण' है और इसलिए अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' है, तो इसका पालन करना चाहिए कि यह अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक दायित्व के अधीन है। अनुच्छेद 14 का वास्तविक दायरा और दायरा कई निर्णयों का विषय रहा है, और उनका कोई विस्तृत संदर्भ देना आवश्यक नहीं है। यह.

हमारे संवैधानिक कानून के विकास के प्रारंभिक चरणों में, अनुच्छेद 14 को वर्गीकरण के सिद्धांत के साथ पहचाना जाने लगा क्योंकि विचार यह लिया गया था कि वह अनुच्छेद भेदभाव को मना करता है

और कोई भेदभाव नहीं होगा जहाँ वर्गीकरण

भेद करना दो शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् (i) कि

वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित है जोव्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो एक साथ समूहीकृत हैं

अन्य को समूह से बाहर कर दिया गया है; और (ii) उस अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे विवादित विधायी या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। ई. पी. में यह पहली बार था। रोयप्पा बनाम। तमिलनाडु राज्य, (1974) 2 एस. सी. आर. 328: (1974) 4 एस. सी. सी. 3, कि इस न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के एक नए आयाम को उजागर किया और बताया कि उस लेख में अत्यधिक सक्रिय परिमाण है और यह मनमानेपन के खिलाफ गारंटी का प्रतीक है। हममें से एक (जे. भगवती) के माध्यम से बोलते हुए इस न्यायालय ने कहा: एस. सी. सी पी. 38 : एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) पी. 200 , पैरा 85]

" इसलिए, मूल सिद्धांत जो अनुच्छेद 14 और 16 दोनों को सूचित करता है, वह समानता और भेदभाव के खिलाफ निषेध है। अब, इस महान बराबरी के सिद्धांत की सामग्री और पहुंच क्या है?

बोस, जे., 'जीवन का एक तरीका' के शब्दों का उपयोग करना एक संस्थापक विश्वास है, और इसे एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण या शब्दकोश दृष्टिकोण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। हम इसके सर्वव्यापी दायरे और अर्थ को कम करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन होगा। समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और यह नहीं हो सकता है

" पारंपरिक और सीमित के भीतर घुसा हुआ, केबिन और सीमित

सैद्धांतिक सीमाएँ। सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता है

मनमानेपन के लिए विरोधी। वास्तव में, समानता और मनमानेपन कट्टर दुश्मन हैं; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक से संबंधित है। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और यदि यह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 14

और 16 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर हड़ताल और निष्पक्षता सुनिश्चित करना

और उपचार की समानता "।

यह महत्वपूर्ण और गतिशील पहलू है जो तब तक अव्यक्त था और

अनुच्छेद 14 के कुछ सरल लेकिन गंभीर शब्दों में उलझा हुआ

जैसा कि रोयप्पा मामले (1974) 2 एस. सी. आर. 48 में खोजा गया और प्रकाश में लाया गया: (1974) 4 एस. सी. सी. 3, और इसकी पुष्टि और विस्तार इस लेख द्वारा मेनका गांधी बनाम में किया गया था। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248, यहाँ यह न्यायालय फिर से हम में से एक (भगवती, जे.) के माध्यम से बोल रहा है।

संरक्षित: (एससीसी पीपी। 283-84 , पैरा 7)

" अब तुरंत सवाल उठता है कि अनुच्छेद 14 की आवश्यकता क्या है: इसकी सामग्री और पहुंच क्या है?

इस अनुच्छेद में प्रतिपादित महान बराबरी का सिद्धांत? वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह संविधान का एक संस्थापक विश्वास है। यह वास्तव में वह स्तंभ है जिस पर हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव सुरक्षित रूप से टिकी हुई है। और, इसलिए, इसे एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण या शब्दकोशात्मक दृष्टिकोण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। कोई प्रयास नहीं

इसके सर्वव्यापी दायरे और अर्थ को छोटा किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन करना होगा। समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है।

पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर कैद नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानी पर प्रहार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि

निष्पक्षता और व्यवहार की समानता। का सिद्धांत

तर्कसंगतता, जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से, एक चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

समानता या गैर-मनमानी का आवश्यक तत्व व्याप्त है

अनुच्छेद 14 एक चिंतनीय सर्वव्यापीता की तरह है।

इस न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसे फिर से दोहराया गया।

प्राधिकरण मामला, (1979) 3 एस. सी. सी. 489, पी. 1042 (एस. सी. सी पी. 511) रिपोर्ट का। इसलिए अब यह अच्छी तरह से तय किया जाना चाहिए किअनुच्छेद 14 जिस पर प्रहार करता है वह मनमाना है क्योंकि एक मनमानी कार्रवाई में अनिवार्य रूप से समानता का निषेध शामिल होना चाहिए। अदालतों द्वारा विकसित वर्गीकरण का सिद्धांत व्याख्या नहीं है।

न ही यह अनुच्छेद 14 का उद्देश्य और अंत है। यह है।

केवल यह निर्धारित करने के लिए एक न्यायिक सूत्र कि क्या विधायी

या विचाराधीन कार्यकारी कार्रवाई मनमाना है और इसलिए

अत: जहाँ कहीं भी राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन है, क्यायह अनुच्छेद 12 के तहत विधायिका या कार्यपालिका या किसी "प्राधिकरण" का हो, अनुच्छेद 14 तुरंत अमल में आता है और

इस तरह की राज्य कार्रवाई को रोकता है। वास्तव में, अवधारणा तर्कसंगतता और गैर-मनमानेपन पूरे क्षेत्र में व्याप्त है।

संवैधानिक योजना और एक सुनहरा धागा है जो इसके माध्यम से चलता है

संविधान का पूरा ताना-बाना "।

66. ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्र। , (1974) 4 3 , कार्रवाई में समानता और मनमानेपन की अवधारणा के संबंध में, न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और 16 के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया:

" 85. चुनौती के अंतिम दो आधारों पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि हमने चुनौती के तीसरे आधार को एक अलग और अलग आधार के रूप में तैयार किया है, लेकिन यह वास्तव में सार में है।

और प्रभाव केवल दूसरे आधार के एक पहलू पर आधारित हैअनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन। अनुच्छेद 16 मौलिक गारंटी का प्रतीक है कि सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

किसी कार्यालय में नियुक्ति या नियुक्ति से संबंधित मामलों में

राज्य के अधीन। यद्यपि एक विशिष्ट और स्वतंत्र के रूप में अधिनियमित

एक सिद्धांत के रूप में इसके महान महत्व के कारण मौलिक अधिकार

सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करना जो नए वर्गहीन समतावादी समाज के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है

संविधान में परिकल्पित, अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के अनुप्रयोग का केवल एक उदाहरण है।

[2020] 6 एस. सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 14 जीनस है जबकि अनुच्छेद 16 एक प्रजाति है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार से संबंधित सभी मामलों में समानता के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है। इसलिए, मूल सिद्धांत जो अनुच्छेद 14 और 16 दोनों को सूचित करता है, वह समानता और भेदभाव के खिलाफ निषेध है। अब, इस महान बराबरी के सिद्धांत की सामग्री और पहुंच क्या है? यह एक संस्थापक विश्वास है, शब्दों का उपयोग करनाबोस। जे., "जीवन का एक तरीका", और इसे एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण या शब्दकोश दृष्टिकोण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी का समर्थन नहीं कर सकते।

इसके सर्वव्यापी दायरे और अर्थ को कम करने का प्रयास करना, क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन करना होगा। समानता एक गतिशील है

कई पहलुओं और आयामों के साथ अवधारणा और यह नहीं हो सकता

" पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर रखा गया, कैद किया गया और सीमित किया गया। सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानेपन कट्टर दुश्मन हैं।

एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि दूसरा,

एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक। जहाँ एक अधिनियम है

मनमाना, इसमें यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद का उल्लंघन है।

14 , और यदि यह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और 16 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करते हैं और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करते हैं। वे चाहते हैं कि राज्य की कार्रवाई सभी समान स्थितियों के लिए समान रूप से लागू वैध प्रासंगिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और इसे किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक विचारों द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह होगा

समानता से इनकार करें। जहां राज्य की कार्रवाई के लिए कार्यात्मक कारण, जैसा कि मन के अंतः प्रकोष्ठ से प्रेरित उद्देश्य से अलग है, वैध और प्रासंगिक नहीं है, बल्कि बाहरी है और अनुमेय विचारों के क्षेत्र से बाहर है, तो यह दुर्भावनापूर्ण होगा।

शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग और यह अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा प्रभावित होता है। माला

शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग और मनमानेपन अलग-अलग घातक हैं।

एक ही बुराई से निकलने वाले विकिरण: वास्तव में बाद वाला पहले वाले को समझते हैं। दोनों अनुच्छेद 14 द्वारा बाधित हैं और

16. "

67. मेनका गांधी बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. , (1978) 1 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मौलिक अधिकार अलग और पारस्परिक नहीं हैं।

अधिकार प्राप्त करें। प्रत्येक स्वतंत्रता के अपने आयाम होते हैं। कानून एक और गारंटीकृत स्वतंत्रता की चुनौती का सामना करने की आवश्यकता से मुक्त नहीं है। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले कानून को भी अनुच्छेद 14 और 19 के तहत परीक्षण करना होगा। बहुमत की राय में, जे. बेग ने कहा:

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 202. संविधान के भाग III में निहित विभिन्न मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद पूरी तरह से अलग नहीं हैं।

अधिकारों की धाराएँ जो कई बिंदुओं पर नहीं मिलती हैं। ये सभी संविधान में एक एकीकृत योजना के हिस्से हैं। उनके पानी को मिश्रित होना चाहिए ताकि निर्बाध और निष्पक्ष प्रवाह का निर्माण हो सके।

न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (न केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की, बल्कि संगठन, आंदोलन, व्यवसाय या व्यवसाय के साथ-साथ अधिग्रहण की भी और

उचित संपत्ति का अधिकार), समानता (स्थिति और

अवसर, जो अनुचित या अनुचित की अनुपस्थिति का संकेत देता है

व्यक्तियों, समूहों और वर्गों के बीच भेदभाव) और बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा और एकता का आश्वासन)राष्ट्र), जिसकी कल्पना हमारा संविधान करता है। मानव स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं को उनकी सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए अलग करना न तो यथार्थवादी है और न ही फायदेमंद है, लेकिन इस तरह के संरक्षण के उद्देश्यों को ही पराजित करेगा।

इस भगवती, उन्तवालिया और फजल अली ने कहा:

" अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया की प्रकृति और आवश्यकता

7. अब, सवाल तुरंत उठता है कि क्या है

अनुच्छेद 14 की आवश्यकता: इस लेख में प्रतिपादित महान बराबरी के सिद्धांत की सामग्री और पहुंच क्या है? हो सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संविधान का एक संस्थापक विश्वास है। यह वास्तव में वह स्तंभ है जिस पर हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव सुरक्षित रूप से टिकी हुई है। और, इसलिए, इसे एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण या शब्दकोशात्मक दृष्टिकोण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

इसके सर्वव्यापी दायरे और अर्थ को काटना, क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन करना होगा। समानता एक गतिशील अवधारणा है।

कई पहलुओं और आयामों के साथ और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर नहीं रखा जा सकता है। हमें यहां दोहराना चाहिए कि ई. पी. रोयप्पा बनाम में बहुमत ने क्या बताया था। तमिलनाडु राज्य, (1974) 2 एस. सी. आर. 328, अर्थात्, "सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानेपन कट्टर दुश्मन हैं; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है, जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक से संबंधित है। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है।

और इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 पर प्रहार करता है राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन और [2020] 6 एस. सी. आर. की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपचार। तर्कसंगतता का सिद्धांत, जो कानूनी रूप से भी

दार्शनिक रूप से, समानता या गैर का एक आवश्यक तत्व है

अनुच्छेद 14 में मनमानी सर्वव्यापी होने की तरह व्याप्त है

और अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए। यह "सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए; अन्यथा, यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और

अनुच्छेद 21 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी।

एना अय्यर, जे. ने कहा:

" 96. बार में बार-बार चर्चा की जाने वाली एक कांटेदार समस्या, अनुच्छेद 19 को चालू करना, कुछ न्यायिक प्रतिक्रिया की मांग करता है, हालांकि ओवरलैप से बचना मुझे हमारे सामने प्रचार किए गए अन्य सभी प्रश्नों को छोड़ने के लिए राजी करता है। आर. सी. कूपर, (1970) 3 एस. सी. आर. 530 के हाथों गोपालन निर्णय, जिसमें अनुच्छेद 22 को एक स्व-निहित संहिता में शामिल किया गया था, को दबा दिया गया है। एक तरफ से, उतार-चढ़ाव

मौलिक अधिकारों का भाग्य, जब सर्वहारा औरमालिक ने अदालत में उन पर जोर दिया है, आंशिक रूप से उकसाया है

समाजशास्त्रीय अनुसंधान और न्यायिक शोर में अवचेतन शक्तियों के कार्डोजो थीसिस को हिचकिचाहट से पेश करते हुए जब चक्रीय समीक्षा गोपालन से शुरू होती है, तो इन री केरल शिक्षा विधेयक की ओर बढ़ती है।

1959 एससीआर 995 और फिर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारियों के लिए

एसोसिएशन, (1962) 3 एस. सी. आर. 269, सकल पेपर्स के बाद, (1962) 3 एस. सी. आर. 842, कूपर में शीर्ष पर और उसके बाद बेनेट कोलमैन, (1973) 2 एस. सी. आर. 757 और शंभू नाथ सरकार, (1973) 1 एस. सी. सी. 856। जो भी हो, कानून अब तय हो गया है, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, कि भाग III में कोई भी अनुच्छेद एक द्वीप नहीं है, बल्कि एक महाद्वीप का हिस्सा है और

पूरे भाग का परिप्रेक्षय दिशा और सुधार देता है। इन बुनियादी प्रावधानों की व्याख्या के लिए आवश्यक है। मनुष्य को अलग-अलग अंगों में विच्छेदित नहीं किया जा सकता है और इसी तरह, एक जैविक संविधान में प्रमुख अधिकार, जो मनुष्य को एक संश्लेषण बनाते हैं। यह प्रस्ताव निर्विवाद है कि अनुच्छेद 21, किसी भी स्थिति में, अनुच्छेद 19 को बाहर नहीं करता है यदि दोनों अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।

68. नीलिमा मिश्रा बनाम। हरिंदर कौर पेंटल और अन्य। , (1990)

सी 746, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक प्रशासनिक कार्रवाई, चाहे

सक्रिय, प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक अवैध, अतार्किक नहीं होना चाहिए। जिस चीज को इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसके बारे में गैर-अबाधित खंड को केवल राज्यपाल को एक अधिसूचना के लिए प्रदत्त शक्ति की सीमा के आलोक में आदेश दिया जाना है, ताकि यह आदेश दिया जा सके कि विधायिका का अधिनियम लागू नहीं होगा और चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

अपवाद और संशोधन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ

शक्ति का प्रयोग विधायिका को प्रदत्त विधायी शक्ति की सीमा के भीतर किया जाना है। राज्यपाल को यह निर्देश देने के लिए विशेष नियंत्रण प्रदान किया जाता है कि कोई भी अधिनियम लागू नहीं होगा, जो राज्यपाल द्वारा आदेशित ऐसे अपवादों या संशोधनों के बिना क्षेत्र में अन्यथा लागू या लागू नहीं हो सकता है।

गैर-अवरोधक खंड का प्रभाव:

69. संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) की शुरुआत एक गैर-अस्थाई खंड से होती है। गैर-अवरोधक खंड का क्या प्रभाव पड़ता है?

संविधान के अन्य प्रावधानों पर लागू होने के बारे में क्या? क्या पैरा 5 (1) के प्रावधान अन्य सभी प्रावधानों पर प्रबल हैं

संविधान? क्या संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं और उन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है?

70. "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" शब्दों से शुरू होने वाली पांचवीं अनुसूची के प्रावधान का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता है -

संशोधन शक्ति की सीमाओं से बाहर के प्रावधान को हटाना और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और बुनियादी विशेषताओं के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

71. आर. सी. पौडयाल बनाम भारत संघ और अन्य। , 1994 सप. (1) एस. सी. सी. 324, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या

संविधान (36 वां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा अंत:स्थापित अनुच्छेद 371 एफ का खंड (च) जिसमें सिक्किम राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान है। सिक्किम के राज्यपाल के पास शांति और न्यायसंगत व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक उन्नति और विभिन्न अन्य कार्यों के लिए विशेष जिम्मेदारी है।

प्रावधान किए गए हैं कि अनुच्छेद 371-एफ में अबाधित खंड निहित है, जिसे अनुच्छेद 371 एफ के खंड (एफ) को संशोधन शक्ति की सीमा से बाहर लेने के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय ने राय दी कि:

संविधान शर्तों को लागू करने की शक्ति को सीमित नहीं करता है। लेकिन अनुच्छेद 371-एफ संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अबाधित खंड को अनुच्छेद 371-एफ के खंड (च) को संशोधन शक्ति की सीमाओं से बाहर लेने के रूप में नहीं लिया जा सकता है।स्वयं। अनुच्छेद 371-एफ और अनुच्छेद 2 के खंड (एफ) के प्रावधानों को संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और बुनियादी विशेषताओं के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सुसंगत माना जाना चाहिए।

जातीय समूह पर आधारित विधायिका स्वयं विनाशकारी है लोकतांत्रिक सिद्धांत। दलीलों के गुण चाहे जो भी हों, यह नहीं कहा जा सकता कि उठाए गए मुद्दे गैर-न्यायसंगत हैं।

103. मंगल सिंह बनाम। भारत संघ, (1967) 2 एससीआर 109,112

" जिस शक्ति के साथ संसद को अनुच्छेद 2 और 3 द्वारा निवेशित किया जाता है, वह नए राज्यों को स्वीकार करने, स्थापित करने या उनसे प्राप्त करने की शक्ति है जो इसके अनुरूप हैं -संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक स्वरूप और संसद कानून द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग कर सकती है, वह संविधान द्वारा अनुध्यात किसी राज्य के प्रवेश, स्थापना या गठन के लिए पूरक, आनुषंगिक या परिणामी है, और

संवैधानिक योजना को ओवरराइड करने की शक्ति नहीं "।

104. भले ही अनुच्छेद 371-एफ का खंड (एफ) वैध हो, यदि अनुच्छेद 371-एफ के खंड (एफ) के साथ पठित अनुच्छेद 2 के तहत बनाए गए कानून में निर्धारित नियम और शर्तें संवैधानिक रूप से अनुमेय अक्षांशों से परे हैं, तो उस कानून की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। यह तर्क कि इस तरह के प्रावधानों और प्रभावों का अधिकारकानून गैर-न्यायसंगत हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

72. सिक्किम राज्य में v. सुरेंद्र प्रसाद शर्मा और अन्य। , 4) 5 एस. सी. सी. 282, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जो कानून भारत के संविधान के प्रारंभ से लागू थे, वे लागू रहने के लिए संविधान के भाग III के अनुरूप होने चाहिए। यह न्यायालय

डी:

" 11. उपरोक्त संवैधानिक योजना से जो सामने आता है वह यह है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू कानून संविधान के भाग III के साथ असंगत सीमा को छोड़कर किसी सक्षम विधानमंडल या प्राधिकरण द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित होने तक उसमें लागू रहेंगे। हालांकि, कुछ भी होने के बावजूद

संविधान, संसद को अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 16 (3) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार था। इस प्रकार, संसद कानून द्वारा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की आवश्यकता निर्धारित कर सकती है और यदि ऐसा कानून बनाया जाता है तो अनुच्छेद 16 में कुछ भी इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन के रास्ते में खड़ा नहीं होगा। तब से अनुच्छेद 16 (3) संविधान के भाग III में है, कानून, यदि बनाया जाता है, तो चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

हालांकि, जनता की मांग हिंसक हो गई और चोग्याल को केंद्र सरकार से अच्छी सरकार की जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः, आई. डी. 1 पर, एक तरफ चोग्याल और सिक्किम के राजनीतिक नेताओं के बीच और दूसरी तरफ भारत सरकार के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार सिक्किम के लोगों को कुछ विशेष सुविधाओं का लाभ उठाना था। लोकतांत्रिक अधिकार। इस विकास से पता चलता है कि सिक्किम, जो 1947 तक ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, 3 12-1950 की संधि के तहत भारत के संरक्षित राज्य के भीतर आया और बाद में दसवीं अनुसूची में निर्धारित नियमों और शर्तों पर 35वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2-A को शामिल करके एक सहयोगी राज्य बन गया और इसके तुरंत बाद 36वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2-A को हटा दिया गया और भारत संघ के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा नए जोड़े गए अनुच्छेद 371-F में शामिल नियमों और शर्तों पर प्रदान किया गया। इन संवैधानिक परिवर्तनों को 1975 में उस समझ के आदान-प्रदान में पेश किया जाना था जिस पर सिक्किम भारत के साथ अपने विलय के लिए सहमत हुआ और सिक्किम के एस. सी. आर. की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोग। सिक्किम के विलय के लिए नियम और शर्तें इसलिए अनुच्छेद 371-एफ को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। ”

73. हालांकि, विशेष समझौते के तहत विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 371-एफ (के) में निहित, सिक्किम राज्य में लागू सभी कानूनों को संविधान के तहत चोग्याल के शासन से लोकतांत्रिक नियमों में सुचारू रूप से संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए संशोधित या निरस्त होने तक संरक्षित किया गया था। अनुच्छेद 371-एफ (1) यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे कई मौजूदा कानून संविधान के साथ असंगत हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रतिरक्षा संक्रमणकालीन अवधि में दी गई थी, इस न्यायालय ने सिक्किम राज्य बनाम. सुरेंद्र प्रसाद शर्मा (ऊपर) ने अनुच्छेद 371-एफ में गैर-अड़चन खंड माना और कहा कि लागू कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 13 की कसौटी पर खरा उतरना होगा। यह आयोजित किया गया था:

" 22. अनुच्छेद 371-एफ, जैसा कि पहले कहा गया है, सिक्किम राज्य से संबंधित एक विशेष संवैधानिक प्रावधान है। यह एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होने का कारण यह है कि इसके तुरंत बाद विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट मामलों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की आवश्यकता होती है ताकि ऐसे मामलों को असंवैधानिक के रूप में खारिज न किया जाए।

क्योंकि वे संवैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। जब तक इस तरह की छूट नहीं दी जाती, तब तक 'लागू कानूनों' को संविधान के अनुच्छेद 13 की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता। समान उद्देश्य होने के कारण, मौजूदा कानूनों या लागू कानूनों को अनुच्छेद 371-एफ में जोड़े गए खंड (के) द्वारा संरक्षित किया गया। इसलिए, सिक्किम राज्य में लागू उक्त कानूनों को संविधान के तहत चोग्याल के शासन से लोकतांत्रिक शासन में सुचारू रूप से संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए, संशोधित या निरस्त होने तक संरक्षित किया गया था। खंड (1) में अंतर्निहित यह धारणा है कि ऐसी कई मौजूदा विधियाँ -

संविधान के साथ असंगत और इसलिए, राष्ट्रपति को उक्त नियम को संविधान के अनुरूप बनाने की दृष्टि से अनुकूलन और संशोधन करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई। बेशक, इस शक्ति का प्रयोग नियत दिन से दो साल के भीतर किया जाना था। यदि इससे पहले प्रचलित कानून में कोई अनुकूलन या संशोधन किया जाता है

नियत दिन, कानून इस तरह के अनुकूलन और संशोधन के अधीन लागू होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा किया गया अनुकूलन और संशोधन नहीं है।

अनुच्छेद 371-एफ के खंड (के) के अर्थ के भीतर लागू कानून का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए, उक्त प्रावधान की सरल भाषा पर यह मानना मुश्किल है कि इसका प्रभाव चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

अनुकूलन या संशोधन का अर्थ है कानून को 'लागू कानूनों' के दायरे से बाहर निकालना।

74. संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) में निहित गैर-अस्थाई खंड का अर्थ है कि राज्यपाल इन क्षेत्रों में शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 245 में निहित प्रावधानों के बावजूद, संसद को कानून और विधायिका बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

राज्य से। संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि इसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन होगा।

75. श्रीमती में गैर-बाध्यकारी खंड पर भी विचार किया गया है। परायणकंडियाल एरावथ कनप्रवन कल्लियानी अम्मा और अन्य। वी. के.

देवी और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1963 जिस संदर्भ और उद्देश्य के लिए इसे तैयार किया गया है, उसके दायरे पर विचार किया जाना चाहिए।

76. पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में। और एनर. वी. भारतीय रिजर्व बैंक, (1992) 2 एस. सी. सी. 343, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा कि

मौलिक अधिकारों को बनाए रखा जाता है और विधायिका को असीमित शक्ति के साथ निवेश नहीं किया जाता है। न्यायालय को क्रमिक अतिक्रमण से बचाव करना है और जैसे ही यह अधिकार के कुल उल्लंघन के परिमाण तक पहुंचता है, प्रतिबंध को हटा देना है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

मौलिक अधिकार, यह असंवैधानिक हो जाता है, लेकिन वहां नहीं जहां प्रभाव केवल दूर से संभव या आकस्मिक हो। न्यायालय को कानून के वास्तविक स्वरूप और प्रकृति की खोज करने के लिए रूप और उपस्थिति का पर्दा उठाना चाहिए, और मौलिक अधिकार की प्रभावशीलता के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। बनाए रखा जाता है और विधायिका को असीम शक्ति के साथ निवेश नहीं किया जाता है। इसलिए, न्यायालय को हमेशा [2020] 6 एस. सी. आर. से बचाव करना पड़ता है।

धीरे-धीरे अतिक्रमण करें और जैसे ही यह अधिकार के पूर्ण विनाश के परिमाण तक पहुंचता है, प्रतिबंध को हटा दें।

77. यदि प्रत्यर्थी की ओर से उठाया गया तर्क स्वीकार किया जाता है कि राज्यपाल के पास निरंकुश शक्ति है, इसके बावजूद

संविधान के भाग III में निहित प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 13 निरर्थक हो जाता है। न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति

और विधायिका महत्वहीन हो जाएगी। विधायिका या राज्यपाल को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्य करने की कोई शक्ति नहीं है, और वे संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों का अपमान करते हुए कोई कानून नहीं बना सकते हैं। चंदावरकर एस. आर. राव बनाम। आशालता एस. गुरम, (1986) 4 एस. सी. सी. 447 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अ-अ-अ-

78. राज्यपाल को इससे निपटने की शक्ति प्रदान की जाती है

अनुसूचित क्षेत्र। इसका उद्देश्य संविधान पर हावी होना नहीं है। राज्यपाल की शक्ति संसद और राज्य की विधायी शक्ति के साथ समान है। विधायी शक्ति का प्रयोग संसद या राज्य द्वारा भाग III के प्रावधानों के अधीन किया जा सकता है।

इन रे: प्रश्न संख्या 1 (घ): क्या संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत शक्ति का प्रयोग किसी भी समानांतर को ओवरराइड करता हैअनुच्छेद 371 डी के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग?

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

79. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 371 डी को आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर सार्वजनिक रोजगार में भौगोलिक असमानता को देखते हुए लागू किया गया था। राज्य के कुछ जिलों/क्षेत्रों के उम्मीदवार बड़ी संख्या में सार्वजनिक पदों पर कब्जा करते हैं। अनुच्छेद 371 डी राज्य सरकार से राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए विभिन्न स्थानीय संवर्गों में राज्य में पदों के वर्ग या वर्गों का पुनर्गठन करने की अपेक्षा करता है। 1975 का राष्ट्रपति आदेश स्थानीय संवर्ग के लिए एक इकाई के रूप में जिला/क्षेत्र प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। जबकि, जी. ओ. ने प्रावधान किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों के सभी पद

80. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जिले में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवार बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, और वे सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने के अवसर से वंचित हैं। विवादित गो। शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने से भी गैर-अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पूरे अवसर को छीन लेता है। इस प्रकार, विवादित जी. ओ. संविधान के अनुच्छेद 371 डी का उल्लंघन करता है और असंवैधानिक है। राज्यपाल पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह से अधिसूचना जारी नहीं कर सकते थे, जो अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के विपरीत है। राज्यपाल पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है और संविधान के अनुच्छेद 371 डी के प्रावधानों को संशोधित या ओवरराइड नहीं कर सकता है। 81. प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति के आदेश और जारी की गई विवादित अधिसूचना में कोई असहमति नहीं है

राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 371 डी भी गैर-अबाधित खंड से शुरू होता है और जहां तक संभव हो, गैर-अबाधित खंड के बीच संघर्ष होना चाहिए।

जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड v में निर्धारित दो परस्पर विरोधी गैर-बाधा खंडों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के माध्यम से हल किया जाए। उद्योग सुविधा परिषद और एएनआर।, (2006) 8 एससीसी 677:

" 28. दोनों अधिनियमों में अबाधित खंड हैं। निर्माण का सामान्य नियम यह है कि जहां दो गैर-अवरोधक खंड हैं, वहां बाद वाला प्रबल होगा। लेकिन यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि अंतिम निष्कर्ष क़ानून के सीमित संदर्भ पर निर्भर करेगा। (इलाहाबाद बैंक, (2000) 4 एस. सी. सी. 406, पैरा 34 देखें।

29. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम। राम लाल, (2005) 2 एस. सी. सी. 638

देखा गया: (एस. सी. सी पी. 653, पैरा 39)

" 39. श्री दास द्वारा प्रस्तावित 1947 के अधिनियम की धारा 25-जे की व्याख्या को भी इस मायने में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसके संदर्भ में केवल उक्त अध्याय के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि इसके साथ कुछ भी असंगत है।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के तहत किए गए स्थायी आदेशों सहित किसी अन्य कानून में निहित है, लेकिन इसका उस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा जहां वैधानिक योजना के संदर्भ में कुछ अलग परिकल्पना की गई है। एक लाभकारी क़ानून, जैसा कि सर्वविदित है, उदार निर्माण प्राप्त कर सकता है लेकिन वही

वैधानिक योजना से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

30. सरवन सिंह बनाम। कस्तूरी लाल, (1977) 1 एस. सी. सी. 750, यह

अदालत ने कहा: (एस. सी. सी पी. 760, पैरा 20)" जब दो या दो से अधिक कानून एक ही क्षेत्र में काम करते हैं और प्रत्येक

इसमें एक गैर-बाध्यकारी खंड है जिसमें कहा गया है कि इसके प्रावधान किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों को ओवरराइड करेंगे, जो कि की उत्तेजक और तीखी समस्याएं हैं।

व्याख्या उत्पन्न होती है। चूँकि वैधानिक व्याख्या में कोई नहीं हैपारंपरिक प्रोटोकॉल, इस तरह के संघर्ष के मामलों को तय करना होगा

विचार करें "। 31. हालाँकि, न्यायालय का प्रयास हमेशा यह होगा कि

सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम अपनाएँ।

यह निर्धारित किया गया था कि न्यायालय का प्रयास हमेशा सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को अपनाना होगा, और गैर-अवरोध खंड

संसद के इरादे के अनुसार प्रभाव दिया जाना चाहिए, न कि उससे आगे। यह भी आग्रह किया गया कि यदि बाद वाला प्रावधान पहले के प्रावधान के विपरीत सामान्य पाया जाता है, जो एक विशेष प्रावधान

है, तो पहले का प्रावधान प्रबल होगा। रिलायंस को महाराष्ट्र ट्यूबों पर भी रखा गया है।लिमिटेड वी. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. , (1993) 2 एससीसी 144। प्रावधानों में अंतर्निहित नीति पर विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि जय इंजीनियरिंग वर्क्स (उपरोक्त) में देखा गया है।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जारी अधिसूचना शिक्षकों के लिए जिला/क्षेत्रीय संवर्ग बनाती है। राज्यपाल के आदेश ने अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों के पदों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया। उपरोक्त अधिसूचना के बीच कोई सख्त टकराव नहीं है, और सामंजस्यपूर्ण निर्माण संभव है।

82. उत्तरदाताओं की ओर से आगे यह आग्रह किया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 1956 में पुनर्गठित किया गया था, और इन क्षेत्रों का हिस्सा

हैदराबाद राज्य में पड़ने वाले, तेलंगाना के रूप में जाने जाने वाले तेलुगु भाषी क्षेत्रों का आंध्र प्रदेश में विलय हो गया। तेलंगाना क्षेत्र में, मुल्की नियम प्रचलित हैं, जो सार्वजनिक रोजगार के लिए आवश्यकता के रूप में निवास प्रदान करते हैं। पुनर्गठन के बाद, केंद्र सरकार ने अधिनियम बनाया

ए. पी. सार्वजनिक रोजगार (निवास के रूप में आवश्यकता) अधिनियम, 1957, इसे जारी रखने के लिए। अनुच्छेद 16 (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में चुनौती दिए जाने पर, यह न्यायालय नरसिम्हा राव बनाम. ए. पी. राज्य, (1969) 1 एस. सी. सी. 839 ने राय दी कि निवास की आवश्यकता असंवैधानिक है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन हुआ। संसद ने अनुच्छेद 371 डी को शामिल करके संविधान में संशोधन किया। राष्ट्रपति को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों को शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के लिए एक आदेश जारी करने का अधिकार देना। राष्ट्रपति आदेश के पैरा 3 के तहत, राज्य में सिविल पदों को स्थानीय कैडरों पर आयोजित किया जाना था, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क और समकक्ष गैर-राजपत्रित श्रेणी और प्रत्येक विभाग में राजपत्रित और गैर-राजपत्रित श्रेणी मौजूद थी। राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 4 और 5 में प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों को स्थानीय संवर्गों/क्षेत्रों में आवंटित किया जाए, जो सभी उद्देश्यों के लिए एक इकाई होगी। राष्ट्रपति आदेश के पैरा 6 के तहत, स्थानीय क्षेत्रों को विभिन्न पदों के लिए आधार होना चाहिए जो सभी सिविल पदों के लिए जिला/क्षेत्र, बहु क्षेत्र और राज्य भर में स्थानीय क्षेत्र बनाते हैं। पैरा 8 स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 371 डी (10) में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों को चुनौती से मुक्त करने के लिए गैर-अबाधित खंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 डी का संचालन स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करने और विभिन्न प्रतिशत के लिए भी सीमित है।

स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। पैरा 6 (1) के अधीन प्रत्येक जिले को स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा। यह कार्रवाई अनुच्छेद 371 डी का उल्लंघन नहीं है। उत्तरदाताओं की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति ने अवसर की समानता को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 371 डी के तहत अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना अनुसूचित क्षेत्रों या रोजगार से संबंधित नहीं थी

अनुसूचित क्षेत्रों में अवसर। अनुच्छेद 371 डी के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई भी अधिसूचना विवादित अधिसूचना से टकराती या टकराव में नहीं है।

[2020] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रपति की अधिसूचना या गैर-स्थानीय क्षेत्र संवर्ग के अपवर्जन के अर्थ में स्थानीय क्षेत्रों को दी गई प्राथमिकताएं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करेंगी, जिसके लिए संदीप और अन्य पर निर्भरता रखी गई है। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2016) 2 एस. सी. सी. 328, डॉ. फजल गफूर बनाम। प्राचार्य, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद और

ओआरएस। , (1988) 4 एस. सी. सी. 532, डॉ. फजल गफूर बनाम। भारत संघ और ओआरएस। , (1988) सप. एस. सी. सी. 794, एन. टी. आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा बनाम जी. बाबू राजेंद्र प्रसाद और अन्र। , (2003) 5 एससीसी

350. इसी तरह का तर्क, जो अनुच्छेद 14 और 371 डी पर लागू होता है, इस संदर्भ में भी प्रासंगिक है कि राज्यपाल पांचवीं अनुसूची के तहत क्या करता है। नतीजतन, राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अधिक समानता के लिए जो किया है, उसे दोष नहीं दिया जाएगा।

83. अनुच्छेद 371 डी में अबाधित खंड पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 में अबाधित खंड को निरस्त नहीं करेगा। दो संवैधानिक प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। अनुच्छेद 371 डी को अधिनियमित नहीं किया गया था

पाँचवीं अनुसूची पर एक सुपर इम्पॉसिशन हो। गैर-अबाधित खंड के संबंध में विधानों या प्रावधानों का उद्देश्य और उद्देश्य अलग हैं। इस प्रकार, अदालत को कोई टकराव नहीं दिखाई देगा। आर. एस. रघुनाथ बनाम का संदर्भ दिया गया है। कर्नाटक राज्य और अन्य। , (1991) सप. 1 एससीआर 387, सरवन सिंह और अन्य। वी. कस्तूरी लाल, (1977) 2 एससीआर 421, सांवरमल केजरीवाल बनाम। विश्व सहकारी आवास सोसायटी लिमिटेड। और ओआरएस। , (1990) 1 एस. सी. आर. 862, द साउथ इंडिया कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड बनाम। सचिव, राजस्व बोर्ड त्रिवेंद्रम और अन्य। , (1964) 4

एस. सी. आर. 280 और डॉ. फजल गफूर बनाम। प्राचार्य, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद और अन्य। , (1988) 4 एससीसी 532। 84. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371-डी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 371-डी के उपखंड 1,2 और 10 को नीचे निकाला गया है:

" 371 डी. आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। - (1) राष्ट्रपति कर सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, प्रत्येक राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे राज्य के विभिन्न हिस्सों से संबंधित लोगों के लिए समान अवसरों और सुविधाओं के लिए, सार्वजनिक रोजगार के मामले में और शिक्षा के मामले में, और विभिन्न प्रावधान प्रदान किए जाते हैं।

राज्यों के विभिन्न हिस्सों के लिए बनाया जा सकता है।

(2) खंड (1) के तहत किया गया आदेश, विशेष रूप से, चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस हो सकता है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

(क) राज्य सरकार से सिविल सेवा में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों या राज्य के तहत सिविल पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों को अलग-अलग पदों के लिए विभिन्न स्थानीय संवर्गों में व्यवस्थित करने की अपेक्षा करता है।

राज्य के भाग और ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार आवंटन जो व्यक्तियों को आदेश में निर्दिष्ट किया जाए इस प्रकार संगठित स्थानीय कैडरों के लिए ऐसे पद धारण करना;

(ख) राज्य के किसी ऐसे भाग या भाग को निर्दिष्ट करें जिसे स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा -(i) किसी भी स्थानीय संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए (चाहे वह इस अनुच्छेद के तहत किसी आदेश के अनुसरण में आयोजित किया गया हो या

राज्य सरकार के अधीन) अन्यथा गठित;

((ii) किसी भी स्थानीय संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए।

राज्य के भीतर प्राधिकरण; और

((ग) राज्य के भीतर किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के उद्देश्यों के लिए जो विषय है।

राज्य सरकार के नियंत्रण में;

(ग) किस हद तक, किस तरीके से और किन शर्तों के अधीन वरीयता या आरक्षण दिया जाएगा या किया जाएगा, यह निर्दिष्ट करें।

((i) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, जो आदेश में इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए;

((ख) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में, जो हो सके।

आदेश में इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए,

उन उम्मीदवारों को या उनके पक्ष में जिन्होंने स्थानीय क्षेत्र में ऐसे संवर्ग, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान के संबंध में क्रम में निर्दिष्ट किसी भी अवधि के लिए निवास किया है या अध्ययन किया है। बनो।

(3) x x x

10) इस अनुच्छेद के प्रावधान और इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी आदेश के प्रावधान इस संविधान के किसी अन्य प्रावधान या किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे। उस समय लागू है। "[2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 371 डी में निहित प्रावधानों को संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973, डब्ल्यू. ई. एफ. 1.7.1974 द्वारा जोड़ा गया था और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसमें और संशोधन किया गया है।

2014 , आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए लागू।

85. राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 371-डी (1) और (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार नामक आदेश जारी किया।

(स्थानीय संवर्गों का संगठन और प्रत्यक्ष भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975। पैरा 3 में स्थानीय कैडरों के संगठन का प्रावधान किया गया है। जिला को एक इकाई के रूप में या 3 या 4 जिलों को एक क्षेत्र के रूप में लेते हुए स्थानीय संवर्गों में विभिन्न श्रेणियों में भर्ती की जानी है। स्थानीय क्षेत्र को पैरा 6 (1) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" स्थानीय क्षेत्र: (1) प्रत्येक जिले को एक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा।(i) राज्य सरकार के तहत किसी भी स्थानीय संवर्ग में सभी या किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए।

उस जिले का विभाग जो कनिष्ठ सहायकों की श्रेणी से संबंधित है या इसके समकक्ष या उससे कम किसी अन्य श्रेणी से संबंधित है।

कनिष्ठ सहायक का।

(ii) उस जिले के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी भी संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए, जिसमें न्यूनतम वेतन की बिक्री एक कनिष्ठ सहायक के वेतन के न्यूनतम पैमाने या उस राशि से अधिक एक निश्चित वेतन से अधिक नहीं है। " शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए, एक जिला एक इकाई है।

पैरा 7 स्थानीय उम्मीदवारों को परिभाषित करता है। पैरा 8 में कहा गया है कि 80 प्रतिशत

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या। विभिन्न स्थानीय संवर्गों में भर्ती का मामला अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के प्रावधानों के अनुसार होना आवश्यक है। शिक्षकों की भर्ती की जानी है जिसके लिए जिला एक इकाई है।

86. डॉ. सी. सुरेखा बनाम. भारत संघ, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 44, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 371 डी संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध नहीं है। डॉ. फजल गफूर बनाम में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया है। भारत संघ, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 48.

87. यह न्यायालय वी. जगन्नाथ राव और अन्य में है। वी. एपी का राज्य

और ओआरएस। , (2001) 10 एस. सी. सी. 401 ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान का अनुच्छेद 371 डी (1) स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त अनुच्छेद और द्वारा किया गया कोई भी आदेश इसके अधीन राष्ट्रपति का प्रभाव किसी भी मामले में कुछ भी होने के बावजूद होगा।

संविधान का अन्य प्रावधान या उस समय लागू कोई अन्य कानून। न्यायालय ने टिप्पणी की:

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

राष्ट्रपति का आदेश। शुरुआत में, यह देखा जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 371-डी (10) स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त अनुच्छेद और राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई भी आदेश इसके तहत किसी भी चीज के बावजूद प्रभाव होगा

संविधान के अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून में। इसलिए, यदि आवश्यक रूप से यह माना जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि राष्ट्रपति का आदेश अन्य इकाइयों से फीडर श्रेणी के कर्मचारियों के विचार को प्रतिबंधित करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए ऐसे नियम को निरस्त करना होगा। फिर राष्ट्रपति आदेश के पैरा 5 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि राज्य सरकार कोई प्रावधान करती है, जो है -

आदेश के पैरा 5 (2) के तहत सरकार के अधिकार के दायरे से बाहर, तो उक्त प्रावधान भी होना चाहिए गिरा दिया। संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों को उपरोक्त दृष्टिकोण से समझने के बाद, यह निष्कर्ष अटूट है कि उक्त नियम

न्यायाधिकरण द्वारा इंगित सीमा संवैधानिक रूप से अमान्य है और इसका निष्कर्ष अनुपलब्ध है। हाथ में मामले में, विवादित प्रावधान राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 5 (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग में तैयार नहीं किए गए प्रतीत होते हैं और इस तरह

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाया गया एक नियम होने के नाते, राष्ट्रपति का आदेश प्रबल होगा, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371-डी (10) के तहत प्रदान किया गया है।

भले ही [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे अनुच्छेद 5 (2) के तहत किया गया आदेश माना जाता है।

राष्ट्रपति का आदेश, तब भी वही अमान्य होगा

उक्त अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई अनुमेय सीमाओं से परे।

जिस हद तक यह कर्मचारियों के विचार के लिए प्रावधान करता है कारखानों और बॉयलर इकाइयों को अमान्य होने के उद्देश्य से

श्रम इकाई में उच्च पद पर पदोन्नति और इस तरह हम

उक्त निष्कर्ष में हमारे हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायाधिकरण और इस न्यायालय के पूर्व निर्णय मेंदयानंदम मामला, 1989 सप. (1) एस. सी. सी. 574, को आयोजित किया जाना चाहिए

सही ढंग से तय नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप यह होगा कि

सत्यनारायणा राव मामला, (2000) 4 एस. सी. सी. 262।"

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

88. एस. प्रकाश राव और अन्र में। वी. के आयुक्त

वाणिज्यिक कर और अन्य। , (1990) 2 एस. सी. सी. 259, इस न्यायालय ने राय दी कि

राष्ट्रपति अनुच्छेद 371 डी (1) और (2) के तहत आदेश देता है,

सरकार संबंधित मामलों से निपटने की अपनी अंतर्निहित शक्ति खो देती है।

अन्यथा, यह उन मामलों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनसे निपटा जाता है

केवल क्रम में निर्दिष्ट तरीके से ऋण आदेश। यह न्यायालय वेद:

" 19. यह देखा गया है कि आदेश शक्ति के अनुसार किया गया था

अनुच्छेद 371-डी के तहत राष्ट्रपति को दिया गया, जो एक विशेष अधिकार है।

ऐतिहासिक कारणों से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशिष्ट अधिनियम, 1973 पृष्ठभूमि. इसलिए, राज्य सरकार के पास कोई अंतर्निहित नहीं है

एक क्षेत्र बनाने या क्षेत्रों के भीतर स्थानीय संवर्ग के आयोजन में शक्ति

प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन और प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विनियमन) आदेश। यह सच है कि खंड

' या पैराग्राफ 2 (ई) में परिभाषित 'अन्यथा गठित' व्यापक है

आयात, लेकिन केवल राष्ट्रपति द्वारा दी गई शक्ति से संबंधित है

राज्य सरकार स्थानीय संवर्ग का आयोजन करेगी। अनुच्छेद 3 (1) है

उस शक्ति का स्रोत, लेकिन उसके अभ्यास के साथ हेज किया जाता है

शुरू होने की तारीख से बारह महीने की सीमा

सिविल सेवाओं के पद, और सिविल पदों के वर्ग या वर्गों, के तहतराज्य को विभिन्न स्थानीय संवर्गों में प्रयोग किया जाना चाहिए

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओ. आर. एस. से पहले अनुच्छेद 3 (1) के अनुसार राज्य सरकार।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

20 अक्टूबर, 1975 से बारह महीनों की समाप्ति। यदि शक्ति का प्रयोग सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से सामान्य खंड अधिनियम के तहत प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय संवर्गों को संगठित करने में समय-समय पर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। सीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग पर लगाई गई एक बाधा है। जाहिर है, इस वास्तविकता और स्थानीय कैडरों को संगठित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, इसके बाद संशोधन किया गया और 24 जनवरी, 1981 को जी. ओ. एम. संख्या 34 जी. ए. में प्रकाशित किया गया।

अनुच्छेद 3 (1)। इसके तहत, उक्त अवधि की समाप्ति के बावजूद, अकेले राष्ट्रपति को राज्य के तहत सिविल सेवाओं और सिविल पदों के वर्ग या वर्गों में पदों के वर्ग या वर्गों के संबंध में स्थानीय कैडर को

संगठित करने की शक्ति दी गई है। वह भी उसमें पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन। इस प्रकार, केवल राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को ही परंतुक के तहत शक्ति दी गई है -

राज्य सरकार को स्थानीय व्यवस्था करने की आवश्यकता के लिए एक आदेश

विभिन्न स्थानीय संवर्गों में राज्य के अधीन सिविल सेवाओं और सिविल पदों के वर्ग या वर्गों में पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों के संबंध में संवर्ग। इसे एक और दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पैराग्राफ 2 (ई) इंगित करता है कि राष्ट्रपति स्वयं राज्य सरकार को स्थानीय कैडर को संगठित करने की आवश्यकता के बजाय एक स्थानीय कैडर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैराग्राफ 3 (6) ने राष्ट्रपति को हैदराबाद शहर के लिए स्थानीय कैडर बनाने का अधिकार दिया। इसी तरह,

पैराग्राफ 3 (1) के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार से किसी क्षेत्र के भीतर एक स्थानीय संवर्ग बनाने की मांग कर सकते हैं। इसलिए वाक्यांश 'या अन्यथा गठित' को राष्ट्रपति आदेश की योजना के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम बोलचाल में 'अन्यथा' शब्द 'विस्तृत' आयाम का है। के. के. कोचुनी बनाम में यह न्यायालय। मद्रास और केरल राज्य,

ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1080, जे. सुब्बा राव, जैसा कि वे उस समय थे, के अनुसार बोल रहे थे।

पैराग्राफ 50 में 'अन्यथा' शब्द का अर्थ लगाते हुए बहुमत यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह अधिकार या अनुबंध के अनुरूप चीजों जैसे कि खोए हुए अनुदान, प्राचीन उपयोगकर्ता आदि तक ही सीमित होना चाहिए। संदर्भ में 'अन्यथा' शब्द का अर्थ केवल वही है जो रखरखाव की प्राप्ति का मूल हो सकता है। इसके तहत अनुपात को इस मामले में तथ्यों पर प्राप्त प्रासंगिक परिस्थितियों में नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह, लीलावती बाई बनाम। बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 521, जे. सिन्हा, जैसा कि वे उस समय थे, बॉम्बे लैंड [2020] 6 एस. सी. आर. की धारा 6 के स्पष्टीकरण (ए) की व्याख्या करने वाली संविधान पीठ के लिए बोल रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुरोध अधिनियम, 1948, जैसा कि 1950 में संशोधित किया गया था और इजसडेम जेनरिस सिद्धांत के अनुप्रयोग को रोकने के लिए इस प्रकार कानून बनाया गया था:

" विधायिका 'या अन्यथा' शब्दों का उपयोग करके बचने के सभी रास्तों को रोकने के लिए सतर्क और पूरी तरह से काम कर रही है। वे शब्द सीमा के शब्द नहीं हैं, बल्कि विस्तार के हैं ताकि उन सभी संभावित तरीकों को शामिल किया जा सके जिनमें एक रिक्ति हो सकती है।

आम तौर पर एक किरायेदार का अपने परिसर पर कब्जा तब समाप्त हो जाता है जब पक्षकारों के कार्यों या कानून के संचालन या मकान मालिक द्वारा बेदखल या किरायेदार के हित के असाइनमेंट या हस्तांतरण द्वारा

उसकी किरायेदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन विधायिका, जब उसने 'या अन्यथा' शब्दों का उपयोग किया, तो स्पष्ट रूप से अन्य मामलों को शामिल करने का इरादा था जो पूर्ववर्ती के अर्थ के भीतर नहीं आ सकते हैं।

खंड, उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जहां किसी तीसरे पक्ष द्वारा अतिक्रमण के परिणामस्वरूप किरायेदार का व्यवसाय समाप्त हो गया है। द.

हमारी राय में, विधायिका का उद्देश्य किसी भी कारण से रिक्त होने के सभी संभावित मामलों को शामिल करना है।

एक संवर्ग जब आदेश के पैराग्राफ 3 (1) के तहत एक क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के पदों के संबंध में एक से अधिक संवर्ग मौजूद हों। यह स्पष्ट हो जाता है जब हम पैराग्राफ 3 (7) में भाषा को देखते हैं।जो कहता है: " इस आदेश की कोई भी बात राज्य को संगठित करने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के लिए उपायुक्त, वाणिज्यिक करों, वरिष्ठ चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस के लिए स्थानीय संवर्ग के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ स्थानीय संवर्ग सह-टर्मिनस का निर्माण करते समय लें।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

सहायक बनाए जा सकते हैं। इसे निर्देशों द्वारा भी प्रकट किया जाता है।

7 और जी. ओ. एम. संख्या 728 जी. ए. डी. में निहित निर्देशों के 9 (ई)

प्रशासनिक सुविधा का उद्देश्य, न कि उद्देश्य के लिएभर्ती, वरिष्ठता या पदोन्नति आदि, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार,

हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि एक विभाजन का निर्माण और

कनिष्ठ सहायकों और वरिष्ठों की अलग वरिष्ठता बनाए रखना

आदिलाबाद और वारंगल संभागों के सहायक इसके विपरीत अवैध हैं।

जी. ओ. एम. संख्या 581 और आंध्र प्रदेश में जारी आदेश

रोजगार (स्थानीय संवर्ग का संगठन और स्थानीय संवर्ग का नियमन)

प्रत्यक्ष भर्ती) आदेश, 1975। एकल सदस्य

1 अप्रैल, 1982 के आर. पी. सं. 101 में न्यायाधिकरण ने विचार नहीं किया।

उचित परिप्रेक्षय में आदेश का प्रभाव और अवैध है।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान का प्रबल प्रभाव होगा

अन्य प्रावधानों की विषय वस्तु के संबंध में कोई संबंध है।

89. विचार करने के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कोई है

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल के आदेश के तहत जारी राष्ट्रपति आदेश और 2000 की जी. ओ. सुश्री संख्या 3 के बीच संघर्ष। सार्वजनिक रोजगार में भौगोलिक असमानता को ध्यान में रखते हुए संविधान में अनुच्छेद 371 डी जोड़ा गया था।स्थानीय संवर्ग बनाने के लिए कुछ जिलों/क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्रदान करना

राज्यों के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग पदों के लिए। राष्ट्रपति का आदेश स्थानीय संवर्ग के लिए जिला/क्षेत्र प्रदान करने के लिए जारी किया गया था, दूसरी ओर राज्यपाल द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के सभी पदों को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में जिले/क्षेत्र के इच्छुक उम्मीदवार जिले में शिक्षकों के पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 100 प्रतिशत आरक्षण G.O.Ms के माध्यम से किया गया था। राज्यपाल द्वारा 2000 का सं. 3। यह भी विवादित नहीं है कि इच्छुक उम्मीदवार संविधान के अनुच्छेद 371 डी के तहत प्रतिबंधों के कारण जिले/क्षेत्र के बाहर आवेदन नहीं कर सकते हैं। चूंकि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, इसलिए अनुसूचित जाति, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अन्य उम्मीदवार अन्य जिलों में आवेदन नहीं कर सकते हैं। उन्हें नौकरी पाने के अवसर से वंचित किया जा रहा है।

विचाराधीन पदों के खिलाफ। इस प्रकार, राज्यपाल द्वारा जारी आदेश स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के विपरीत है। अनुसूचित [2020] 6 एस. सी. आर. को छोड़कर स्थानीय क्षेत्रों के उम्मीदवार या अन्य उम्मीदवार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनजातियों को जनता की तलाश करने के अवसर से वंचित किया गया हैराज्यपाल द्वारा जारी आदेश के कारण रोजगार, और वे राष्ट्रपति की अधिसूचना को देखते हुए स्थानीय क्षेत्र के बाहर आवेदन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अधिसूचना का उद्देश्य है कि उन्हें जिले के भीतर आवेदन करना होगा, और राज्यपाल की अधिसूचना उस अधिकार को छीन लेती है। इस प्रकार, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के बीच स्पष्ट असहमति है।

संविधान की पैरा 5, पाँचवीं अनुसूची के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश। दोनों अधिसूचनाओं में सामंजस्य स्थापित करना संभव नहीं है। इसके अलावा, पूरी तरह से अभाव है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि राष्ट्रपति के आदेश से निपटा नहीं गया था

अनुसूचित क्षेत्र। राष्ट्रपति का आदेश पूरे राज्य पर लागू होता है और एक विशेष प्रावधान बनाया जाता है जो एक गैर-अबाधित खंड के साथ लागू होता है।

90. राज्यपाल एक ऐसा आदेश जारी करने के लिए सक्षम है जो राष्ट्रपति के आदेश के विपरीत न हो। राज्यपाल ने यह आदेश तब जारी किया जब पूरे राज्य में राष्ट्रपति का आदेश पहले से ही लागू था। राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश का अपमान करते हुए आदेश जारी नहीं कर सकते थे। हमारी राय में, 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करता है।

इन रे: प्रश्न संख्या 2: क्या संविधान के तहत 100% आरक्षण की अनुमति है?

91. संविधान ने न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं ने बहुत सावधानी और विचार-विमर्श किया है ताकि यह उच्च उद्देश्य और महान उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कर सके। इसका उद्देश्य शोषण से मुक्त एक समतावादी व्यवस्था का निर्माण करना, मनुष्यों की मौलिक समानता और समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना और जहां से सुरक्षात्मक भेदभाव प्रदान करके उन्हें समान बनाने के लिए असमानता हो। इतिहास में संविधान दृष्टिकोण समानता प्रदान करने के पक्ष में है और उन उद्देश्यों को संविधान द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उनकी सामाजिक मुक्ति के लिए एक सुरक्षात्मक छत्र प्रदान करके और उन्हें समान न्याय प्रदान करके, आरक्षण उपायों के माध्यम से उनकी मदद करके समानता का अधिकार सुनिश्चित करके विशेष सुरक्षा प्रदान करके प्राप्त करने की मांग की गई है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। चाहे वह राज्य की उदारता के वितरण का मामला हो; सरकार संवैधानिकता का पालन करने के लिए बाध्य है।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

राज्य की कार्रवाई मनमाना और भेदभावपूर्ण नहीं हो सकती है और इसे बाहरी विचारों द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है, जो समानता के खिलाफ है। समानता की अवधारणा कार्रवाई में मनमानेपन का विरोधी है। समानता का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून नहीं हो सकता है, जो संविधान के भाग III में निहित समानता की मूल अवधारणा का उल्लंघन करता हो। प्रशासनिक आदेश का परीक्षण मनमानी के आधार पर किया जाना चाहिए। विधायिका की कोई भी कार्रवाई, प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक, चुनौती के लिए खुली है यदि यह संविधान या अधिनियम और लागू सामान्य सिद्धांतों के साथ टकराव में है।

कानून से। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ सुरक्षात्मक भेदभाव की अनुमति है, जैसा कि एम. पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ए. एन. आर. में माना गया है। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। , (1997) 7 एससीसी 592। सरकार के कहने पर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गईं।

रॉयल्टी की रियायती दर पर साल के बीजों की आपूर्ति के लिए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया था। उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

उचित है।

92. समानता की अवधारणा को एक और गलत करने के लिए नहीं दबाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा निहित है

93. अनुच्छेद 14 को निदेशक सिद्धांतों के आलोक में समझा जाना चाहिए, जैसा कि इंद्र साहनी (ऊपर) में देखा गया है। किया गया वर्गीकरण अनुचित नहीं हो सकता है। यह एक उचित आधार पर आधारित हो सकता है। यह मनमाना नहीं हो सकता है लेकिन तर्कसंगत होना चाहिए। यह बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए और इच्छित वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।हासिल किया। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें अनुच्छेद 14 ने अपनी पहुंच और दायरे को बढ़ाया है। यह प्रावधान बहुत गहरा और व्यापक है। यह समानता लाने के लिए भेदभाव की बुराई को मार देता है।

94. संविधान का अनुच्छेद 15 इन आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है -

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 (4) में प्रावधान है कि -राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी तरह, अनुच्छेद 15 (5) राज्य को विशेष प्रावधान [2020] 6 एस. सी. आर. बनाने में सक्षम बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निजी सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए

शैक्षणिक संस्थान, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त। अनुच्छेद 15 (6) राज्य सरकार को अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। राज्य अनुच्छेद 15 (6) (बी) के तहत नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित प्रावधान भी कर सकता है, चाहे वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त। राज्य के पास पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करने की शक्ति है।

95. अनुच्छेद 16 जनता के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है।

राज्य। अनुच्छेद 16 (2) में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।या उनमें से कोई भी और राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के संबंध में अयोग्य या भेदभावपूर्ण होगा। अनुच्छेद 16 (3) संसद को किसी पद पर किसी वर्ग या वर्ग के रोजगार या नियुक्ति के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है, जो इस तरह के रोजगार से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता का प्रावधान करता है या

नियुक्ति। अनुच्छेद 16 (4) के तहत, राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण प्रदान कर सकता है, जो उसकी राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत लोगों के संवर्धन और कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य का आदेश देते हैं और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को उपरोक्त घोषित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। द.

राज्य को आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना होगा, न केवल व्यक्तियों के बीच अवसरों की स्थिति को समाप्त करना होगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के समूहों और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों को भी समाप्त करना होगा। लेख

39 (ख) और (ग) राज्य की उदारता का वितरण और समुदाय के भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण का उद्देश्य आम भलाई के लिए सबसे अच्छा है, और यह कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण सामूहिक नुकसान के लिए नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य से संबंधित है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

सार्वजनिक स्वास्थ्य। अनुच्छेद 51 ए (ए) से (के) में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक को सद्भाव और आम भावना को बढ़ावा देना चाहिए।

किसी अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। न्यायालय ने कर्तव्यों पर विचार कियामोहन कुमार सिंघानिया और अन्य में। वी. भारत संघ और अन्य। , 1992 सप. (1) एससीसी 594 इस प्रकार है:

" 41. इस संबंध में, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए शीर्षक 'मौलिक कर्तव्यों' के तहत भाग IV-A में अनुच्छेद 51-A का उल्लेख करना सार्थक होगा।

स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के अनुसार

समिति। उक्त अनुच्छेद में संविधान का एक अधिदेश है कि खंड (ए) से (जे) में निर्दिष्ट विभिन्न कार्यों को करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, जिसके खंड (जे) में आदेश दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसके लिए प्रयास करे।

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास के उच्च स्तर तक बढ़ सके और

उपलब्धि.

42. हमारे विचार में, देने में सरकार द्वारा किए गए प्रयास

चयनकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व दिया जाता है ताकि यह उच्च सिविल सेवा देश की सर्वोच्च सेवा होने के नाते बर्बाद न हो और प्रशिक्षण अवधि के दौरान निष्फल न हो, यह अनुच्छेद 51-ए (जे) के प्रावधानों के अनुरूप है।

96. भारत के संविधान में विशेष प्रावधान हैं -

भाग XVI में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ। अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए "सीटों के आरक्षण" का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 334 "सीटों के आरक्षण" और विशेष प्रतिनिधित्व "एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त" करने का प्रावधान करता है। यह प्रावधान शुरू में कम अवधि के लिए किया गया था। उसके बाद इसे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के लिए बढ़ाया गया और अब 2019 में किए गए संशोधन से इसे बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है। अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे, [2020] 6 एस. सी. आर. के रखरखाव के लिए।

संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में प्रशासन की दक्षता; और राज्य किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों या मूल्यांकन के निचले मानकों में मानदंडों में ढील दे सकते हैं, किसी भी राज्य में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए।

संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं या पदों के वर्ग या वर्ग।

97. अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

इस तरह के सुरक्षा उपायों का काम करना; अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना; अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और अनुसूचित जातियों की प्रगति का मूल्यांकन करना।

संघ और किसी भी राज्य के तहत उनका विकास; राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर प्रस्तुत करने के लिए जो आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के काम करने पर रिपोर्ट अनुच्छेद 338 (5) (डी) में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 338 (6) की अपेक्षा है कि राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा और

संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई और गैर-संघ के कारणों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन ऐसी किसी भी सिफारिश की स्वीकृति, यदि कोई हो। की एक प्रति

98. अनुच्छेद 341 के तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित राष्ट्रपति, जातियों, नस्लों या जनजातियों या समूहों के कुछ हिस्सों को निर्दिष्ट कर सकता है। जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर, जो संविधान के अनुसार, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति मानी जाएगी, जैसा भी मामला हो। अनुच्छेद 341 (2) संसद को अनुच्छेद 342 (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या समूह के हिस्से को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है।

किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति के भीतर, और कोई भी बाद की अधिसूचना चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस नहीं होगी।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

समान रूप से बदलते हैं। शक्ति का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक प्रावधान है। राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जनजाति या जनजातीय समुदायों या समूहों के भागों को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर, जिन्हें संविधान के अनुसार, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। संसद अनुसूचित जनजातियों, किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर या समूह के हिस्से को सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, लेकिन उपरोक्त के अलावा, कोई भी बाद की अधिसूचना उक्त के तहत जारी अधिसूचना को अलग नहीं करेगी।

खंड। इस प्रकार, परिवर्तन करने की शक्ति का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। सामाजिक और सामाजिक रूप से संबंधित अनुच्छेद 342ए में इसी तरह का प्रावधान जोड़ा गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।

99. अनुच्छेद 243टी प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की आबादी के अनुपात में उस क्षेत्र की कुल आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण से संबंधित है और सीटों के आवर्तन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, और प्रत्येक राज्य में पंचायत का गठन किया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 243बी में प्रावधान किया गया है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में जिला स्तर पर ऐसी पंचायत का गठन करना अनिवार्य है।

100. अनुच्छेद 244, जिसके साथ हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करता है।

संविधान स्थानिक रूप से अनुच्छेद 244, अनुसूची V, अनुसूची VI के तहत अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 370,371A से लेकर 371J के तहत विभिन्न राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बेहतर प्रशासन के लिए संविधान ने भारत को अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है।

101. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था में वर्गीकरण के संबंध में, डॉ. अम्बेडकर का भाषण संविधान सभा की बहस, पृष्ठ 979,11वें पर पृष्ठ 979-80 का उल्लेख डॉ. धवन ने किया है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया है:

" हमें इस तथ्य को स्वीकार करते हुए शुरुआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का पूर्ण अभाव है। इनमें से एक समानता है। सामाजिक स्तर पर, भारत में श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत पर आधारित एक समाज है, जिसका अर्थ है कुछ के लिए उत्थान और दूसरों के लिए पतन। आर्थिक स्तर पर, हमारे पास एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास [2020] 6 एस. सी. आर. के रूप में अपार संपत्ति है।

बहुत से लोगों के खिलाफ जो घोर गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत की अवहेलना करते रहेंगे। हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे? हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे? अगर हम लंबे समय तक इससे इनकार करते रहे, तो हम राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ऐसा करेंगे। हमें इस विरोधाभास को दूर करना चाहिए

जल्द से जल्द संभव समय नहीं तो जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे जिसे यह सभा

दूसरी चीज जो हम चाहते हैं वह है बंधुत्व के सिद्धांत की मान्यता। बंधुत्व का क्या अर्थ है? बंधुत्व इसका अर्थ है सभी भारतीयों में समान भाईचारे की भावना-यदि भारतीय खुद को एक ही व्यक्ति समझते हैं। यह वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करता है। जितनी जल्दी हम यह महसूस करेंगे कि हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं हैं और इस लक्षय को प्राप्त करने के तरीकों और साधनों के बारे में गंभीरता से सोचेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बंधुत्व के लिए एक तथ्य हो सकता है, केवल तभी जब एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना, समानता और स्वतंत्रता एक रंग के कोट से अधिक गहरी नहीं होगी।

102. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दूसरों के बराबर बनाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। प्रयास किए गए हैं।

विभिन्न कानूनों को लागू करके उनकी भूमि और संपत्ति की रक्षा की गई। अनुसूचित जातियों में न्यास के रूप में सम्मान के साथ उनकी मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं। अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश में स्वतंत्रता और विभिन्न अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा; विकास का फल उन्हें नहीं मिला है। वे समाज का एक असमान और कमजोर वर्ग बने रहे और सदियों तक सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने गए। यही उन्हें आरक्षण प्रदान करने और उन्हें उत्थान प्रदान करने और उनकी पीड़ाओं को मिटाने के लिए विशेष उपचार प्रदान करने का आधार है। हम अभी तक वास्तविक अर्थों में अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि उनके अधिकार संरक्षित और संरक्षित हों, और वे समान रूप से जीवन के मितव्ययी सुखों का आनंद लें।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

103. आदिवासियों के संबंध में, हम देखते हैं कि कई योजनाएं हैं

उनके उत्थान के लिए, लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि कुछ स्थानों पर, उन्हें अभी भी अलग-थलग रखा गया है और वे बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और जीवन की किफायती सुख-सुविधाएं भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इन वर्गों को सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध जीवन का समान अधिकार है। सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आर्थिक पहलू भी शामिल हैं, ये वे वर्ग हैं जो भेदभाव, गरीबी, शिक्षा से उत्पन्न ऐतिहासिक अक्षमताओं का सामना कर चुके हैंपिछड़ेपन उन्हें सशक्तिकरण प्रदान करने और उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के लिए। संविधान में विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) के समानता का हिस्सा होने का अपवाद नहीं है। आरक्षण को ठीक किया जा सकता

है। धारा 16 (4) का उद्देश्य समूह में पिछड़ेपन को दूर करना है। आरक्षण भेदभाव के कारण प्रदान किया जाता है और

राज्य की शक्ति को साझा करने के लिए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नुकसान उठाना पड़ा।

104. इंद्र में राज्य शक्ति को साझा करने की अवधारणा पर विचार किया गया था।

साहनी (ऊपर)। जे. सावंत ने अपनी राय में राज्य शक्ति के बंटवारे के विचार को इस प्रकार संबोधित किया:

" 483. कि केवल आर्थिक पिछड़ेपन में नहीं था

संविधान के चिंतन को और स्पष्ट किया गया हैतथ्य यह है कि संविधान के पहले संशोधन के समय

जिसने संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा,

सदस्यों में प्रो. के. टी. शाह इस शब्द को हटाना चाहते थे।

" वर्ग में और "आर्थिक रूप से" शब्द को जोड़ना

"पिछड़े वर्ग" शब्द के पात्र। यह संशोधन था

स्वीकार नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वयं कहा कि

"आर्थिक रूप से" शब्द लेख की भाषा को जोड़ देगा।

अनुच्छेद 340 के विपरीत। उन्होंने कहा कि "सामाजिक रूप से" एक बहुत व्यापक शब्द जिसमें कई चीजें शामिल हैं और निश्चित रूप से

केवल पिछड़ेपन के आधार के रूप में विचार करना ही नहीं थाइरादा नहीं था लेकिन सकारात्मक रूप से खारिज कर दिया गया। "

(जोर दिया गया)

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने उसी से निपटा, इस प्रकार:

" 694. उपरोक्त सामग्री यह स्पष्ट करती है कि उद्देश्य

अनुच्छेद 16 के खंड (4) के पीछे राज्य शक्ति का बंटवारा था।

राज्य शक्ति जो लगभग विशेष रूप से एकाधिकार में थी

उच्च जातियों यानी कुछ समुदायों को अब [2020] 6 एस. सी. आर. बनने की मांग की गई थी।

व्यापक आधार बनाया गया। जिन पिछड़े समुदायों को तब तक सत्ता के उपकरणों से बाहर रखा गया था, उन्हें इसमें शामिल करने की मांग की गई थी और चूंकि यह सामान्य पाठ्यक्रम में व्यावहारिक नहीं था, इसलिए उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था। संक्षेप में, अनुच्छेद 16 (4) के पीछे का उद्देश्य वंचित पिछड़े समुदायों का सशक्तिकरण है-उन्हें प्रशासनिक तंत्र और राज्य के शासन में हिस्सा देना।

समुदाय।

750. डॉ. राजीव धवन, श्रीनारायण धर्म परिपालन योगम (एझावों का एक संगठन) की ओर से पेश विद्वान वकील

केरल में) ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 16 (4) और 15 (4) अलग-अलग क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं और अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जबकि अनुच्छेद 15 (4)

सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों पर विचार करते हुए, अनुच्छेद 16 (4) राज्य को सकारात्मक भेदभाव की योजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाता है। इस कारण से, दोनों के तहत इच्छित लाभार्थियों का वर्ग

वाक्य अलग हैं। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन

जो अनुच्छेद 15 (4) के तहत पिछड़ेपन की पहचान करने का आधार है, केवल 'नागरिकों के पिछड़े वर्ग' के मामले में आंशिक रूप से सच है।अनुच्छेद 16 (4)। अनुच्छेद 16 (4) में आने वाली अभिव्यक्ति "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग" को उक्त खंड के उद्देश्य के आलोक में समझा जाना चाहिए, अर्थात् उन समूहों और वर्गों के सशक्तिकरण जिन्हें प्रशासन से बाहर रखा गया है-ऐसे वर्ग जिन्हें भेदभाव या नुकसान या दोनों से उत्पन्न ऐतिहासिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ा है और जिन्हें अब प्रशासनिक तंत्र में प्रवेश प्रदान किया जाना चाहिए। इस तथ्य के आलोक में कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी अनुच्छेद 16 (4) का लाभार्थी बनने का इरादा था, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जाति निर्धारित करने के लिए एक विशेष मानदंड नहीं हो सकती है।

अनुच्छेद 16 (4) के तहत लाभार्थी। वकील ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अनुच्छेद 16 (4) समूह संरक्षण की बात करता है न कि व्यक्तिगत संरक्षण की।

788. इसके अलावा, यदि कोई उस संदर्भ को ध्यान में रखता है जिसमें अनुच्छेद 16 (4) को लागू किया गया था, तो यह स्पष्ट होगा कि सामाजिक पिछड़ेपन पर जोर दिया गया था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय संदर्भ में, सामाजिक पिछड़ेपन से शैक्षिक पिछड़ेपन की ओर जाता है और दोनों मिलकर गरीबी

की ओर ले जाते हैं जो बदले में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को जन्म देती है और उसे कायम रखती है। वे एक-दूसरे का पोषण करते हुए एक दुष्चक्र का गठन करते हैं।

यह एक कुआँ चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस है। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करना। इस मायने में डॉ. राजीव धवन सही हो सकते हैं जब वे कहते हैं कि अनुच्छेद 16 (4) का उद्देश्य पिछड़े वर्गों का "सशक्तिकरण" था। विचार उन्हें राज्य शक्ति साझा करने में सक्षम बनाना था। तदनुसार, हमारी राय है कि पिछड़ेपन अनुच्छेद 16 (4) द्वारा विचार किया गया मुख्य रूप से सामाजिक पिछड़ेपन है। यह.

यह कहना सही नहीं होगा कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़ेपन सामाजिक और शैक्षिक दोनों होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियाँ निस्संदेह पिछड़ी हुई हैं।

खंड के उद्देश्य; किसी ने यह सुझाव नहीं दिया है कि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की कसौटी को पूरा करना चाहिए। इस स्तर पर यह बताना आवश्यक है कि मंडल आयोग

लेख। फिर भी, यह स्पष्ट है कि मंडल आयोग द्वारा सामाजिक पिछड़ेपन को दूसरों पर प्राथमिकता दी गई है-12 कुल 22 अंकों में से। सामाजिक पिछड़ेपन-इसे दोहराया जा सकता है जो शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन की ओर ले जाता है। कोई आपत्ति नहीं

मंडल आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों की वैधता और प्रासंगिकता को न तो लिया जा सकता है और न ही लिया जा सकता है। मंडल आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पिछड़ेपन के मानदंडों को विकसित करने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की उचित समझ के लिए, खंड I के अध्याय III और XI को बारीकी से पढ़ना चाहिए।

खंड II में परिशिष्ट XII और XXI। परिशिष्ट 12 समाजशास्त्रियों के अनुसंधान योजना दल की रिपोर्ट है जबकि परिशिष्ट 21 सामाजिक शैक्षिक सर्वेक्षण के दौरान अपनाई गई 'तालिकाओं की अंतिम सूची' है। विशेष रूप से, अध्याय 11 में पैरा 11.18 से 11.22 पढ़ा जा सकता है, जो तैयार संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत किए गए हैं:

"11.18 . तकनीकी समिति ने आयोग की सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक उप-समिति (परिशिष्ट-20, खंड-2) का गठन किया। कम्प्यूटरीकृत तालिकाओं में निहित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 'पिछड़ेपन के संकेतक' तैयार करें। कई बैठकों और बहुत सारी [2020] 6 एस. सी. आर. के बाद।

सारणीबद्ध आंकड़ों के खिलाफ प्रस्तावित संकेतकों का परीक्षण, आयोग के काम के लिए वास्तव में आवश्यक तालिकाओं की संख्या को घटाकर 31 कर दिया गया था (परिशिष्ट-21, खंड II)। संकेतकों के निर्माण और परिष्करण में परीक्षण और सत्यापन जांच शामिल है

हर स्तर पर।

11.19 . इस संबंध में, यह इंगित करना उपयोगी हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान में कोई गणितीय सूत्र या सटीक बेंच नहीं है विभिन्न सामाजिक लक्षणों को निर्धारित करने के लिए अंक उपलब्ध हैं। एक सर्वेक्षण

11.20 . बालाजी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी विशेष समुदाय को शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में माना जाना है, तो उसके शैक्षिक स्तर और राज्य के औसत के बीच का अंतर मामूली नहीं बल्कि पर्याप्त होना चाहिए। अदालत ने50 प्रतिशत विचलन को संतोषजनक माना जाता है। अब बिहार की 80 प्रतिशत आबादी (1971 की जनगणना) निरक्षर है। इस प्रतिशत के आंकड़े को 50 प्रतिशत के अंतर से हराने का मतलब होगा कि 120%

जाति/वर्ग के सदस्य अनपढ़ होने चाहिए। वास्तव में यह देखा जाएगा कि इस मामले में 25 प्रतिशत विचलन भी हमें 100% के अधिकतम संतृप्ति बिंदु तक फैला देगा।

11.21 . भारतीय स्थिति में जहां अधिकांश लोग अनपढ़, गरीब या पिछड़े हैं, किसी को भी मानदंडों से विचलन स्थापित करने में बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि हमारी स्थितियों में मानदंड स्वयं बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए, प्रति व्यक्ति उपभोक्तावर्तमान मूल्यों पर 1977-78 के लिए खर्च 991 रुपये प्रति वर्ष था। इसी अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 900 रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 780 रुपये प्रति वर्ष थी। यह देखा जाएगा कि यह गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति उपभोक्ता के काफी करीब है

एक औसत भारतीय का व्यय। अब इस उक्ति का पालन करते हुए

बालाजी मामला, यदि इस औसत प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय से 50 प्रतिशत विचलन को पहचानने के लिए स्वीकार किया जाना था

' आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उनकी आय का स्तर बढ़ाना होगा

प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय से 50 प्रतिशत कम अर्थात कम होना।प्रति वर्ष 495.5 रुपये से अधिक। यह आंकड़ा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से इतना नीचे है कि अधिकांश लोगों की मौत हो सकती है।

इस तरह के सम्मान के लिए अर्हता प्राप्त करने से पहले भुखमरी।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

11.22 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 'पिछड़ेपन के लिए संकेतक'

विभिन्न कट-ऑफ अंकों के खिलाफ परीक्षण किया गया। ऐसा करने के लिए, एदर्जन भर जातियाँ अपने सामाजिक और शैक्षिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं।

पिछड़ेपन को शामिल जातियों में से चुना गया था

एक विशेष राज्य में हमारे सर्वेक्षण द्वारा। इन्हें 'नियंत्रण' माना जाता था।

और उनके खिलाफ परीक्षण करके सत्यापन जांच की गई

‘ विभिन्न कट-ऑफ बिंदुओं पर संकेतक। उदाहरण के लिए, एक ' सामाजिक पिछड़ेपन के लिए संकेतक छात्रों की गिरावट की दर है।

राज्य के औसत की तुलना में आयु वर्ग 5-15 वर्षों में।

पिछड़ी जातियों की यह दर राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 25 प्रतिशत का यह विचलन

अधिकांश संकेतकों के मामले में राज्य का औसत दिया गया

राज्य के औसत से विचलन के आधार पर, यह 25 प्रतिशत तय किया गया था।क्योंकि 50 प्रतिशत के विचलन को पूरी तरह से असंतोषजनक माना गया।

परिणाम और, कभी-कभी, विसंगत परिस्थितियाँ पैदा करना।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

(ए)। इंद्र साहनी (ऊपर) में, न्यायालय ने माना कि आरक्षण है

आनुपातिक प्रतिनिधित्व लेकिन पर्याप्त, इस प्रकार:

807. हालाँकि, हमें यह इंगित करना चाहिए कि खंड (4) के बारे में बात करता है

पर्याप्त प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं।

पर्याप्त प्रतिनिधित्व को आनुपातिक नहीं माना जा सकता है।

प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है -

केवल संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में स्वीकार किया गया और

वह भी सीमित समय के लिए। ये लेख आरक्षण की बात करते हैं

लेकिन वे केवल अस्थायी और विशेष प्रावधान हैं। इसलिए यहआनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है।

यद्यपि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या निश्चित रूप से प्रासंगिक होगी। हर शक्ति की तरह

द्वारा प्रदत्त शक्ति का उचित और निष्पक्ष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए

अनुच्छेद 16 के खंड (4) का भी उचित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।

और उचित सीमाओं के भीतर-और इससे अधिक उचित क्या है

यह कहना कि खंड (4) के तहत आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर नियुक्तियाँ या पद।

जैसा कि आगे बताया गया है। इस दृष्टिकोण से, 27 प्रतिशत [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्ष में विवादित ज्ञापनों द्वारा प्रदान किया गया आरक्षण

पिछड़े वर्ग उचित सीमा के भीतर हैं। साथ में

अनुसूचित जाति और अनुसूचित के पक्ष में आरक्षण के साथ

जनजातियाँ, यह कुल 49.5% पर आता है। इस संबंध में, संदर्भ

आंध्र प्रदेश की पूर्ण पीठ के फैसले के लिए मजबूर किया जा सकता है उच्च न्यायालय ने वी. नारायण राव बनाम. ए. पी. राज्य, हड़ताली

ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 44 प्रतिशत करना।उक्त वृद्धि का कुल आरक्षण लेने का प्रभाव पड़ा

अनुच्छेद 16 (4) से 65 प्रतिशत के तहत। (बी)। 'सामाजिक रूप से पिछड़े' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने की कुंजी है।

इंद्र साहनी (ऊपर) में आयोजित वार्ड:

" 774. हमारी राय में भी, शब्द "नागरिकों का वर्ग-नहीं"

राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व "

एक अस्पष्ट और अनिश्चित विवरण रहे हैं। शब्द जोड़कर

" "और डॉ. अम्बेडकर और श्री के. एम. के भाषणों द्वारा।

मुंशी, यह स्पष्ट किया गया था कि "नागरिकों का वर्ग"

नहीं।

राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व का अर्थ

केवल नागरिकों के उन वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था उनके सामाजिक पिछड़ेपन का लेखा-जोखा।

(सी)। इंद्र साहनी (ऊपर) में, न्यायालय ने आगे कहा कि

वैशन गुण-विरोधी नहीं हैं। प्रासंगिक चर्चा निम्नलिखित है:

अनिवार्य रूप से योग्यता विरोधी हैं। उदाहरण के लिए, जानकी प्रसाद मेंपरिमू, यह देखा गया था, "यह आरक्षण के विचार में निहित है।

कि एक कम मेधावी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता दी जाए जो अधिक है

देवदासन में असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि कोई नहीं है अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 335 के बीच संघर्ष, उन्होंने कहा, "यह है

आरक्षण की प्रकृति में अपरिहार्य है कि एक कमी होगी

कुछ हद तक मानकों का, "लेकिन, उन्होंने कहा, उस खाते पर,

प्रावधान को खराब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस मामले में,

वास्तव में, राज्य ने न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी,

और केवल वे जो ऐसी न्यूनतम योग्यता रखते थे

नियुक्त किया गया। हालाँकि, इस विचार को कृष्ण अय्यर ने स्वीकार नहीं किया था।

थॉमस में जे। उन्होंने कहा: (एस. सी. सी पी. 366, पैरा 132)

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

" [ई] निपुणता का अर्थ है, अच्छी सरकार के संदर्भ में, केवल परीक्षाओं में अंक नहीं, बल्कि जिम्मेदार और उत्तरदायी सेवा

लोगों को। एक अराजक प्रतिभा लोक प्रशासन में एक गंभीर खतरा है। दक्षता के आदानों में अपनापन और जवाबदेही की भावना शामिल है जो नौकरशाही की छाती में पनपती है (अपमानजनक रूप से उपयोग नहीं की जाती है) अगर इसकी संरचना 'हम, भारत के लोग' के कमजोर वर्गों को भी लेती है। कोई अन्य समझ कट्टरपंथी वर्तमान और अन्यायपूर्ण अतीत के हैंगओवर के दावे को सुलझा नहीं सकती है।

833. इसी तरह का विचार वसंत कुमार में चिन्नाप्पा रेड्डी द्वारा व्यक्त किया गया था, जे. विद्वान न्यायाधीश ने कहा (एससीसी पी। 739, पैरा 36)

" [टी] वह केवल एक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना आवश्यक रूप से एक अच्छे प्रशासक को चिह्नित नहीं कर सकता है। एक कुशल

प्रशासक, जो इसे लेता है, वह होना चाहिए जिसके पास

अन्य गुण सहानुभूति के साथ समझने की क्षमता और इसलिए, एक बड़े वर्ग की समस्याओं से बहादुरी से निपटने की क्षमता

आबादी लोगों के कमजोर वर्गों का गठन करती है। और, उन्हीं वर्गों से संबंधित लोगों से बेहतर कौन है? अपने आप से क्यों न पूछिए कि आजादी के 35 साल बाद भी अनुसूचित जातियों आदि की स्थिति में बहुत सुधार क्यों नहीं हुआ है? क्या ऐसा नहीं है?

यह पूछने के लिए कि क्या चीजें अलग हो सकती थीं, क्या इन वर्गों से बड़ी संख्या में जिला प्रशासकों और राज्य और केंद्रीय नौकरशाहों को लिया जाता? अदालतें इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, लेकिन अदालतें जवाब और समाधान खोजने के लिए सरकार के ईमानदार प्रयासों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। हमारा यह कहना नहीं है कि सिविल सेवा में दक्षता अनावश्यक है या यह एक मिथक है। हमारा बस इतना ही कहना है कि किसी को इसके बारे में भद्दी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है।

834. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि

आरक्षण का मतलब अनिवार्य रूप से कम मेधावी व्यक्तियों की नियुक्ति है, जिससे प्रशासन की दक्षता में कमी आती है। अतः निवेदन यह है कि आरक्षण किसी भी क्षेत्र में नियुक्तियों/पदों के एक छोटे से अल्पसंख्यक तक ही सीमित होना चाहिए।

30 प्रतिशत से अधिक नहीं, यह आंकड़ा संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर के भाषण में संदर्भित किया गया था। का आदेशयह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 335 का तात्पर्य है कि आरक्षण ऐसा [2020] 6 एस. सी. आर. होना चाहिए।

यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 46 के निर्देश को अनुच्छेद 335 के उपरोक्त अधिदेश के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। 835. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क है कि प्रवेश के चरण में परीक्षा/परीक्षण/साक्षात्कार में प्राप्त अंक

एक उम्मीदवार जो समाज के वंचित वर्गों से आता है और फिर भी उचित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करता है-इस प्रकार एक उच्च श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अपना "वादा और क्षमता" प्रकट करता है। उच्च अंक प्राप्त करने वाले वर्ग। (उनकी राय का उल्लेख पैरा 716 में किया गया है।) उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें होने वाले नुकसान और अवसरों की कमी के कारण

के सदस्य

शुरुआत में सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों के सदस्य लेकिन समय के साथ, वे करेंगे। यह मान लेना गलत होगा कि प्रकृति ने केवल आगे के सदस्यों को बुद्धि प्रदान की है।कक्षाएँ। यह हर जगह पाया जाता है। इसके लिए केवल खुद को साबित करने का अवसर चाहिए। उत्तरदाताओं का कहना है कि अनुच्छेद 46 के निर्देश को इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समझा और लागू किया जाना चाहिए।

836. हम किसी भी मामले में खुद को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं।

कि अधिदेश यदि इसे अनुच्छेद 335 का कहा जा सकता है तोप्रशासन की दक्षता के रखरखाव के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखें। यह कहना लेख का गलत अध्ययन होगा कि जनादेश प्रशासन की दक्षता को बनाए रखना है)। शायद, दक्षता, योग्यता और योग्यता पर्यायवाची अवधारणाएं नहीं हैं; शायद, योग्यता को प्रशासन में दक्षता का पर्याय मानना गलत है और यह योग्यता एक प्रशासक की दक्षता का एक घटक है। फिर भी, प्रारंभिक भर्ती के चरण में योग्यता की प्रासंगिकता और महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

कि आरक्षण के विचार का तात्पर्य कम मेधावी व्यक्ति का चयन करना है। साथ ही, हम मानते हैं कि अगर सामाजिक न्याय के संवैधानिक वादे को पूरा करना है तो इतनी कीमत चुकानी होगी। हम यह भी दृढ़ता से मानते हैं कि एक चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस दिया गया है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

अवसर पर, इन वर्गों के सदस्य अपने प्रारंभिक नुकसानों को दूर करने के लिए बाध्य हैं और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे-और कुछ मामलों में, खुली प्रतिस्पर्धा के सदस्यों को उत्कृष्ट बना सकते हैं। यह है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रकृति ने पिछड़े वर्गों के सदस्यों को उतनी ही योग्यता प्रदान की है जितनी उसने अन्य वर्गों के सदस्यों को दी है और जो आवश्यक है वह साबित करने का अवसर है

यह। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आरक्षण विरोधी हैं।

गुणवान। आरक्षित उम्मीदवारों के बीच भी योग्यता है और थोड़ा अंतर है, जिसकी अनुमति इस स्तर पर दी जा सकती हैप्रारंभिक भर्ती समय के साथ गायब होना तय है। ये सदस्य भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और अपनी दक्षता में सुधार करेंगे।

(जिसे प्री-मेडिकल टेस्ट कहा जाता है)। सामान्य उम्मीदवारों के लिए, न्यूनतम योग्यता अंक कुल मिलाकर 50 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत थे। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह क्रमशः 40 प्रतिशत और 30 प्रतिशत था। यह पता लगाने पर कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार संख्या के बराबर हैं उनके लिए आरक्षित सीटों में से उपरोक्त मानक पर अर्हता प्राप्त नहीं थी, सरकार ने उक्त न्यूनतम मानक को समाप्त कर दिया

कुल मिलाकर। सरकार की कार्रवाई को इस अदालत में चुनौती दी गई थी लेकिन इसे बरकरार रखा गया था। चूंकि यह अनुच्छेद 15 के तहत एक मामला था, इसलिए अनुच्छेद 335 की कोई प्रासंगिकता नहीं थी और इसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन अनुच्छेद 16 के मामले में, अनुच्छेद 335 प्रासंगिक होगा और मध्य प्रदेश सरकार के आदेश (निवेदिता जैन में) की तर्ज पर कोई भी आदेश अनुमेय नहीं होगा, क्योंकि यह प्रशासन की दक्षता के साथ असंगत है। चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में, सरकार या लोक सेवा आयोग यह नहीं कह सकता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे, जबकि अन्य के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। सरकार के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के लिए उचित रूप से निम्न मानक निर्धारित करने की अनुमति हो सकती है-प्रशासन की दक्षता की आवश्यकताओं के अनुरूप-यह अनुमति नहीं होगी [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसा कोई भी न्यूनतम मानक निर्धारित करें। प्रिस्क्राइब करते समयआरक्षित श्रेणी के लिए निम्न न्यूनतम मानक, प्रकृति

पद से जुड़े कर्तव्यों और सामान्य हित

जनता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

838. जबकि अनुच्छेद 335 पर, हमारी राय है कि

कुछ सेवाएं और पद हैं जहाँ या तो के कारण

आरक्षण। उदाहरण के लिए, अनुसंधान में तकनीकी पद और विकास संगठन/विभाग/संस्थान, विशेषज्ञताओं में

और चिकित्सा, इंजीनियरिंग और इस तरह के अन्य क्षेत्रों में अति-विशिष्टताएँ

रक्षा सेवाओं में भौतिक विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम

और उससे जुड़े प्रतिष्ठानों में। इसी प्रकार,

उच्च पदों के मामले जैसे प्रोफेसर (में) शिक्षा), इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में पायलट, वैज्ञानिक

और परमाणु और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में तकनीशियन, प्रावधान

आरक्षण उचित नहीं होगा। "

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

इस न्यायालय ने कहा कि कुछ छूट दी जानी चाहिए

प्रशासन की आवश्यकता के साथ, सामाजिक न्याय करने के लिए, यह

घ को कोई न्यूनतम मानक निर्धारित नहीं करने की अनुमति नहीं होगी।

न्यायालय ने यह भी कहा कि तकनीकी पदों में विशेषज्ञता के बारे में और

आर. एच. डेवलपमेंट, मेडिकल इंजीनियरिंग, डिफेंस सर्विसेज, फिजिक्स,

अन्यथा, आरक्षण का प्रावधान उचित नहीं होगा।

(डी)। इंदर साहनी (ऊपर) में, न्यायालय ने माना कि आरक्षण

मुझे कार्यकारी आदेश द्वारा इस प्रकार प्रदान किया जाता है:

" 735. श्री के. के. वेणुगोपाल ने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील

1990 की रिट याचिका संख्या 930 प्रस्तुत करती है कि "प्रावधान" अनुच्छेद 16 के खंड (4) द्वारा अनुध्यात केवल और

अनिवार्य रूप से राज्य की विधायी शाखा द्वारा बनाया जाना चाहिएऔर न कि कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा। वह विवाद करता है कि

बालाजी में होल्डिंग की शुद्धता एक समान को नकारती है

विवाद। वह प्रस्तुत करता है कि चूंकि अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है

16 (4) अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, जैसे कि

प्रावधान केवल संसद/विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। वह.

प्रस्तुत करता है कि यदि "प्रावधान" करने की शक्ति चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस को दी गई है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

अधिकारियों को अदालत से व्यापक ध्यान मिला है। इसमें सभी वैधानिक प्राधिकरण और अन्य एजेंसियां शामिल हैं और राज्य सरकार/केंद्र सरकार के साधन। अब, क्या यह कहना उचित, संभव या व्यावहारिक होगा कि संसद या राज्य के विधानमंडल को इसके लिए प्रावधान करना चाहिए:

केंद्र/राज्य सरकार के तहत सेवाओं के संबंध में प्रावधान के अलावा ऐसे सभी निकायों की सेवाओं में पदों/नियुक्तियों का आरक्षण? यदि हम अनुच्छेद 13 (3) (ए) में "कानून" की परिभाषा पर ध्यान दें तो यह पहलू अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है:

" 13 (3) इस लेख में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

▬▬

(क) "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र में

कानून की शक्ति;

736. इन शब्दों में "आदेश", "उपनियम", "नियम" और "विनियमन" शब्द हैं।

यह परिभाषा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 12 में "राज्य" और अनुच्छेद 13 (3) (ए) में "कानून" की परिभाषा को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 16 (4) द्वारा परिकल्पित प्रकृति का एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है -न केवल संसद/विधानमंडल द्वारा बल्कि केंद्रीय/राज्य सेवाओं के संबंध में कार्यपालिका द्वारा और अनुच्छेद 12 द्वारा अनुध्यात स्थानीय निकायों और "अन्य प्राधिकरणों" द्वारा उनकी संबंधित सेवाओं के संबंध में प्रदान किया जाता है। कुछ स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालयों

जैसे कुछ वैधानिक निगमों की अपनी विधायी शाखाएँ हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में इन सभी सेवाओं में आरक्षण पर जोर देना अनुचित और अनुचित होगा।

संसद/विधानमंडल द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक निकाय की स्थिति और परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं। नियम है।

आरक्षण के संबंध में विशेष परिस्थितियों के अनुरूप रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। यह सब संसद/विधानमंडल द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा सकता है।

737. शाब्दिक रूप से भी, विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 (4) में "प्रावधान" शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है। जबकि अनुच्छेद 16 के खंड (3) और (5) और अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) में "कानून" शब्द का उपयोग किया गया है, अनुच्छेद 16 (4) में विश्व "प्रावधान" का उपयोग किया गया है। आदेश द्वारा सेवा शर्तों का विनियमन और

संविधान के निर्माण के समय कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम एक सर्वविदित विशेषता थी। संभवतः इसी कारण से खंड (4) के मामले में जानबूझकर विचलन किया गया है। तदनुसार, हम बालाजी से सहमत हैं कि " अनुच्छेद 16 (4) द्वारा अनुध्यात प्रावधान संघ या राज्य की कार्यपालिका शाखा द्वारा भी किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। बालाजी को हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-भारत के जनरल बनाम में अनुसरण किया गया है। मोहन लाल मेहरोत्रा। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के तर्क के संबंध में, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा है।

प्रावधान में ही अनुच्छेद 16 (4) के तहत शक्ति। पिछड़ेपन का कोई भी निर्धारण एक व्यक्तिपरक अभ्यास नहीं है और न ही एक चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

सत्ता पर।प्रश्न 1 (बी):

क्या अनुच्छेद 16 (4) के तहत 'प्रावधान' करने वाला कार्यकारी आदेश तुरंत लागू किया जा सकता है?

प्रकृति में, कि यह एक सक्षम प्रावधान है और यह अपने आप में शक्ति का स्रोत नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि जब तक कि उपयुक्त विधानमंडल द्वारा कानून में नहीं बनाया जाता है या परंतुक के संदर्भ में एक नियम के रूप में जारी नहीं किया जाता है अनुच्छेद 309 के अनुसार, कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार बनाया गया "प्रावधान" प्रवर्तनीय नहीं हो जाता है। उसी समय, वह प्रस्तुत करता है कि

विवादित ज्ञापनों को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए और जारी किए गए नियमों के रूप में माना जाना चाहिए और माना जाना चाहिए। हमें श्री जेठमलानी से सहमत होना मुश्किल लगता है। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत एक प्रावधान हो

सकता हैकार्यपालिका द्वारा किया गया, यह अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए कि ऐसा प्रावधान उस समय प्रभावी हो जब इसे बनाया जाता है। बी. एस. यादव, (वाई. वी. चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश, पीठ की ओर से बोलते हुए) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा है:

" अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को यह प्रदान नहीं करता है कि -

न्यायिक सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्तिजिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों से जुड़े अधिकारी

वहाँ तक। जब भी किसी भी प्राधिकरण को प्रदान करने का इरादा था

कोई विशेष प्रावधान या नियम बनाने की शक्ति, जिसमें शामिल हैं संविधान में कहा गया है कि सेवा की शर्तों से संबंधित नियम

तो स्पष्ट शब्दों में। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) देखें,

77 (3) , 87 (2) , 118 , 145 (1) , 146 (1) और (2), 148 (5), 166 (3), 176 (2), 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

187 (3) , 208 , 225 , 227 (2) और (3), 229 (1) और (2), 234,237 और

283 (1) और (2) "।

740. इसलिए, इसका पालन तब तक किया जाएगा जब तक कि कोई कानून नहीं बनाया जाता या

आरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 309 के तहत नियम जारी किए जाते हैं।

पिछड़े वर्गों के पक्ष में, यह हमेशा खुला रहेगा

आरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यकारी सरकार

पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियाँ/पद

कार्यकारी आदेश। हम श्री जेठमलानी से भी सहमत नहीं हो सकते कि

विवादित ज्ञापनों को बनाए गए नियमों के रूप में माना जाना चाहिए

अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत। उनमें कुछ भी सुझाव नहीं है

यहाँ तक कि वे अनुच्छेद के प्रावधान के तहत जारी किए गए थे

309. उनका ऐसा होने का इरादा कभी नहीं था, और न ही उनका यह रुख है कि

केंद्र सरकार हमारे सामने है। वे जारी किए गए कार्यकारी आदेश हैं।

संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत अनुच्छेद के खंड (4) के साथ पढ़ा जाता है

16. नाम में और क्रम से "एक पाठ" को केवल छोड़ना

भारत के राष्ट्रपति "वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करते हैं।

आदेशों का, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार अभिनिर्धारित किया गया है।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

(ई)। अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा जो हासिल करने की कोशिश की गई है, वह समानता है।

अवसर की समानता। इंद्र साहनी (ऊपर) में, यह न्यायालय

यह मानते हुए कि संस्थापकों ने कभी भी सभी सीटों के आरक्षण की परिकल्पना नहीं की,

0 % नियम होगा। कुछ विश्राम अनिवार्य हो सकता है, लेकिनमुझे सावधानी बरतनी है, और इसके लिए एक विशेष मामला बनाया जाना है

50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण। इस न्यायालय ने कहा:

" 808. यह कहने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि लेखों का मुख्य उद्देश्य

14 और 16 समानता और अवसर की समानता है और वह खंड

(4) अनुच्छेद 16 उसी को प्राप्त करने का एक साधन है।उद्देश्य। खंड (4) एक विशेष प्रावधान है- हालांकि एक नहीं

खंड (1) का अपवाद। दोनों प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों केवल के बयान हैं

अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता का सिद्धांत। प्रावधान के तहत

अनुच्छेद 16 (4) की परिकल्पना कुछ धाराओं के हित में की गई है -

समाज-समानता की गारंटी के खिलाफ संतुलित होना चाहिए

अनुच्छेद 16 के खंड (1) में निहित जो एक गारंटी है

प्रत्येक नागरिक और पूरे समाज के लिए। यह इंगित करना प्रासंगिक है

कि डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं आरक्षण पर विचार किया था " कुछ सीटों तक सीमित "(संविधान चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस में उनका भाषण देखें।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

सभा, पैरा 693 में निर्धारित)। संविधान का कोई अन्य सदस्य नहीं

सभा ने अन्यथा सुझाव दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरक्षण

पिताओं। न ही हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वर्तमान संदर्भ की आवश्यकता है हम उस अवधारणा से अलग हो जाएँ।

809.उपरोक्त चर्चा से यह अटूट निष्कर्ष निकलता है कि

निम्नलिखित है कि के खंड (4) में अनुध्यात आरक्षण

अनुच्छेद 16 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

810. जबकि 50 प्रतिशत नियम होगा, यह आवश्यक है कि इसे बाहर न रखा जाए

इस देश और लोगों की विविधता। ऐसा हो सकता है कि दूर-दराज और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी

उनके राष्ट्रीय मुख्यधारा से बाहर होने के कारण

जीवन और विशिष्ट और विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें, एक अलग तरीके से इलाज करने की आवश्यकता है, कुछ आराम में

यह सख्त नियम अनिवार्य हो सकता है। ऐसा करने में, चरमसावधानी बरतनी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए।

811. इस संबंध में यह याद रखना अच्छा है कि आरक्षण

अनुच्छेद 16 (4) के तहत सांप्रदायिक आरक्षण की तरह काम नहीं करते हैं। यह.

ऐसा हो सकता है कि कुछ सदस्य अनुसूचित से संबंधित हों।

जातियों का चयन खुले प्रतियोगिता क्षेत्र में किस आधार पर किया जाता है

उनकी अपनी योग्यता; उन्हें आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा

अनुसूचित जातियों के लिए उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में माना जाएगा

उम्मीदवार "।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

105. यह स्पष्ट है कि प्राप्त करने के 72 से अधिक वर्षों के बावजूद

स्वतंत्रता, हम नीचे की रेखा को लाभ प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, अर्थात,

दबे-कुचले और उत्पीड़ित वर्ग। ऐसे वर्गों को मिलने वाले लाभ उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि लाभों को कैसे कम किया जाए। पंचायत, ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है, लेकिन फिर भी, लाभ परिकल्पना के अनुसार नहीं पहुंच रहे हैं। ग्राम स्तर पर सूचना के अधिकार प्रणाली को मजबूत करना होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि विकास के लिए आए धन का उपयोग कैसे किया गया है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रशासन की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इनकी आवश्यकता है किप्रेरित रहें। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या आवंटित किया गया है और यह कैसे खर्च किया जाता है। लाभकारी उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

106. यह परिकल्पना की गई थी कि सामाजिक असमानताओं, आर्थिक और पिछड़ेपन को 10 वर्षों की अवधि के भीतर मिटा दिया जाना चाहिए, लेकिन

धीरे-धीरे संशोधन किए गए हैं और सूचियों की कोई समीक्षा नहीं की गई है और न ही आरक्षण के प्रावधान समाप्त हुए हैं। इसके बजाय, उन्हें बढ़ाने और आरक्षण के भीतर आरक्षण प्रदान करने की मांग की जा रही है। किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए उपरोक्त परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति होना बहुत कठिन है। विशेषाधिकारों और सुविधाओं के अनुदान से यह महसूस किया गया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा और असमानताएं कम होंगी।

107. अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया आरक्षण और अनुसूचित क्षेत्रों का गठन इस कारण से है क्योंकि जीवन शैली से संबंधित प्रणालियाँ अलग हैं। वे अलग-थलग थे, सामान्य सभ्यता से विभिन्न पहलुओं में भिन्न थे जैसे कि न्याय का वितरण, कानूनी प्रणाली के संबंध में,

संस्कृति, जीवन शैली आम लोगों से अलग होती है, उनकी भाषा और उनकी आदिम जीवन शैली उन्हें मुख्यधारा का सामना करने और सामान्य कानूनों द्वारा शासित होने के लिए अयोग्य बनाती है। संवैधानिक प्रावधानों में दी गई सुरक्षात्मक शर्तों का उद्देश्य यह था कि वे एक दिन मुख्यधारा का हिस्सा बनेंगे और आने वाले सभी समय के लिए अलग-थलग नहीं रहेंगे। अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 को उन समूहों और समुदायों को शामिल करने के लिए लागू किया गया था जो उस समय तक विकसित विशेषता और

संस्कृति के आधार पर सामाजिक समाज का हिस्सा नहीं थे। औपचारिक शिक्षा, मोटे तौर पर, उन तक पहुँचने में विफल रही, और वे एक वंचित वर्ग बने रहे, क्योंकि उनके उत्थान और उन्हें राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए मदद की आवश्यकता थी, न कि आदिम संस्कृति का हिस्सा बने रहने के लिए। संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य उन्हें अलग-थलग रखना नहीं है, बल्कि उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनाना है। उन्हें मानव चिड़ियाघर और स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए

आदिम संस्कृति और नृत्य प्रदर्शनों का आनंद लेना। विकास के लाभ उन तक नहीं पहुंचे हैं, और वे अलग-थलग रहते हैंदेश के विभिन्न भागों में। आदिवासियों को समान बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान और शिक्षा आवश्यक है।

108. इस मामले में यह सवाल उठ रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को कैसे संतुलित किया जाए। क्या 100% उपलब्ध कराया जा रहा है

किसी विशेष वर्ग के पक्ष में आरक्षण की अनुमति है?

109. उच्च न्यायालय ने संविधान सभा की बहसों का उल्लेख किया। डॉ. अम्बेडकर ने पिछड़ेपन से संबंधित एक उत्तर में क्या कहा था

समुदाय; चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

" पिछड़े समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो पिछड़े वर्ग में है।

सरकार की राय। मेरे माननीय मित्र Mr.T.T।

कृष्णमाचारी ने मुझसे पूछा कि क्या यह नियम न्यायोचित होगा। यह.

एक हठधर्मी जवाब देना मुश्किल है। व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि

यह एक न्यायोचित मामला होगा। यदि स्थानीय सरकार शामिल हैआरक्षण की इस श्रेणी में इतनी बड़ी संख्या में सीटें हैं; मुझे लगता है

कोई बहुत अच्छी तरह से संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है

न्यायालय और कहें कि आरक्षण इतना बड़ा है कि

अवसर की समानता के संबंध में नियम को नष्ट कर दिया गया है और

सरकार या राज्य सरकार ने उचित तरीके से काम किया है।और विवेकपूर्ण तरीके से। ”

(जोर दिया गया)

110. एम. आर. बालाजी और अन्य में। वी. मैसूर राज्य और अन्य। , (1963)

1 एस. सी. आर. 439, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्ष में कुल आरक्षण

समाज के सुविधाजनक वर्ग इस प्रकार 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते:

राज्य द्वारा नियुक्त गौड़ा समिति। यह रिपोर्ट आगे बढ़ती है।इस आधार पर कि आम तौर पर उच्च सामाजिक दर्जा दिया गया है

सदियों से जाति के आधार पर; और इसलिए, यह दृष्टिकोण लेता है कि

इसलिए, किसी भी समुदाय की निम्न सामाजिक स्थिति मुख्य रूप से कारण है

जाति व्यवस्था के लिए। रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त हैं

यह निष्कर्ष निकालने के कारण कि सामाजिक पिछड़ेपन मुख्य रूप से आधारित है

नस्लीय, जनजातीय, जाति और संप्रदायगत अंतर, भले हीआर्थिक पिछड़ेपन ने सामाजिक विकास में योगदान दिया होगा

पिछड़ेपन। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि समिति

सामाजिक रूप से गणना और वर्गीकरण की अपनी समस्या का समाधान किया

और इस आधार पर कि शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय

सामाजिक पिछड़ेपन काफी हद तक उस जाति पर निर्भर करता है जिस पर

समुदाय संबंधित है, हालांकि यह मान्यता है कि आर्थिक

स्थिति एक अंशदायी कारक हो सकती है। किया गया वर्गीकरण

जिन समुदायों को इसने अपनाया है, वे दर्शाते हैं कि समिति वस्तुतःजातियों के साथ वर्गों की बराबरी की। समिति के अनुसार,

पूरा लिंगायत समुदाय सामाजिक रूप से आगे था, और यह सब

भुंटों को छोड़कर वोक्कलिगों के वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे।

मुसलमानों के संबंध में, समिति के अधिकांश सदस्य सहमत हुए

कि पूरे मुस्लिम समुदाय को [2020] 6 एस. सी. आर. के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामाजिक रूप से पिछड़े। समिति ने आगे निर्णय लिया कि

पिछड़े समुदायों को दो प्रभाग बनाए जाने चाहिए (i)

पिछड़े और (ii) अधिक पिछड़े। यह भेद करते हुए,समिति ने एक परीक्षण लागू किया। उसने पूछा: " का मानक था

राज्य के 50 प्रतिशत से कम विचाराधीन समुदाय में शिक्षा औसत? यदि ऐसा था, तो समुदाय को अधिक माना जाना चाहिए।

पिछड़े; यदि यह नहीं था, तो समुदाय को माना जाना चाहिए

पीछे की ओर "। शिक्षा में आरक्षण की सीमा के बारे में

संस्थाओं, समिति की सिफारिश थी कि 28 प्रतिशत को करना चाहिए

पिछड़े वर्ग के लिए 22 प्रतिशत और अधिक पिछड़े वर्ग के लिए 22 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा। अन्य में

50 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के पूरे समूह के लिए आरक्षित होना चाहिए।15 प्रतिशत और 3 प्रतिशत के अलावा समुदाय जो पहले से ही थे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित

क्रमशः। इस तरह समिति के अनुसार, 68 प्रतिशत था

पिछड़े लोगों की बेहतरी के लिए आरक्षणवर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति। इसके आधार पर

इन सिफारिशों को सरकार ने आगे बढ़ाया उसका विवादित आदेश "।

111. केरल राज्य में बनाम। एन. एम. थॉमस, (1976) 2 एस. सी. सी. 310,

अदालत ने कहा कि बालाजी (ऊपर) में विकसित नियम कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, केवल सावधानी का नियम है।

112. एम. नागराज और ओआरएस में। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2006)

8 एस. सी. सी. 212, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है जिसके बिना अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की संरचना ध्वस्त हो जाएगी। इस न्यायालय ने कहा:

प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता सभी संवैधानिक आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना

अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की संरचना ध्वस्त हो जाएगी।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

113. रिलायंस को यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस में भी रखा गया है। वी.

राकेश कुमार और अन्य। , (2010) 4 उत्तरदाताओं की ओर से एस. सी. सी. 50, जो पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243,243 डी, 15 (4), 16 (4) और संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों पर विचार करते हुए और भाग IX के तहत पंचायती राज प्रणाली का विस्तार करने के लिए

अनुसूचित क्षेत्रों में, यह पंचायत के अध्यक्ष, चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओ. आर. एस. का पद था।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को वंचित नहीं रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 14,15 और 16 सकारात्मक कार्रवाई उपायों का प्रावधान करते हैं; हालाँकि, बदलती सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवधिक समीक्षा की आवश्यकता है। (ए)। राकेश कुमार (ऊपर) में अनुच्छेद 243 डी और अनुच्छेद 16 (4) के बीच के अंतर को इस प्रकार बताया गया है:

" 42. विशेष रूप से अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 243-डी के बीच समानता की व्यवहार्यता पर, हम बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले से सहमत हैं, जिसे विनायकराव गंगारामजी के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

देशमुख बनाम। पी. सी. अग्रवाल, ए. आई. आर. 1999 बम 142। उस मामले में एक तथ्य स्थिति शामिल थी जहां अध्यक्ष का पद एक

पंचायत अनुसूचित जाति की महिला के पक्ष में आरक्षित थी। इस आरक्षण को बनाए रखने के क्रम में, यह आयोजित किया गया था: (एयर पी।

143 , पैरा 4)

ग्राम पंचायत जैसे निकाय अनुच्छेद 16 (4) द्वारा शासित नहीं होते हैं, जो सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की बात करता है, लेकिन एक अलग संवैधानिक शक्ति निर्देश देती है कि ऐसे स्थानीय निकायों में आरक्षण।

43. तर्क के लिए, भले ही अनुच्छेद 243-डी और अनुच्छेद 16 (4) के बीच एक सादृश्य व्यवहार्य था, इंद्र [2020] 6 एस. सी. आर. का एक करीबी अध्ययन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निम्नलिखित शब्द (पैरा 809-10 पर): (एस. सी. सी पी. 735)" 809. उपरोक्त चर्चा से जो अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि संविधान के खंड (4) में अनुध्यात आरक्षण

अनुच्छेद 16 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

810. जबकि 50 प्रतिशत नियम होगा, यह रखना आवश्यक नहीं है

कुछ असामान्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए

राष्ट्रीय जीवन और उनके लिए विशिष्ट और विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए, एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करने में अत्यधिक सावधानी बरतें।इसका प्रयोग किया जाना है और एक विशेष मामला बनाया जाना है।

(बी)। राकेश कुमार (ऊपर) में पर्याप्त और आनुपातिक प्रतिनिधित्व से विचलन इस प्रकार माना गया है:

" 48. वहाँ निश्चित रूप से से प्रस्थान के लिए एक तर्कसंगत आधार है

"पर्याप्त प्रतिनिधित्व" के साथ-साथ "आनुपातिक" मानदंडवर्तमान मामले में "प्रतिनिधित्व। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि यह पाया गया कि उन क्षेत्रों में भी जहां अनुसूचित जनजातियां सापेक्ष बहुमत में हैं, वे सरकार में कम प्रतिनिधित्व वाले हैं।

मशीनरी और इसलिए शोषण के लिए असुरक्षित। क्षेत्रों में भी

जहाँ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति सार्वजनिक पदों पर रहते थे, वहाँ इस बात की स्पष्ट संभावना है कि गैर-जनजातीय आबादी मामलों पर हावी हो जाएगी। अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति

अनुसूचित जनजातियाँ गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि हड़पने, निजी और सरकारी विकासात्मक गतिविधियों के कारण विस्थापन और पर्यावरणीय संसाधनों के विनाश जैसी समस्याओं के माध्यम से भी प्रकट होती

हैं। इस तरह की सामाजिक वास्तविकताओं से निपटने के लिए, विधायिका ने "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" के मानदंड से हटना उचित समझा। इस मायने में दूसरा अनुमान लगाना हमारा काम नहीं है।

इस तरह के नीतिगत विकल्प।

56. पंचायतों में आरक्षण के संदर्भ में, यह तर्क दिया जा सकता है कि मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों पर रखी गई सीमा एक चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

कमजोरों के हितों की रक्षा में राज्य के हित को बाध्य करना स्थानीय स्वशासन में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके अनुभाग

स्पष्ट रूप से कटौती नहीं करने में प्रतिस्पर्धी रुचि से अधिक हैमतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्प। यहाँ यह भी दोहराया जाना चाहिए कि

अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 50 प्रतिशत आरक्षण

पेसा अधिनियम की धारा 4 (जी) का पहला प्रावधान लागू नहीं किया गया था

विवादित फैसले में। भले ही यह पहले तर्क दिया गया था

यह न्यायालय कि यह प्रावधान के मानदंड से प्रस्थान करता है

" अनुच्छेद 243-डी (1) द्वारा अनुध्यात आनुपातिक प्रतिनिधित्व,

" भाग IX के अनुप्रयोग में अपवाद "और" संशोधन "अनुसूचित क्षेत्र। धारा 17 (बी) (1), 36 (बी) (1) और 51 (बी) (1)

जे. पी. आर. ए. केवल असाधारण उपचार को प्रभाव देता है जो है

पेसा अधिनियम द्वारा अनिवार्य "।

(सी)। इस न्यायालय ने राकेश कुमार (उपरोक्त) मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि

पंचायती राज अधिनियम में उल्लिखित पिछड़े वर्गों के हितों का लेखा-जोखा रखने का दायित्व भी हाथ पर था।

" 57. हालाँकि, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 50 प्रतिशत आरक्षण के अलावा, झारखंड राज्य अनुसूचित जातियों और अन्य लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए भी बाध्य है पिछड़े वर्ग। जे. पी. आर. ए. की धारा 17 (बी) (2), 36 (बी) (2) और 51 (बी) (2) में अनुसूचित जातियों के लिए "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" के मानक को शामिल किया गया है।

और पिछड़े वर्ग इस तरह से कि कुल आरक्षण 80 प्रतिशत से अधिक न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण 80 प्रतिशत की सीमा तक पहुंच जाएगा। चूंकि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों के आवंटन को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है, इसलिए पंचायतों के चुनाव के उद्देश्य से पहचाने गए विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल आरक्षण की सीमा अलग-अलग होने की संभावना है। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र की जनसांख्यिकीय रूपरेखा के आधार पर, यह संभव है कि कुल आरक्षण 80 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से काफी कम हो। हालांकि, अनुसूचित क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की आबादी कुल आबादी के 30 प्रतिशत से अधिक है, वहां 80 प्रतिशत की ऊपरी सीमा लागू हो जाएगी।

[2020] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. इस तरह के क्रमपरिवर्तन के बावजूद, इसके पीछे विधायी इरादा है

जे. पी. आर. ए. के विवादित प्रावधान मुख्य रूप से सुरक्षा के हैं।

अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के हित।

पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में, यह हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है।

कि पंचायतों में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित होने की अनुमति है क्योंकि

अनुच्छेद 243-एम (4) (बी) के तहत अनिवार्य असाधारण व्यवहार।

इसलिए हम अपीलार्थियों से सहमत हैं और फैसले को पलट देते हैं

इस सीमित बिंदु पर झारखंड के उच्च न्यायालय का।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

(डी)। यह निर्णय आरक्षण के संदर्भ में लिया गया है।

पंचायत जिसके लिए अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किए गए हैं

एम (4) (बी), और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 243 डी के प्रावधान हैं:

अनुच्छेद 16 (4) में निहित प्रावधानों से दोषसिद्ध। यह भी है

इस बात पर जोर दिया कि राज्य अन्य पिछड़े लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकता और

जाति वर्गों को लुभाया।

114. के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. ,

(घ) 7 एस. सी. सी. 202, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 53. इस संबंध में, हम एक के साथ आंशिक सहमति में हैं

शिक्षा और रोजगार तक पहुँच को बाधित करने वाले नुकसान के दायरे में नुकसान के साथ आसानी से तुलना नहीं की जा सकती है

राजनीतिक प्रतिनिधित्व। सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक में पिछड़ेपन

और आर्थिक समझ का मतलब राजनीतिक नहीं है।

पिछड़ेपन। हालाँकि, याचिकाकर्ता का जोर इस पर है कि

"चयन" के बीच अंतर (शिक्षा और शिक्षा के मामले में)

रोजगार) और "चुनाव" (राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में)

शिक्षा और रोजगार पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। योग्यता और दक्षता के विचार जिन्हें मापा जा सकता है

एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से। इसलिए, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेशऔर सरकारी नौकरियों में भर्ती आमतौर पर इसके माध्यम से की जाती है

परीक्षा, साक्षात्कार या अतीत के मूल्यांकन जैसी विधियाँ

प्रदर्शन। चूँकि यह महसूस किया जाता है कि संबंधित आवेदक

एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. श्रेणियां दूसरों के बीच नुकसान में हैं जब

वे इन तरीकों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक समान खेल का मैदान मांगा जाता है

आरक्षण लाभ प्रदान करने के माध्यम से बनाया जाना।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

54. राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में, यह निर्धारित करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं हो सकते हैं कि किसके निर्वाचित होने की अधिक संभावना है।

किसी भी स्तर पर प्रतिनिधि संस्थान। मतदाताओं की पसंद किसी उम्मीदवार की योग्यता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन द्वारा निर्देशित नहीं होती है और

दक्षता। इसके बजाय, उन्हें व्यक्तिपरक कारकों द्वारा आकार दिया जाता है जैसे कि उम्मीदवार की समर्थन प्राप्त करने की क्षमता, पिछले सेवा रिकॉर्ड, घोषित विचारधारा और उनके बीच संगठित समूहों से संबद्धता। अन्य। इस संदर्भ में, यह काफी संभव है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के उम्मीदवार इन व्यक्तिपरक गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं और अपेक्षाकृत बेहतर समूहों के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव जीत सकते हैं। हालाँकि, इस तरह के परिदृश्य को सभी परिस्थितियों में नहीं माना जा सकता है। यह काफी कल्पना की जा सकती है कि कुछ स्थानीय परिवेशों में, सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ेपन भी प्रभावी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। जब स्थानीय निकायों के चुनावों के उद्देश्य से समान अवसर पैदा करने की बात आती है, तो सामाजिक और आर्थिक मायने में पिछड़ेपन वास्तव में आरक्षण लाभ प्रदान करने के मानदंडों में से एक हो सकता है।

63. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन आवश्यक रूप से राजनीतिक पिछड़ेपन के साथ मेल नहीं खाते। इस संबंध में, राज्य सरकारों को अच्छी तरह से सलाह दी जाती है कि वे अपनी आरक्षण नीतियों को फिर से व्यवस्थित करें, जिसमें अनुच्छेद 243 के तहत लाभार्थी शामिल हों।

डी (6) और 243-टी (6) आवश्यक रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एस. ई. बी. सी.) के साथ समान होने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 15 (4)] या यहाँ तक कि पिछड़े वर्गों का उद्देश्य जो हैं

सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व [अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य के लिए]। यह कहना सुरक्षित होगा कि जिन सभी समूहों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण का लाभ दिया गया है, उन्हें स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएं शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं हैं। इसके लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण के संबंध में कुछ नई सोच और नीति बनाने की आवश्यकता है।

64. स्थानीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा के बारे में स्पष्ट संवैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में

स्वशासन, आनुपातिक आरक्षण का नियम है। हालांकि, हमें इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर (2020) 6 एस. सी. आर. के संबंध में 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा (मात्रात्मक सीमा)।

एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इस ऊपरी सीमा को तोड़ने के सवाल पर, तर्कयाचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आरक्षण को थोड़ा गलत समझा गया था क्योंकि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण के लिए जिम्मेदार थे

यह दावा करना कि कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया गया है। यह स्पष्ट रूप से स्थिति की एक गलतफहमी थी क्योंकि महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण का मतलब है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के साथ अंतर करने के लिए, क्योंकि बाद की श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं।एक ही। इसका मतलब है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए निर्धारित सीटों का हिसाब नहीं रखा जाता है, अगर किसी को यह अनुमान लगाना है कि क्या 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का उल्लंघन किया गया है।

65. श्री राजीव धवन ने तर्क दिया है कि संदर्भ के अनुसार

स्थानीय स्वशासन शिक्षा और रोजगार से अलग है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा

इंदिरा साहनी, 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217 में निर्धारित किया गया था, क्योंकि उस मामले से निपटा गया था

सरकारी नौकरियों में आरक्षण। यह आगे तर्क दिया गया था

कि एक ही निर्णय ने असाधारण की आवश्यकता को मान्यता दी थी

कुछ परिस्थितियों में उपचार, जो निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट है: (एस. सी. सी पी. 735 , पैरा 809-10)

" 809. उपरोक्त चर्चा से जो अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि संविधान के खंड (4) में अनुध्यात आरक्षण

अनुच्छेद 16 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

810. जबकि 50 प्रतिशत नियम होगा, यह रखना आवश्यक नहीं है

राष्ट्रीय जीवन और उनके लिए विशिष्ट और विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए, एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करने में, अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए। "66. मान लीजिए, कुछ असाधारण मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मौजूद है, जब बात राजनीतिक चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस के क्षेत्र की आती है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

प्रतिनिधित्व। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक है।हालाँकि, ऐसी स्थिति असाधारण स्थिति का परिणाम है।

इन क्षेत्रों के संबंध में विचार। इसी तरह, ऊर्ध्वाधर

पाँचवीं अनुसूची में स्थित स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की संरचना में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति है।

क्षेत्र।

67. हाल ही में भारत संघ बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। राकेश कुमार, (2010) 4 एस. सी. सी. 50, इस न्यायालय ने समझाया है कि अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करना क्यों आवश्यक हो सकता है।

जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक सीटें हैं। हालाँकि, इस तरह के असाधारण विचारों को तब लागू नहीं किया जा सकता है जब हम पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा की जांच कर रहे हैं।

सामान्य क्षेत्रों में स्थित स्थानीय निकाय। ऐसी परिस्थितियों में, एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट है कि

इस ऊपरी सीमा का पालन करने के लिए, कुछ राज्यों को अपने कानूनों में संशोधन करना पड़ सकता है ताकि लागत की मात्रा को कम किया जा सके।

ओ. बी. सी. के पक्ष में मौजूदा कोटा "।

115. विनायकराव में बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय

जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक भागीदारी की बाधाएं शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं हैं। ऊर्ध्वाधर के बारे मेंआरक्षण, यह कहा गया था कि उन्हें 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा में बनाया जाना है।

100% आरक्षण अनुचित और अनुचित होगा और इसे अनुचित और अनुचित के अलावा नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार, हम [2020] 6 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माना जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 100% आरक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। द.

अनुच्छेद 5 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल

संविधान की पाँचवीं अनुसूची, 100% आरक्षण प्रदान नहीं कर सकती है।116. आर. चित्रलेखा बनाम। मैसूर राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1823 में यह निर्धारित किया गया था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए; हालाँकि,

बहुत सावधानी के साथ थोड़ा आराम करने की अनुमति है। आरक्षण सामान्य नियम का एक अपवाद है। आरक्षण की मात्रा अत्यधिक और सामाजिक रूप से हानिकारक नहीं होनी चाहिए।

117. एम्स छात्र संघ बनाम। A.I.I.M.S., जे. टी. 2001 (7) एस. सी. 12, न्यायालय ने कहा:

" आरक्षण, एक अपवाद के रूप में, शायद उचित है बशर्ते कि

उस वर्ग के पक्ष में औचित्य साबित करने का बोझ उठाना जो शैक्षिक रूप से विकलांग होना चाहिए- आरक्षण बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। मेडिकल छात्रों के मामले में आरक्षण का तर्क क्षेत्रीय या वर्ग की अपर्याप्तता या इसी तरह के नुकसान को दूर करना होना चाहिए। वहाँ भी, आरक्षण की मात्रा अत्यधिक या सामाजिक रूप से हानिकारक नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण का स्तर जितना अधिक होगा, आरक्षण की भूमिका उतनी ही कम होगी।

118. रिलायंस को लिंगप्पा पोचन्ना अप्पेलवार एंड ओआरएस पर रखा गया है। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (1985) 1 एस. सी. सी. 479 जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसूचित जनजातियों की गरिमा और जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक उपाय करना और उन्हें रोकना राज्य का एक संवैधानिक कर्तव्य है। ऊपर वर्णित प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है; हालाँकि,

संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन संवैधानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

119. प्रत्यर्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। न्यायालय देय का निरीक्षण कर सकता है

राज्य की राय का सम्मान यदि समर्थन करने के लिए सामग्री मौजूद है राय जो बनती है। इंद्र साहनी (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने प्रश्न पर विचार किया और कहा:

" 798. एक वर्ग को न केवल आरक्षण के योग्य होने के लिए एक पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, बल्कि राज्य के तहत सेवाओं में भी इसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। खंड (4) की भाषा यह स्पष्ट करती है कि क्या राज्य के अधीन सेवाओं में नागरिकों के पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यह प्रश्न

राज्य की व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मामला।

यह स्पष्ट है कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और हमारा। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

इस तथ्य से कि उक्त आवश्यकता शब्दों से पहले है

" राज्य की राय में "। यह राय बनाई जा सकती है

राज्य अपने दम पर, अर्थात उस सामग्री के आधार पर जो उसके पास है।

पहले से ही कब्जा, या यह एक के माध्यम से ऐसी सामग्री एकत्र कर सकता है

आयोग/समिति, व्यक्ति या प्राधिकरण। वह सब जो आवश्यक है

अर्थात, कुछ ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिस पर राय बनती है।

वास्तव में, इस मामले में अदालत को उचित सम्मान दिखाना चाहिए

राज्य की राय, जिसका वर्तमान संदर्भ में अर्थ है -

कार्यकारी। कार्यपालिका को मौजूदा जानकारी होनी चाहिए

समाज में स्थितियाँ, जो उनके बीच से खींची गई हैं

हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बनाई गई राय न्यायिक से परे हैपूरी तरह से जांच करें। न्यायिक जांच का दायरा और पहुंच

कार्यपालिका की व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मामले अच्छी तरह से हैं

और बेरियम केमिकल्स v में व्यापक रूप से कहा गया है। कंपनी कानून

बोर्ड 37 जिसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है

व्यक्तिपरक निर्णय के भीतर तथ्य (अपर्याप्त प्रतिनिधित्व) राज्य/कार्यपालिका का "।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

120. इंद्र साहनी (ऊपर) में, यह देखा गया था कि प्रत्येक स्थिति

इसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए और इसे उपयुक्त अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वहाँ

पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए विभिन्न परीक्षण। अदालत रख सकती है

केवल सामान्य दिशानिर्देश। यदि राज्य द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है

और पर्याप्त, तब न्यायालय का इस मामले में कोई कहना नहीं है। अदालत ने

" 780. अब, हम "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" की पहचान की ओर रुख कर सकते हैं। आप इसके बारे में कैसे जाते हैं? आप कहाँ से शुरू करते हैं? क्या विधि राज्य से राज्य, क्षेत्र से क्षेत्र और ग्रामीण से शहरी में भिन्न होती है? आप उन धर्मों के मामले में क्या करते हैं जहां जाति-व्यवस्था प्रचलित नहीं है? अन्य वर्गों, समूहों और समुदायों के बारे में क्या जो जाति का लेबल नहीं पहनते हैं? क्या अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य से संघर्ष विराम रेखा (जम्मू और कश्मीर में) या पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें पिछड़े वर्गों के रूप में पहचाना जाना चाहिए? और इसी तरह और भी कई सवाल हमसे पूछे जाते हैं। हम उन्हें जवाब देंगे। लेकिन हमारे जवाब अनिवार्य रूप से [2020] 6 एस. सी. आर. की सामान्यताओं से संबंधित होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थिति और न कि किसी परिधीय प्रकृति की समस्याओं या मुद्दों के साथ जो किसी विशेष राज्य, जिले या क्षेत्र के लिए विशिष्ट हैं। प्रत्येक स्थिति की कल्पना और उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह पहचान करने के लिए नियुक्त उपयुक्त अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हम केवल सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं।

783. हमारा सुझाव देने का मतलब नहीं है-हम दोहरा सकते हैं कि ऊपर बताई गई प्रक्रिया ही एकमात्र प्रक्रिया या विधि/दृष्टिकोण है जिसे अपनाया जाना है। वास्तव में, कोई मानक या मॉडल प्रक्रिया/दृष्टिकोण जैसी कोई चीज नहीं है। यह प्राधिकरण (पहचान करने के लिए नियुक्त) पर है कि वह इस तरह के दृष्टिकोण और प्रक्रिया को अपनाए जैसा वह सोचता है।

उचित है, और जब तक उसके द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण निष्पक्ष और पर्याप्त है, तब तक अदालत का इस मामले में कोई कहना नहीं है। पूर्ववर्ती पैरा में चर्चा का एकमात्र उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि यदि

आयोग/प्राधिकरण जातियों (हिंदुओं के बीच) और अन्य लोगों के बीच व्यावसायिक समूहों के साथ अपनी पहचान की प्रक्रिया शुरू करता है, अकेले इसी कारण से इसे संवैधानिक या कानूनी रूप से खराब नहीं कहा जा सकता है। हमें यह भी कहना चाहिए कि कानून का कोई नियम नहीं है कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए आवेदन की जाने वाली परीक्षा केवल एक और/या समान होनी चाहिए। भारत जैसे

विशाल देश में, यह व्यावहारिक नहीं है। यदि वास्तविक उद्देश्य खोज और पता लगाना हैपिछड़ेपन, और यदि ऐसा पिछड़ेपन किसी जाति में पाया जाता है, तो इसे पिछड़े के रूप में माना जा सकता है; यदि यह किसी अन्य समूह में पाया जाता है,

वर्ग या वर्ग, उन्हें भी पिछड़े माना जा सकता है।

***

***

***

854. (ख) कड़ाई से कहें तो अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए अनुच्छेद 340 के तहत आयोग की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 340 ऐसा नहीं कहता है। इसके अनुसार, आयोग का गठन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की जांच के लिए किया जाना है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग. और जिन कठिनाइयों के तहत

आयोग की नियुक्ति, ओ. बी. सी. को निर्दिष्ट करते हुए, ऐसी सामग्री के आधार पर जो उसके पास पहले हो सकती है (जैसे, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई सूचियाँ) और फिर उनकी शर्तों की जांच करने और उपयुक्त बनाने के लिए आयोग की नियुक्ति की जाती है।सिफारिशें। यह सच है कि मंडल आयोग का गठन सामाजिक और चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए किया गया था।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और आयोग ने किया

एक ही निर्धारित करें। फिर भी, उपरोक्त को बनाए रखना आवश्यक है

संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप सेमंडल सूचियों पर राज्य सूचियों को वीटो दिया गया जैसा कि में समझाया गया है

पूर्ववर्ती उप-पैरा। मंडल आयोग द्वारा विकसित मानदंड

समावेशन, जैसा भी मामला हो। लेकिन इतने बड़े पैमाने के अभ्यास मेंऔर जटिलता, इस तरह की त्रुटियाँ असामान्य नहीं हैं। ये गलतियाँ

की प्रासंगिकता को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है

आयोग या पूरे अभ्यास द्वारा विकसित मानदंडपहचान। यह कहना एक बात है कि इन त्रुटियों को ठीक किया जाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा एक उपयुक्त तंत्र विकसित करके

और एक पूरी तरह से अलग बात यह कहने के लिए कि उस खाते पर, पूरा अभ्यास व्यर्थ हो जाता है। कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है

रिपोर्ट करें। इस तरह के मानवीय मामलों में, पूर्णता केवल एक आदर्श है।

- एक प्राप्य लक्षय नहीं। चालीस साल से अधिक समय बीत चुका है।

अब तक किसी एक के लिए ओ. बी. सी. के पक्ष में कोई आरक्षण नहीं दिया जा सका था।

या केंद्रीय सेवाओं में अन्य कारण हालांकि कई राज्यों में,

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आदि। मध्य प्रदेश मेंप्रदेश, महाजन के आधार पर ओ. बी. सी. की एक सूची तैयार की गई थी।

आयोग की रिपोर्ट पर रोक लगा दी गई है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय "।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

यह भी देखा गया कि सख्ती से बोलते हुए, एक की नियुक्ति

मिशन अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए आवश्यक नहीं है।

121. रिलायंस को बेरियम केमिकल्स बनाम पर भी रखा गया है।

पैनी लॉ बोर्ड ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 295 का तर्क है कि समीक्षा सीमित है। पर्याप्तता खोजना अदालत का काम नहीं है। यह है।

निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री की सटीकता का निर्णय करने के लिए अदालत को कलम।

122. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा किया है

रोनाल्ड डी. रोटुंडा द्वारा संवैधानिक कानून (पाँचवाँ संस्करण) पर आई. एस. ई.

यह देखा गया है कि कानून का परीक्षण पारंपरिक तर्कसंगत [2020] 6 एस. सी. आर. पर किया जाना चाहिए।

ए. आर. डी. एस. और न्यायालय को गंभीर रूप से संदिग्ध वर्गीकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

पंखों के अवलोकन किए गए हैं:

" न्यायमूर्ति व्हाइट की एक राय में न्यायालय ने पाया कि सेवानिवृत्ति वर्गीकरण का परीक्षण सामान्य समान संरक्षण द्वारा किया जाना चाहिए।

सिद्धांत, लेकिन यह कि यह समान सुरक्षा गारंटी का उल्लंघन नहीं करता है। हालाँकि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि कानून का परीक्षण किया जाना चाहिएपारंपरिक तर्कसंगत आधार मानक, जस्टिस व्हाइट की राय

इस बात पर जोर दिया कि संघीय न्यायपालिका को उन वर्गीकरणों की गंभीरता से समीक्षा नहीं करनी है जिनमें मौलिक अधिकार या संदिग्ध शामिल नहीं हैं वर्गीकरण:

संविधान का मानना है कि, घृणा का अनुमान लगाने के लिए कुछ कारण नहीं होने पर, आकस्मिक निर्णय भी अंततः लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा सुधार किए जाएंगे और न्यायिक हस्तक्षेप है

आम तौर पर अनुचित, चाहे हम कितना भी अनजाने में सोचें कि एक राजनीतिक शाखा ने काम किया है। इस प्रकार, हम इस तरह के कानून को तब तक नहीं पलटेंगे जब तक कि विभिन्न समूहों या समूहों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जाता है।

व्यक्ति वैध उद्देश्यों के किसी भी संयोजन की उपलब्धि से इतने असंबंधित हैं कि हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं किविधायिका के कार्य अतार्किक थे।

पारंपरिक तर्कसंगत मानक को लागू करने से स्थिति खराब हो जाती है

विवादित जी. ओ. को पोर्ट करें।

123. रिलायंस को जरनैल सिंह एंड ओआरएस पर भी रखा गया है। वी. हम नारायण गुप्ता और अन्य। , 2018 (10) एस. सी. सी. 396, जिसमें यह वेद था:

" 23. यह हमें इस बात पर लाता है कि क्या एम. नागराज बनाम में निर्णय है। भारत संघ, (2006) 8 एस. सी. सी. 212 उन अन्य आधारों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है जिन पर हमारे समक्ष तर्क दिया गया है। जहाँ तक वर्ग के पिछड़ेपन का संबंध है, राज्य को मात्रात्मक आंकड़े दिखाने हैं, हमें डर है कि हमें श्री शांति भूषण के तर्क को अस्वीकार कर देना चाहिए। "वर्ग" का संदर्भ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और सार्वजनिक रोजगार में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के लिए है। अतः यह स्पष्ट है कि नागराज, (2006) 8 एस. सी. सी. 212, ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य को यह दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा किअनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पिछड़ेपन। हमें डर है कि फैसले का यह हिस्सा इंद्र साहनी (1), 1922 सप्लीमेंट (3) में नौ न्यायाधीशों की पीठ के सीधे विपरीत है।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

एससीसी 217। जे. जीवन रेड्डी ने अपने और तीन अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा था:

" [टी] वह सामाजिक और शैक्षिक का परीक्षण या आवश्यकता करता है पिछड़ेपन को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं किया जा सकता है, जो निर्विवाद रूप से "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। (एस. सी. सी. पी. देखें। 727 , पैरा 796 से

797.)

समान रूप से, डॉ. जस्टिस थॉममेन, पैरा 323 (4) में अपने निष्कर्ष में,

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था: (एससीसी पीपी। 461-62)

" 323. सारांश

* *

*

(4) केवल नागरिकों के ऐसे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी पहचान की जा सकती है -

पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, उनके पिछड़ेपन को या तो निम्नलिखित के माध्यम से मान्यता दी जानी चाहिए:

अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने वाली अधिसूचना, या, एक वस्तुनिष्ठ विचार पर, राज्य द्वारा पहचानी गई

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ तुलनीय। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के मामले में, अधिसूचनाओं को देखते हुए, इन शर्तों को पूरा माना जाता है। ”

तत्काल मामले में, शामिल प्रश्न अलग है। यह मामला प्रचार के अवसरों के लिए डेटा की मात्रा निर्धारित करने से संबंधित नहीं है। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले आंकड़ों की मात्रा निर्धारित करने का प्रश्न जर्मन नहीं है। इस निर्णय का कोई उपयोग नहीं है। तत्काल मामले में सवाल यह है कि क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है

अनुमति है, लेकिन किस हद तक। आरक्षण और पदोन्नति के लिए आंकड़ों की मात्रा निर्धारित करने के संबंध में जरनैल सिंह (उपरोक्त) में निर्णय भारत के संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 के प्रावधानों पर लागू नहीं होता है।

[2020] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

125. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रशासन पर राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई है

अनुसूचित क्षेत्र, यदि स्थानीय आदिवासी उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें गैर-स्थानीय आदिवासियों द्वारा भरा जा सकता है। प्रासंगिक कार्यसूची मद सं। 3 और उस पर प्रस्ताव, जो राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट का हिस्सा है, को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।इसके नीचे:

" कार्यसूची मद: 3

समाज कल्याण (ई) विभाग के G.O.275 के स्थान पर संशोधन और एक नई अधिसूचना लाना। डीटी। 5.11.1986 शैक्षणिक संस्थानों में सभी शिक्षक रिक्तियों के आरक्षण के लिए

स्थानीय अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में अनुसूचित क्षेत्र।

जनजातीय कल्याण आयुक्त उपरोक्त विषय की व्याख्या करते हैं।

विस्तार से:

समाधान:

यह निर्णय लिया गया है कि रिक्त पद अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यदि स्थानीय आदिवासी उपलब्ध नहीं हैं, तो पद

इसे गैर-स्थानीय आदिवासियों द्वारा भरा जा सकता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद ने ऊपर वर्णित निर्णय लिया। यह उल्लेख करना उचित है कि G.O.275 दिनांकित 5.11.1986 को उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस न्यायालय में दायर दीवानी अपील को वापस ले लिया गया। यह भी स्पष्ट है

कि अनुसूचित में स्थानीय आदिवासियों के लिए रिक्त पद आरक्षित थे

क्षेत्र, क्योंकि उन्हें भरा नहीं जा सका; इस प्रकार, स्थानीय-गैर-आदिवासियों द्वारा पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

100 प्रतिशत पदों का आरक्षण अतार्किक और मनमाना था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। एक तरफ, स्थानीय आदिवासी उपलब्ध नहीं थे, और पद खाली थे, जिससेउन पदों को गैर-

स्थानीय आदिवासियों द्वारा भरने का निर्णय लिया गया था, और दूसरी ओर, इन पदों को उन अधिकारियों द्वारा भरने का निर्णय लिया गया था जो 26.1.1950 के बाद से क्षेत्र में रह रहे थे।

आंध्र चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस के कार्यवृत्त। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद ने रिपोर्ट का हिस्सा बनाया

राज्यपाल, जिसे पाँचवीं अनुसूची के पैरा तीन के तहत राष्ट्रपति को भेजा गया था।126. संविधान की अनुसूची V के पैरा 3 के अनुसार, राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रशासन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

अनुसूचित क्षेत्र वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो। क्षेत्रों में प्रगति पर नज़र रखने के लिए रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। आरक्षण करने का निर्णय लेने और इसकी समीक्षा के लिए रिपोर्ट आवश्यक है।

हालाँकि, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, खुली श्रेणी और अनुसूचित जनजातियों की कीमत पर 1997 के अधिनियम में संशोधन करके भी 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता था।26 जनवरी 1950 के बाद के क्षेत्रों में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले जिले में रहने वाले आदिवासी परिवारों को ही आरक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रकार, यह कार्रवाई न केवल खुली श्रेणी से संबंधित है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के लिए भी भेदभावपूर्ण है, जिससे अन्य वर्गों के सत्ताधारियों की उम्मीदें पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। जी. ओ. सुश्री संख्या 3/2000 जारी करने का निर्णय सत्यापन योग्य आंकड़ों के आधार पर नहीं लिया गया था, लेकिन यह इस आधार पर लिया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में गैर-आदिवासी शिक्षकों की दीर्घकालिक अनुपस्थिति थी।

127. अनुसूचित जनजातियों को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को भी उनके उचित प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया है। आरक्षण की अवधारणा आनुपातिक नहीं है, लेकिन पर्याप्त है, जैसा कि इंद्र साहनी (ऊपर) में माना गया है। इस प्रकार यह कार्रवाई अनुचित और मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह खुली श्रेणी और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार को भी बाधित करता है जो बाद में इस क्षेत्र में बस गए हैं।

26 जनवरी 1950। आरक्षण का कुल प्रतिशत राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 6 प्रतिशत है। 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके

अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासियों के अधिकार, जो अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी नहीं हैं, भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। अनुच्छेद 371-डी के तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, वे अन्य क्षेत्रों में अपना दावा नहीं कर सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में 100% आरक्षण करके अन्य क्षेत्रों में पदों को कम किया

जाना है।128. अनुसूचित क्षेत्रों की आबादी में न केवल अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं, बल्कि खुली श्रेणी, अनुसूचित जातियाँ और 26.1.1950 के बाद बसे अन्य अनुसूचित जनजातियाँ भी शामिल हैं, और वे अधिसूचना में शामिल नहीं हैं। खम्मम जिले में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित 31 मंडलों में से अनुसूचित [2020] 6 एस. सी. आर. की जनसंख्या है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9 मंडलों को छोड़कर जनजातियों की संख्या 50 प्रतिशत से कम है। उन 9 मंडलों में, जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी है, अनुसूचित जनजातियों की आबादी 53 प्रतिशत से 77 प्रतिशत के बीच है। का प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियों के छात्र लगभग 25 प्रतिशत हैं, और शेष छात्र अन्य कक्षाओं के हैं। इसी तरह, पश्चिम गोदावरी जिले में 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 39.31 प्रतिशत थी, जबकि गैर-आदिवासियों की जनसंख्या 60.69 प्रतिशत थी।

129. कोठागुडेम के बारे में उच्च न्यायालय ने कहा कि कई कोयला खदानें और उद्योग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से संबंधित हैं

रोजगार प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों की बड़ी संख्या में आमद हुई थी।

130. कोई भी कानून यह आदेश नहीं देता है कि केवल आदिवासी शिक्षक ही अनुसूचित क्षेत्रों में पढ़ा सकते हैं; इस प्रकार, कार्रवाई तर्क की अवहेलना करती है। एक अन्य कारण स्कूलों में शिक्षकों की अभूतपूर्व अनुपस्थिति है। यह क्षेत्रों में आदिवासी शिक्षकों को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं है कि अन्य श्रेणियों के पदाधिकारी इन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं। जब कोई जिला रोजगार के लिए एक इकाई है, तो आधार ने अभूतपूर्व अनुपस्थिति के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन किया अप्रासंगिक है और 100 प्रतिशत प्रदान करने के लिए आधार नहीं बना सकता है

आरक्षण। बेहतर सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके अनुपस्थिति की समस्या का समाधान किया जा सकता था।

131. इसका कारण यह बताया गया कि आरक्षण का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूत करना था

शैक्षणिक आधारभूत संरचना भी समान रूप से अभावग्रस्त है। वंचित करके

दूसरों के लिए अवसर, यह नहीं कहा जा सकता है कि छात्रों के उद्देश्य और प्रभावी शिक्षा को कोई प्रोत्साहन दिया जा सकता था, और अब इसे मजबूत किया जा सकता था। 100 प्रतिशत के प्रावधान

आरक्षण योग्यता की अनदेखी कर रहा है। इस प्रकार, यह शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की योग्यता और मानक को कमजोर कर देगा। छात्रों का शैक्षिक विकास केवल एक विशेष वर्ग के शिक्षकों द्वारा आरक्षण प्रदान करके, कुल योग्यता को नजरअंदाज करके नहीं किया जा सकता है। आदर्श दृष्टिकोण यह होगा कि शिक्षकों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाए।

132. अन्य श्रेणियों को रोजगार के अवसर से वंचित करना सामाजिक संतुलन प्राप्त करने का एक तरीका नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा

उससे, नियुक्ति के लिए 100 चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओ. आर. एस. प्रदान करके रोस्टर अंक बनाए रखे जाते हैं।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

प्रतिशत आरक्षण, उक्त प्रावधान का भी उल्लंघन होगा, और यह अव्यवहारिक हो जाएगा और इस कार्रवाई का प्रभाव अन्य गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में बसे आदिवासियों के लिए उपलब्ध अधिकारों को छीनने पर होगा।

क्षेत्रों। अनुसूचित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके, उनके लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ उठाने का उनका अधिकार भी आरक्षण के वितरण के लिए अनावश्यक रूप से छीन लिया गया था।

133. अनुसूचित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं थीं। यह एक अप्रिय विचार है।

कि आदिवासियों को केवल आदिवासियों को ही पढ़ाना चाहिए। जब अन्य स्थानीय निवासी हैं, तो वे क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, यह समझ में नहीं आता है। क्रिया तर्क की अवहेलना करती है और मनमाना होती है। प्रदान करके योग्यता को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता हैआरक्षण।

134. एक आरक्षण जो सुरक्षात्मक तरीके से अनुमत है, द्वारा

इसे 100 प्रतिशत बनाना भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के अवसर से सत्ताधारियों को अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता है, और यह कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। नागरिकों को समान अधिकार हैं, और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके दूसरों के पूर्ण बहिष्कार पर भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा विचार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 51-ए के तहत अवसर की समानता और पसंद की खोज को अन्यायपूर्ण और मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, अनुच्छेद 370 (1) के खंड 10 के संदर्भ में इलाके के नागरिक और बाहरी लोग जिला संवर्ग में 15 प्रतिशत रोजगार के हकदार थे।

((घ) संविधान का। इस प्रकार, जी. ओ. वर्गीकृत नहीं करता है बल्कि आरक्षण से संबंधित है। यह राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट के विपरीत था, जिसमें संकेत दिया गया था कि जो पद अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लिए आरक्षित थे, वे भी उपलब्ध नहीं थे क्योंकि ऐसी जनजाति सलाहकार परिषद ने उन्हें अन्य गैर-स्थानीय आदिवासियों से भरने का फैसला किया था।

इन रे: प्रश्न संख्या 3: क्या अधिसूचना केवल अनुच्छेद 16 (1) के तहत एक वर्गीकरण पर विचार करती है और नहीं अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण?

136. प्रश्न संख्या 3 यह है कि क्या अधिसूचना संख्या 3/2000 में अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण शामिल है और संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण प्रदान नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

137. अनुच्छेद 16 (1) वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 का एक पहलू होने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 का खंड 4 संविधान के खंड अनुच्छेद 16 से उत्पन्न वर्गीकरण का एक उदाहरण है। अनुच्छेद 14,16 (1) और 16 (4) सभी समानता के हैं। इंद्र साहनी (ऊपर) में, यह माना गया था कि अनुच्छेद

यह अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है, बल्कि समानता का एक हिस्सा है। यह देखा गया कि कुछ स्थितियों में असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए,

उन्हें समानता दें:

" 741. एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1963 की धारा 1 एस. सी. आर. 439 में यह अभिनिर्धारित किया गया था-"इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 15 (4) को अनुच्छेद 15 (1) और 29 (2) के प्रावधान या अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।" यह देखा गया कि अनुच्छेद 15 (4) को प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

मद्रास राज्य बनाम में निर्णय के आलोक में।

श्रीमती चंपकम दोराईराजन, 1951 एस. सी. आर. 525 इस न्यायालय द्वारा बताए गए दोष को हटा दें, अर्थात् अनुच्छेद के खंड (4) के अनुरूप अनुच्छेद 15 में प्रावधान का अभाव।

16. बालाजी के बाद एक अन्य संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया।

(बहुमत से) टी. देवदासन बनाम। भारत संघ, (1964) 4 एस. सी. आर. 680-"इसके अलावा यह न्यायालय पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि

अनुच्छेद 16 खंड (1) के प्रावधान या अपवाद के रूप में है। तथापि, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अपनी असहमति में कहा कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है, बल्कि यह मुख्य प्रावधान में निहित सिद्धांत को व्यक्त करने का केवल एक जोरदार तरीका है। जो भी हो, देवदासन में निर्णय के बाद से, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को केरल राज्य बनाम में बहुमत के निर्णय से एक गंभीर झटका लगा। एन. एम. थॉमस (1976) 2 एससीसी 310। हालांकि अल्पसंख्यक (एच. आर. खन्ना और ए. सी. गुप्ता,

जेजे) इस विचार पर अड़े रहे कि अनुच्छेद 16 (4) एक अपवाद है, बहुमत (रे, सीजे, मैथ्यू, कृष्णा अय्यर और फजल अली, जेजे) ने माना कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 16 (1) में निहित एक सिद्धांत को व्यक्त करने का केवल एक जोरदार तरीका था। (बेग, जे ने थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया जिसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।) उक्त चार विद्वान न्यायाधीशों-जिनके विचारों को पैरा 713 में संदर्भित किया गया है-ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 16 (1) अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का एक पहलू होने के नाते उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है जैसा कि अनुच्छेद 14 करता है। हमारी सम्मानजनक राय में, थॉमस में बहुमत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। हम भी मानते हैं कि अनुच्छेद 16 (1) चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

इसके द्वारा सुनिश्चित अवसर की समानता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए। अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ स्थितियों में असमान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है।

ऐसा न करने से असमानता बढ़ेगी और बढ़ेगी। अनुच्छेद 16 (4) इस तरह के वर्गीकरण का एक उदाहरण है, जिसे मामले को विवाद से परे रखने के लिए रखा गया है। "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" हैं

राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों/पदों के आरक्षण की प्रकृति में विशेष उपचार के योग्य एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत। तदनुसार, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) का अपवाद नहीं है। यह एक उदाहरण है

खंड (1) में निहित और अनुज्ञात वर्गीकरण। अनुच्छेद 10 (3) के मसौदे पर बहस के दौरान डॉ. अम्बेडकर का भाषण

[अनुच्छेद 693 में निर्दिष्ट संविधान सभा में अनुच्छेद 16 (4) के अनुरूप-यह दर्शाता है कि संविधान सभा के सदस्यों की एक बड़ी संख्या ने इस बात पर जोर दिया कि -

" कुछ समुदायों के प्रवेश के लिए प्रावधान (किया जा रहा है) जो अब तक प्रशासन के बाहर रहे हैं और उस मसौदे खंड (3) को उक्त मांग की मान्यता और स्वीकृति में रखा गया था। यह एक ऐसा प्रावधान है

जिसे खंड (1) के साथ और उसके अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। वास्तव में, खंड (4) के बिना भी, राज्य के लिए इस तरह का विकास करना अनुज्ञेय होता।

वर्गीकरण और उनके पक्ष में नियुक्तियों/पदों के आरक्षण का प्रावधान किया। खंड (4) केवल विशिष्ट शब्दों में मामले को किसी भी संदेह से परे रखता है। 742. बालाजी (ऊपर) और देवदासन (ऊपर) में व्यक्त विचार के बारे में, यह याद रखना चाहिए कि उस समय इस न्यायालय द्वारा अभी तक यह मान्यता नहीं दी गई थी कि अनुच्छेद 16 (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू होने के नाते स्पष्ट रूप से वर्गीकरण की अनुमति देता है। एक बार जब इस विशेषता को मान्यता मिल गई तो खंड (4) का खंड (1) का अपवाद होने का सिद्धांत असमर्थनीय हो गया। यह स्वीकार किया जाना था कि खंड (4) खंड (1) में निहित वर्गीकरण का एक उदाहरण है। अब, जैसा कि अनुच्छेद 16 (1) सिद्धांत का एक पहलू या विस्तार है।

अनुच्छेद 16 का अनुच्छेद 14, खंड (2) भी खंड (1) के एक पहलू का विस्तार है। यदि खंड (4) खंड (1) का अपवाद है तो यह खंड (2) का भी अपवाद है। तब प्रश्न उठता है कि किस संबंध में यदि खंड (4) खंड (2) का अपवाद है, यदि 'वर्ग' का अर्थ 'जाति' नहीं है। न तो खंड (1) और न ही खंड (2) वर्ग की बात करते हैं। क्या विवाद का यह अर्थ है कि खंड (1) [2020] 6 एस. सी. आर. की अनुमति नहीं देता है?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्गीकरण और इसलिए खंड (4) इसका अपवाद है। इस प्रकार,

किसी भी दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ताओं के तर्क में कोई नहीं है

योग्यता "।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

138. इंद्र साहनी (ऊपर) में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 16 (4)

समूह पिछड़ेपन में, इस प्रकार:

" 792. हमारी राय में, यह अनुमति का सवाल नहीं है या

एक वर्ग की पहचान-एक पिछड़ा वर्ग। अवधारणा ही एक वर्ग का एक वर्ग उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिनके पास कुछ सामान्य हैं।

अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत, यदि जोड़ने वाली कड़ी सामाजिक हैपिछड़ेपन, यह किसी दिए गए वर्ग में मोटे तौर पर समान होना चाहिए। अगर

कुछ सदस्य सामाजिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं (जिसमें

संदर्भ, आवश्यक रूप से आर्थिक रूप से मतलब है और, इसका मतलब यह भी हो सकता है

शैक्षिक रूप से) उनके और के बीच जोड़ने वाला धागाशेष वर्ग स्नैप। वे कक्षा में अनुपयुक्त होंगे। इसके बाद

केवल उन्हें छोड़कर, क्या वर्ग एक संक्षिप्त वर्ग होगा। में। वास्तव में, इस तरह के बहिष्कार से वास्तव में पिछड़े लोगों को लाभ होता है। कठिनाई,

हालाँकि, वास्तव में रेखा खींचने में निहित है-कैसे और कहाँ खींचना है

मानक। क्या उसे पिछड़े वर्ग से बाहर रखा जाना चाहिए? क्या वह उसका है? भारत में बच्चे अनुच्छेद 16 (4) के लाभ से वंचित रहेंगे?

हालाँकि, स्थिति अलग हो सकती है, अगर वह इतना ऊँचा उठ जाता है।

आर्थिक रूप से खुद एक कारखाने का मालिक बनने के बारे में कहें। में।

ऐसी स्थिति में उनकी सामाजिक स्थिति भी बढ़ती है। वह खुद होगा

दूसरों को रोजगार प्रदान करने की स्थिति में। इस मामले में उनकी आय केवल उसकी सामाजिक स्थिति का एक पैमाना है। अन्यथा भी।

आय लागू करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी हैं।

छत। उदाहरण के लिए, 36,000 रुपये की वार्षिक आय की गिनती नहीं की जा सकती है।

बॉम्बे, दिल्ली या कलकत्ता जैसे शहर में बहुत कुछ के लिए जबकि यह चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस हो सकता है।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

ग्रामीण भारत में कहीं भी एक अच्छी आय हो। होने वाली पंक्ति

तैयार किया गया चित्र यथार्थवादी होना चाहिए। एक और सवाल यह होगा कि क्या

ऐसी रेखा पूरे देश या किसी दिए गए राज्य के लिए एक समान हो याक्या यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों आदि में भिन्न होना चाहिए। इसके अलावा, आय

कृषि से आकलन करना मुश्किल हो सकता है और इसलिए,

कृषकों के मामले में, संदर्भ के साथ रेखा खींचनी पड़ सकती है

रखने की सीमा तक। जबकि किसी व्यक्ति की आय हो सकती है

उसकी सामाजिक उन्नति के एक उपाय के रूप में लिया गया, होने की सीमा

निर्धारित ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप एक के साथ ले जाया जाए

हाथ जो दूसरे के साथ दिया जाता है। आय सीमा ऐसी होनी चाहिए

सामाजिक उन्नति का अर्थ और प्रतीक के रूप में। साथ ही, यह

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ पद हैं, रहने वाले

जिनमे से किसी को भी आगे किए बिना सामाजिक रूप से उन्नत माना जा सकता है पूछताछ की। उदाहरण के लिए, यदि कोई नामित पिछड़े वर्ग का सदस्य है

आई. ए. एस. या आई. पी. एस. या किसी अन्य अखिल भारतीय सेवा का सदस्य बनना,उसकी स्थिति यह है कि समाज (सामाजिक स्थिति) बढ़ता है; वह अब सामाजिक रूप से नहीं है।

वंचित। उनके बच्चों को उनका एहसास करने का पूरा मौका मिलता है।

संभावित। वे जीवन की दौड़ में किसी भी तरह से विकलांग नहीं हैं। बिनि।

वेतन भी ऐसा है कि वह अभाव से परे है। यह तर्कसंगत है कि

उस पिछड़े वर्ग के वंचित सदस्य हो सकते हैंउस लाभ से वंचित। इसके बाद उत्तरदाताओं के लिए तर्क दिया जाता है

कि 'एक निगलने से गर्मी नहीं बनती', और वह केवल

क्योंकि किसी जाति या वर्ग के कुछ सदस्य सामाजिक हो जाते हैं।

उन्नत होने पर वर्ग/जाति पिछड़ी नहीं रह जाती है।

यह बताया गया है कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) का उद्देश्य समूह बनाना है।

पिछड़ेपन और व्यक्तिगत पिछड़ेपन नहीं। जबकि हम सहमत हैं।

ऐसे सामाजिक रूप से उन्नत सदस्य 'वर्ग' को सही मायने में एक आदर्श वर्ग बना देंगे। पिछड़े वर्ग और अधिक उचित रूप से उद्देश्य की पूर्ति करेगा

और खंड (4) का उद्देश्य। (यह चर्चा अन्य तक ही सीमित है।केवल पिछड़े वर्ग और के मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति) "।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

(ए)। अनुच्छेद 15 (4) में प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में

6 (4) , इंद्र साहनी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 787. यह सच है कि इससे पहले किसी भी निर्णय में विशेष रूप से ऐसा नहीं कहा गया था इस तरह की छाप ने मुद्रा प्राप्त की और यह वह छाप है जो

उपरोक्त अवलोकन में अभिव्यक्ति मिलती है। हमारी सम्मानजनक राय में,हालाँकि, उक्त धारणा का कोई आधार नहीं है। अनुच्छेद का खंड (4)

16 "सामाजिक और सामाजिक रूप से" योग्य शब्द शामिल नहीं हैं

शैक्षणिक रूप से "जैसा कि अनुच्छेद 15 का खंड (4) करता है। यह हो सकता है

याद रखें कि अनुच्छेद 340 (जिसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है)

'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है वर्ग 'और फिर भी उस अभिव्यक्ति को लेख में जगह नहीं मिलती है

16 (4) . इसका कारण स्पष्ट है: " अनुच्छेद में नागरिकों का पिछड़ा वर्ग

16 (4) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य सभी को शामिल करें

सामाजिक और शैक्षिक रूप से नागरिकों के पिछड़े वर्गपिछड़े वर्ग। इस प्रकार कुछ वर्ग जो अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते हैं

यह ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 340 स्पष्ट रूप से सेवाओं का उल्लेख नहीं करता है या राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए, हालांकि यह हो सकता है कि

इसके तहत नियुक्त आयोग आरक्षण की सिफारिश कर सकता है।

राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों/पदों में एक के रूप में

उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम जिनके तहत एस. ई. बी. सी. हैं

श्रम करना और उनकी स्थितियों में सुधार करना। इस प्रकार, एस. ई. बी. सी. निर्दिष्ट किए गए हैं।

अनुच्छेद 340 केवल उन श्रेणियों में से है जिनके लिए अनुच्छेद 16 (4)

अधिनियमित किया गया: अनुच्छेद 16 (4) एक बहुत बड़े वर्ग पर लागू होता है

अनुच्छेद 340 द्वारा अनुध्यात। इस प्रकार यह सही नहीं होगा कि

कि अनुच्छेद 16 (4) में 'नागरिकों का पिछड़ा वर्ग' समान है

कहो

अनुच्छेद 15 (4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में।

ऐसा कहने का अर्थ होगा और इसका अर्थ होगा एक सीमा को लाभकारी में पढ़ना।

अनुच्छेद 16 (4) जैसा प्रावधान। इसके अलावा, जब बात करते हैंराज्य सेवाओं में नियुक्तियों/पदों में आरक्षण-जो

इसका अर्थ हो सकता है, किसी भी स्तर पर-शिक्षा पर जोर देना।

पिछड़ेपन काफी उचित नहीं हो सकता है।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

(बी)। अनुच्छेद 16 (4) उससे कहीं अधिक बड़े वर्गों पर लागू होता है

अनुच्छेद 340 द्वारा अभिलिखित। अत: यह कहना सही नहीं होगा कि

अनुच्छेद 16 (4) के तहत नागरिकों का एकवर्ड वर्ग वही है जो प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 15 (4) में सामूहिक और पिछड़े वर्ग। इंद्र साहनी (ऊपर) में पिछड़े समुदाय को इस प्रकार माना गया है:

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

93. अंतत: मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मामले को स्पष्ट करने के लिए उठे। उनका भाषण, जिसने सभी चर्चाओं को प्रभावित किया और अनुच्छेद 10 (3) के मसौदे को अपनाया, विस्तार से उद्धृत किया गया है, क्योंकि यह कई प्रश्नों पर प्रकाश डालता है।

लाभ यहाँ है:

..... [टी] यहाँ तीन दृष्टिकोण हैं जिनका हमारे लिए सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है यदि हमें एक व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

इन तीन दृष्टिकोणों का मिलान करें, पहला, कि अवसर की समानता होगी, दूसरा कि आरक्षण होगा।कुछ समुदायों के पक्ष में जिन्होंने अभी तक प्रशासन में 'उचित रूप से विचार' नहीं किया है। यदि माननीय हों।

सदस्य इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे-जिन तीन सिद्धांतों का हमें मिलान करना था-वे देखेंगे कि कोई बेहतर सूत्र नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 10 के उपखंड (3) में सन्निहित की तुलना में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक सामान्य सिद्धांत है। साथ ही, जैसा कि मैंने कहा, हमें इस सूत्र में सामंजस्य स्थापित करना था

कुछ समुदायों द्वारा की गई मांग के साथ कि

प्रशासन जो अब ऐतिहासिक कारणों से है-χ [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक समुदाय या कुछ समुदायों द्वारा नियंत्रित, वह स्थिति गायब हो जानी चाहिए और दूसरों को भी सार्वजनिक सेवाओं में आने का अवसर मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हम उन समुदायों की मांग को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं जो अभी तक सार्वजनिक सेवा में पूरी तरह से कार्यरत नहीं हैं, तो वास्तव में क्या होगा, हम

समुदाय, जिनमें से कुल राज्य के तहत कुल पदों का लगभग 70 प्रतिशत था और केवल 30 प्रतिशत को अनारक्षित के रूप में रखा गया है। क्या कोई कह सकता है कि सामान्य प्रतिस्पर्धा के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण संतोषजनक होगा?पहले सिद्धांत को प्रभावी बनाने का दृष्टिकोण, अर्थात्, अवसर की समानता होगी? यह मेरे अंदर नहीं हो सकता है

निर्णय। इसलिए आरक्षित की जाने वाली सीटें, यदि आरक्षण अनुच्छेद 10 के उपखंड (1) के अनुरूप होना है, तो कम सीटों तक ही सीमित होनी चाहिए। तभी पहला सिद्धांत संविधान में अपना स्थान पा सकता है और प्रभावी हो सकता है। यदि माननीय सदस्य इस स्थिति को समझते हैं कि हमें दो चीजों की रक्षा करनी है, अर्थात्, अवसर की समानता का सिद्धांत और साथ ही उन समुदायों की मांग को पूरा करना है जिनका राज्य में अब तक प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि वे इस बात पर सहमत होंगे कि जब तक आप इसका उपयोग नहीं करते हैं।

आरक्षण के पक्ष में किए गए अपवाद 'पिछड़े' के रूप में कुछ योग्यता वाक्यांश अंततः नियम को पूरी तरह से खा जाएंगे। नियम का कुछ भी नहीं रहेगा। कि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा कह सकता हूं,

यह औचित्य कि क्यों प्रारूपण समिति ने अपने कंधों पर 'पिछड़े' शब्द को लागू करने की जिम्मेदारी ली, जिसे, मैं स्वीकार करता हूं, मूल रूप से मौलिक अधिकार में उस तरीके से जगह नहीं मिली जिसमें इसे पारित किया गया था।

सभा।

किसी ने मुझसे पूछा: ' पिछड़े समुदाय क्या है?

खैर, मुझे लगता है कि जो कोई भी मसौदे की भाषा को पढ़ता है, वह पाएगा कि हमने इसे प्रत्येक स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया है। एक पिछड़ा समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो

सरकार की राय में पिछड़े "। (सी. ए. डी., खंड। 7 , पी। 701) "

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

(सी)। इंद्र साहनी (ऊपर) में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार

अनुच्छेद 16 (4) के दायरे में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है।

ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को और छूट, रियायत या वरीयता

इसे केवल अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 16 (4) उन विशेष प्रावधानों का संपूर्ण विवरण है जो नागरिकों के पिछड़े वर्ग, यानी अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 (1) के तहत, यदि राज्य किसी विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए किसी भी मुद्दे पर कोई आरक्षण देना चाहता है, तो अनुच्छेद 16 (4) एक बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए रिक्तियों को कम किया जाएगा, और ऐसा करना उचित नहीं है। इंद्र साहनी (ऊपर) में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

आवश्यक-प्रावधान को पूर्ण प्रभाव देने के उद्देश्य सेकुछ छूट, रियायतें प्रदान करने के लिए आरक्षण या

पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वरीयताएँ, यह विस्तार कर सकता है

खंड (4) के तहत ही। दूसरे शब्दों में, सभी पूरक और

प्रावधानों का पूरा लाभ सुनिश्चित करने के लिए सहायक प्रावधान

स्वयं। इसी तरह, किसी दी गई स्थिति में, राज्य सोच सकता है किकिसी विशेष पिछड़े वर्ग के मामले में यह प्रदान करना आवश्यक नहीं है

नियुक्तियों/पदों का आरक्षण और यह पर्याप्त होगा

यदि उनके पक्ष में कोई निश्चित वरीयता या रियायत प्रदान की जाती है।यह खंड (4) के तहत ही किया जा सकता है। इस अर्थ में, खंड (4)

अनुच्छेद 16 विशेष प्रावधानों का संपूर्ण है जो हो सकते हैं -

"नागरिकों के पिछड़े वर्ग" के पक्ष में बनाया गया। पीछे की ओर

विशेष व्यवहार और संविधान के होने के योग्य विशेष उपचार की प्रकृति निर्दिष्ट की गई है, यह माना जाना चाहिए

कि आगे कोई वर्गीकरण या विशेष उपचार की अनुमति नहीं है

अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अलावा या उसके बाहर उनका पक्ष। ”

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

744. विचार करने के लिए अगला पहलू यह है कि क्या खंड (4) है आरक्षण की अवधारणा की संपूर्णता? दूसरे शब्दों में,

सवाल यह है कि क्या बाहर कोई आरक्षण प्रदान किया जा सकता है।

खंड (4) अर्थात अनुच्छेद 16 के खंड (1) के अधीन। दो विचार हैं इस पहलू पर। इस मामले पर पूर्ण विचार करने पर, हम हैं

राय कि खंड (4) नहीं है, और इसे [2020] 6 एस. सी. आर. नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरक्षण की अवधारणा का संपूर्ण; यह संपूर्ण है

केवल पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण। केवल इसलिए कि वर्गीकरण के एक रूप को एक विशिष्ट खंड के रूप में बताया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि खंड (1) में निहित वर्गीकरण की अवधारणा और शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा कहना सिद्धांत रूप में सही नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात स्पष्ट है। यह बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में है, और सभी और विभिन्न कारणों से नहीं।कि खंड (1) के तहत किसी भी प्रकार के और आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, राज्य को यह संतुष्ट करना होगा कि ऐसा प्रावधान करना आवश्यक था (सार्वजनिक रूप से)।

विशेष उपचार के योग्य अन्य वर्ग। ऐसा कहने का कारण बहुत सरल है। यदि खंड (4) के तहत दोनों आरक्षण किए जाते हैं। साथ ही खंड (1) के तहत, मुक्त प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध रिक्तियां

तदनुसार नीचे गिराया गया और ऐसा करना एक उचित बात नहीं है।

एक्स एक्स एक्स

859. हम ऊपर दिए गए विभिन्न प्रश्नों और उनके उत्तरों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं:

(1) एक्स एक्स एक्स

(2) (क) अनुच्छेद 16 का खंड (4) खंड (1) का अपवाद नहीं है। यह अंतर्निहित वर्गीकरण का एक उदाहरण और एक चित्रण है।

खंड (1)। (पारस 741-742)(ख) अनुच्छेद 16 (4) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण के विषय का संपूर्ण विवरण है, जैसा कि इस निर्णय में समझाया गया है।

(पैरा 743)

(ग) अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यह केवल वरीयताओं, रियायतों या छूटों के विस्तार तक ही सीमित नहीं है। खंड (1) के तहत किए गए इन आरक्षणों, यदि कोई हों, को इस तरह समायोजित और लागू किया जाना चाहिए कि वे 'नागरिकों के पिछड़े वर्ग' के लिए निर्धारित प्रतिनिधित्व के स्तर से अधिक न हों।

जैसा कि इस निर्णय में समझाया गया है। (पैरा 745)

—

860. तैयार संदर्भ के लिए, हम पक्षों के वकील द्वारा तैयार किए गए और पैरा 681 में दिए गए प्रश्नों के अपने उत्तर भी दर्ज करते हैं। हमारे प्रश्नों के उत्तर-बुद्धिमान हैं:

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

(1) अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है। यह अनुच्छेद 16 (1) में निहित वर्गीकरण का एक उदाहरण है। अनुच्छेद 16 (4)

के पक्ष में आरक्षण के विषय का संपूर्ण है पिछड़े वर्ग, हालांकि यह आरक्षण की अवधारणा के बारे में संपूर्ण नहीं हो सकता है। अन्य वर्गों के लिए आरक्षण

अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत प्रावधान किया जा सकता है।

(2) अनुच्छेद 16 (4) में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द 'अन्य पिछड़ा वर्ग', अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल करता है। अनुच्छेद 16 (4) में ज़ोर दिया गया है

सामाजिक पिछड़ेपन। सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से

शैक्षिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन। वे एक-दूसरे के लिए पारस्परिक रूप से योगदान करते हैं और भारतीय समाज में कम व्यवसायों के साथ जुड़े हुए हैं। एक जाति भारत में एक सामाजिक वर्ग हो सकती है और अक्सर होती है। अनुच्छेद 16 (4) द्वारा प्रतिबिंबित नागरिकों के पिछड़े वर्ग को निर्धारित करने के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 46 में निर्दिष्ट कमजोर वर्गों में निर्दिष्ट एस. ई. बी. सी. शामिल हैं।

अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत आता है।

एक्स एक्स एक्स

(7) अनुच्छेद 16 (4) के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में न्यायिक जांच का कोई विशेष मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न के तहत इससे अधिक कहना संभव या आवश्यक नहीं है।

139. तत्काल मामले में, यह विवाद में नहीं है कि जिला एक स्थानीय क्षेत्र है और शिक्षकों की नियुक्ति और आरक्षण के लिए एक इकाई है जिला स्तर पर और संविधान के अनुच्छेद 371 डी के तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, एक जिले का पदधारी नियुक्ति के लिए जिले के बाहर दावा नहीं कर सकता है। के लिए आरक्षण

अनुसूचित जनजातियाँ अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत कोई और वरीयता या वर्गीकरण नहीं किया जा सकता था क्योंकि अनुच्छेद 16 (4) विशेष प्रावधानों का संपूर्ण विवरण है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में किए जा सकते हैं। अन्य वर्गों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16 (1) के तहत प्रदान किया जा सकता है न कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जिन्हें अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार, जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से तर्क दिया गया है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत किए गए वर्गीकरण का मामला नहीं कहा जा सकता है। यह प्रतिशत के साथ छेड़छाड़ का मामला है

इंद्र साहनी (ऊपर) के कथन के अनुसार अनुमत आरक्षण।

प्रश्नगत पदों के विरुद्ध सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने का दावा करने का अधिकार। पूर्व में की गई चर्चा की पृष्ठभूमि मेंफैसले के हिस्से के रूप में, यह स्पष्ट है कि 100% आरक्षण प्रदान करने वाला आदेश मनमाना, अवैध, अस्वीकार्य और असंवैधानिक है।

140. 100 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसे अनुच्छेद के तहत किए गए वर्गीकरण का मामला नहीं कहा जा सकता है।

141. विभिन्न श्रेणियों के सत्ताधारियों को उस रोजगार के लिए दावा करने का अधिकार है जिससे वे वंचित हैं। अतः यह वर्गीकरण का विषय नहीं है। अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण दिया गया था। 100% आरक्षण के माध्यम से, दूसरों को रोजगार अवैध रूप से वंचित था और अनुच्छेद 371D के तहत आदेश के कारण उनके पास कहीं और शिक्षकों के पद के विपरीत रोजगार का कोई मौका नहीं है।कौन सा जिला/क्षेत्र एक इकाई है। यह स्पष्ट रूप से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ का मामला है।

इन रे: प्रश्न संख्या 4: क्या अधिसूचना में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्तें जो मूल और कट-ऑफ तिथि हैं, उचित हैं:

142. अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि स्थानीय अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया हैभारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, यदि उम्मीदवार

अनुसूचित जनजातियाँ स्वयं या उनके माता-पिता लगातार

जिले के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जिसमें वे 26 जनवरी 1950 की तारीख से रह रहे हैं।

143. जिले में लगातार रहने की शर्त प्रथम दृष्टया मनमाना है। संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में प्रावधान है कि राज्य जन्म स्थान के आधार पर अन्य बातों के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

जनजातियों और उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। यह आधार पर पात्रता की शर्तों के लिए निर्धारित करने के लिए भी खुला हैकिसी विशेष क्षेत्र में निवास के साथ-साथ शैक्षिक आवश्यकताओं पर भी लेकिन इसे मनमाने ढंग से और तर्कहीन रूप से तय नहीं किया जा सकता है।

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

4. राष्ट्रपति के आदेश में जिसे आंध्र प्रदेश पब्लिक कहा जाता है

एन. एन. टी. (स्थानीय संवर्गों का संगठन और प्रत्यक्ष का विनियमन)

nent) आदेश, 1975, (संक्षेप में, "1975 आदेश") "स्थानीय उम्मीदवार"

पैरा 7 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

. स्थानीय उम्मीदवार: - (1) सीधी भर्ती के लिए एक उम्मीदवार

y पद को एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा

कैल क्षेत्र।

(क) उन मामलों में जहां न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है

पद पर भर्ती के लिए निर्धारित किया गया था।

(i) यदि उसने ऐसे स्थानीय क्षेत्र में किसी शैक्षणिक संस्थान या शैक्षणिक संस्थान में कम से कम अवधि के लिए अध्ययन किया है।

लगातार चार शैक्षणिक वर्ष उस शैक्षणिक वर्ष के साथ समाप्त होते हैं जिसमें वे उपस्थित हुए थे या, जैसा भी मामला हो, पहले

प्रासंगिक योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए; या

((ii) जहां पूरे या चार के किसी भी भाग के दौरान

उस शैक्षणिक वर्ष के साथ समाप्त होने वाले लगातार शैक्षणिक वर्ष जिसमें वह उपस्थित हुआ था या जैसा भी मामला हो, पहले प्रासंगिक योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था, उसने किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन नहीं किया है, यदि वह उस स्थानीय क्षेत्र में कम से कम चार साल की अवधि के लिए रहता है।योग्यता की शुरुआत की तारीख से पहले

जिस परीक्षा में वह उपस्थित हुआ या जैसा भी मामला हो,

सबसे पहले दिखाई दिया।

(ख) ऐसे मामलों में जहां पद पर भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, यदि वह उस स्थानीय क्षेत्र में कम से कम चार साल की अवधि के लिए रहा है।

जिस तारीख को पद अधिसूचित किया जाता है, उससे तुरंत पहले

भर्ती के लिए।

***

***

*** ***

***

***

) किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए एक उम्मीदवार जो नहीं हैसंबंध में उप-अनुच्छेद (1) के तहत एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में घोषित

कोई भी स्थानीय क्षेत्र होगा।

(क) उन मामलों में जहां न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है

पद पर भर्ती के लिए निर्धारित किया गया था।

(i) यदि उसने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम सात लगातार शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए अध्ययन किया है, जो उस शैक्षणिक वर्ष के साथ समाप्त होता है जिसमें वह उपस्थित हुआ था या, जैसा भी मामला हो, पहले प्रासंगिक योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था, तो निम्नलिखित के संबंध में एक स्थानीय उम्मीदवार माना जाएगा:

(1) ऐसा स्थानीय क्षेत्र जहाँ उसने सात वर्षों की उक्त अवधि में से अधिकतम अवधि के लिए अध्ययन किया हो; या

(2) जहाँ दो या दो से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में उसके अध्ययन की अवधि बराबर है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र जहाँ उसने अध्ययन किया है।

ऐसी समान अवधियों में अंतिम;

उन शैक्षणिक वर्षों के साथ समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्ष जिनमें उन्होंने जैसा कि मामला पहली बार प्रासंगिक योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ हो सकता है, उसने शैक्षिक में अध्ययन नहीं किया है

किसी भी स्थानीय क्षेत्र में संस्थान, लेकिन सात वर्षों की उक्त अवधि के दौरान राज्य में निवास किया है, के रूप में माना जाएगा

संबंधित स्थानीय उम्मीदवार

(1) ऐसा स्थानीय क्षेत्र जहाँ वह अधिकतम समय तक रहा हो।

सात वर्ष की उक्त अवधि में से अवधि: या (2) जहां दो या दो से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में उसके निवास की अवधि समान है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र जहां उसने ऐसी समान अवधि में अंतिम बार निवास किया है;

(ख) ऐसे मामलों में जहां कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है।

पद पर भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है, यदि वह तुरंत कम से कम सात साल की अवधि के लिए राज्य में रहता है।

उस तारीख से पहले जिस दिन पद को भर्ती के लिए अधिसूचित किया जाता है, के संबंध में एक स्थानीय उम्मीदवार माना जाएगा

((i) ऐसा स्थानीय क्षेत्र जहाँ वह अधिकतम समय तक रहा हो।

सात वर्ष की उक्त अवधि में से; या

((ii) जहां दो या दो से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में उसके निवास की अवधि समान है, ऐसा स्थानीय क्षेत्र जहां उसके पास है।

इस तरह की समान अवधि में अंतिम रूप से रहते थे।

5. 1975 के आदेश के पैरा 7 (1) में प्रावधान किया गया है कि एक उम्मीदवार स्थानीय क्षेत्र के संबंध में एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में उन मामलों में कटौती करेगा जहां चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस।

वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है अर्थात एक व्यक्ति जिसने लगातार चार शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए ऐसे स्थानीय क्षेत्र में अध्ययन किया है या वह योग्यता परीक्षा शुरू होने की तारीख से तुरंत पहले चार साल की अवधि के लिए उस स्थानीय क्षेत्र में रहा है जिसमें वह उपस्थित हुआ था।

146. 1975 के आदेश के पैरा 7 (2) में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार का प्रावधान है, जिसे संबंध में स्थानीय उम्मीदवार नहीं माना जाता है।किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, लगातार 7 शैक्षणिक वर्षों तक अध्ययन करेगा जहां पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। पैरा 7 (2) (ए) (2) (ii) में कुछ शर्तों के साथ एक निवासी के लिए सात साल की अवधि के लिए लगातार 7 शैक्षणिक वर्षों से कम के लिए अध्ययन की शर्त भी प्रदान की गई है।

147. विचाराधीन जी. ओ. के लिए उम्मीदवार या माता-पिता की आवश्यकता होती है

अब तक लगातार डब्ल्यू. ई. एफ. 26.1.1950 वाले क्षेत्र में रहते हैं। पिछले 50 वर्षों या उससे अधिक समय से निरंतर निवास की आवश्यकता के लिए कोई तुकबंदी या कारण नहीं है। यह विभिन्न अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की अनदेखी करता है जो शायद इस क्षेत्र में दशकों से एक साथ बसे हुए हैं। यह भेदभावपूर्ण है

अनुसूचित जनजातियों के लिए भी इस क्षेत्र में बसना और इसका कोई उद्देश्य नहीं है

जिसे प्राप्त किया जाए और प्रतिबंध लगाया जाए जो आवासीय या शैक्षिक आवश्यकताओं के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश में भी प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह वैध शर्तें निर्धारित नहीं करता है। इसे अत्यधिक अनुचित और मनमाने तरीके से तय किया जाता है और विचार के क्षेत्र को छोटे तक सीमित कर दिया जाता है जहां उचित अधिकारों के साथ सभी संबंधित लोगों को सार्वजनिक रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए।

148. सार्वजनिक रोजगार उन सभी के लिए अवसर की परिकल्पना करता है, जिन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है, अपवाद के रूप में क्षतिपूर्ति कार्य करने के लिए है। उपरोक्त स्थिति अनुसूचित जनजातियों को वंचित करती है जो स्थायी हैं।

क्षेत्रों के निवासी और उक्त कट-ऑफ तिथि के बाद बस गए हैं। इस प्रकार, बनाया गया वर्गीकरण अवैध, अनुचित और मनमाना है। ऐसा प्रावधान करना कि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले निवासी होना चाहिए, भेदभावपूर्ण है और इसका आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अधिक प्रभाव पड़ता है। यह दूसरों के अधिकारों को पराजित करता है।

समान जनजातियाँ जो 26 जनवरी 1950 के बाद इस क्षेत्र में बस गई होंगी, अनुच्छेद 371-डी के तहत राष्ट्रपति के आदेश में उनकी देखभाल की गई। यह संविधान के अनुच्छेद 14,15 (1) और 16 का उल्लंघन है और जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसका कोई औचित्य नहीं है। यह एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाता है, और [2020] 6 एस. सी. आर.

किया गया वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के मापदंडों को अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा।

सूचियों का संशोधन

149. अनुच्छेद 341 (1) में जातियों, नस्लों या नस्लों को शामिल करने का प्रावधान है।

जनजातियों को किसी भी राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति होना। अनुच्छेद 341 (2) संसद को किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 341 (2) यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 341.- (1) **

(2) संसद कानून द्वारा खंड के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।

(1) किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति के भीतर या समूह का हिस्सा, लेकिन उपरोक्त के तहत जारी एक अधिसूचना को छोड़कर

उक्त खंड में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

150. अनुसूचित जनजातियों के समावेश के संबंध में समान प्रावधान अनुच्छेद 342 (1) में प्रदान किए गए हैं, और संशोधन करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 342 (2) में प्रदान की गई है। अनुच्छेद में

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में इसी तरह के प्रावधान शामिल हैं।342ए. अनुसूचित क्षेत्र को अनुसूची V के पैरा 6 में परिभाषित किया गया है, और संशोधन करने की शक्ति अनुसूची V के पैरा 7 में प्रदान की गई है। यह अनुसूची V के पैरा 3 में भी प्रदान किया गया है कि राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी होगी। उद्देश्य यह है कि

क्षेत्रों में प्रगति पर नज़र रखें। आरक्षण करने का निर्णय लेने और इसकी समीक्षा के लिए रिपोर्ट आवश्यक है। निगरानी रखने की आवश्यकता है संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा, और संसद को सूची और अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।

151. इंद्र साहनी (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनाई गई राज्य सूचियां इस प्रकार नहीं हैं -

पवित्र और अपरिवर्तनीय। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां राज्य द्वारा नियुक्त आयोगों ने अपनी रिपोर्टों में कुछ जातियों को हटाकर या जोड़कर ऐसी सूचियों में संशोधन की सिफारिश की हो।समुदाय और वर्ग। जहां ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध हैं, राज्य सरकार उस आधार पर उचित शीघ्रता के साथ कार्य करने के लिए बाध्य है। यदि राज्य सरकार किसी भी तरह से कोई संशोधन या परिवर्तन करती है

विलोपन या परिवर्धन के बारे में भारत सरकार को तुरंत सूचित किया जाएगा। इस न्यायालय ने ऐसी सूची के संशोधन और सुधार के बारे में इस प्रकार राय दी:

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस। वी. एपी और ओआरएस का राज्य। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 853. उसी समय, हम सोचते हैं कि यह करना आवश्यक है

निम्नलिखित स्पष्टीकरण: यह सच है कि भारत सरकार ने 13 अगस्त, 1990 को प्राप्त राज्य सूचियों को अपने उद्देश्यों के लिए अपनाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सूचियां निम्नलिखित हैं -

पवित्र और अपरिवर्तनीय। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों ने अपनी रिपोर्टों में कुछ जातियों, समुदायों और वर्गों को हटाकर या जोड़कर ऐसी सूचियों में संशोधन की सिफारिश की होगी। जहाँ कहीं भी इस तरह की आयोग रिपोर्ट उपलब्ध हैं, राज्य सरकार उन पर गौर करने और उचित शीघ्रता के साथ उस आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य। यदि राज्य सरकार विलोपन या परिवर्धन के माध्यम से कोई संशोधन या परिवर्तन करती है, तो उसे तुरंत भारत सरकार को सूचित किया जाएगा जो उस आधार पर उचित कार्रवाई करेगी और इसमें आवश्यक परिवर्तन करेगी।

उस राज्य से संबंधित अपनी सूची। इसके अलावा, यह वास्तव में भारत सरकार के लिए समान रूप से खुला होगा-क्योंकि उसने मौजूदा राज्यों की सूचियों को अपनाया है कि वह ऐसे आयोग की रिपोर्टों, यदि कोई हो, पर गौर करे और अपने स्वयं के आदेश पारित करे।

राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई, उस पर उचित

संशोधन या परिवर्तन के माध्यम से शीघ्रता। भारत सरकार के लिए यह खुला रहेगा कि वह आयोग (ओं) की रिपोर्टों के आधार पर परिवर्धन या विलोपन के माध्यम से अपनाई गई सूचियों में ऐसा संशोधन/परिवर्तन करे जो वह उचित समझे। यह निर्देश, हमारी राय में, राज्य सूचियों में किसी भी त्रुटि को बनाए रखने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और राज्यों की रिपोर्टों के आधार पर उचित शीघ्रता के साथ उन सूचियों में सुधार सुनिश्चित करता है।

आयोग पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, यदि कोई हों। इस पाठ्यक्रम को अपनाया जा सकता हैस्थायी तंत्र (आयोग के माध्यम से) का संदर्भ या सलाह जिसे हमने बनाने का निर्देश दिया है

केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर और जिनके संबंध में हमने कहीं और उचित निर्देश दिए हैं।

152. राकेश कुमार (ऊपर) मामले में न्यायालय ने आवश्यकता पर जोर दिया

चिकित्सकीय समीक्षा और आयोजित:

" 37. यह हमारी कानूनी प्रणाली में एक अच्छी तरह से स्वीकृत आधार है कि "मूल समानता" और "वितरण न्याय" जैसे विचार "कानून के समक्ष समान संरक्षण" की गारंटी की हमारी समझ के केंद्र में हैं। राज्य सामाजिक, आर्थिक [2020] 6 एस. सी. आर. में समान अवसर पैदा करने के उद्देश्य से असमान लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और क्या एक ही मानदंड एक वैध के साथ एक सीधा संबंध रखता हैसरकारी उद्देश्य। सकारात्मक की वैधता की जांच करते समय

कार्रवाई के उपाय, जांच मानक द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए

"सख्त जांच" के मानक के बजाय आनुपातिकता। में से

बेशक, इन सकारात्मक कार्रवाई उपायों को समय-समय पर किया जाना चाहिए

समीक्षा की गई और विभिन्न उपायों को समय-समय पर संशोधित या अनुकूलित किया गया बदलते सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप समय।

पंचायतों में सीटों का आरक्षण एक ऐसा सकारात्मक कदम हैसंविधान के भाग IX द्वारा सक्षम उपाय।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

153. अब आरक्षित वर्गों में आक्रोश है। अब तक,

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर प्रभावशाली और सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत वर्ग हैं। वहाँ वंचित द्वारा आवाज है कुछ अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सामाजिक उत्थान के व्यक्ति, लेकिन वे अभी भी जरूरतमंदों को लाभ पहुँचाने नहीं देते हैं। इस प्रकार, आरक्षित क्षेत्र के भीतर हकदारी के लिए योग्यता के बारे में एक संघर्ष है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के वर्ग।

हमारी राय में डॉ. राजीव धवन ने ठीक ही आग्रह किया था कि

सरकार को सूचियों को संशोधित करना आवश्यक है। यह वर्तमान में आरक्षण के प्रतिशत को बाधित किए बिना किया जा सकता है ताकि लाभ जरूरतमंदों तक पहुँच सकें और उन वर्गों द्वारा हड़पा न जाए जो पिछले 70 वर्षों से लाभ प्राप्त करने के बाद या सूची में शामिल होने के बाद आए हैं। सरकार इस तरह की कवायद करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जैसा कि इंद्र साहनी (ऊपर) में देखा गया है और जैसा कि संवैधानिक रूप से परिकल्पित है। सरकार इस संबंध में उचित कदम उठाए।

154. हम जिन प्रश्नों का उल्लेख करते हैं उनका उत्तर इस प्रकार देते हैं:

प्रश्न संख्या 1: राज्यपाल के अधीन शक्तियों के प्रयोग में

संविधान की पाँचवीं अनुसूची, पैरा 5 (1), संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम से संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों या उसके किसी भी हिस्से पर लागू नहीं होगा। राज्यपाल को राज्य में अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से में ऐसे कानून को लागू करने का अधिकार है, जो ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन है जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकते हैं और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक अधिसूचना भी जारी कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या 1 (ए): राज्यपाल को संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत यह निर्देश देने का अधिकार है कि -

संसद या राज्य का विधानमंडल किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या अपवादों और संशोधनों के साथ इसे लागू नहीं करेगा। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के संशोधन/संशोधन के मापदंडों के भीतर एक प्रावधान कर सकता है। नए कानून/विनियम बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 5 (2), पाँचवीं अनुसूची में प्रदान की गई है।

उसमें उल्लिखित उद्देश्य के लिए संविधान, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत नहीं।

प्रश्न संख्या 1 (बी): संविधान की पैरा 5 (1), पाँचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की शक्ति अधीनस्थों तक नहीं फैली हुई है।विधान, यह राज्य की संसद या विधानमंडल द्वारा संप्रभु कार्य में अधिनियमित एक अधिनियम के संबंध में है जिससे निपटा जा सकता है।

प्रश्न संख्या 1 (घ): भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ओवरराइड नहीं कर सकता है।अनुच्छेद 371 डी के तहत शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना। शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी किए गए इस तरह के आदेश के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए, न कि इसके टकराव में।

प्रश्न संख्या 2: G.O.Ms। सं. 3/2000 संविधान के तहत 100 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति नहीं है, बाहरी सीमा 50 प्रतिशत है जैसा कि इंद्र साहनी (ऊपर) में निर्दिष्ट किया गया है।

प्रश्न संख्या 3: विचाराधीन अधिसूचना को अनुच्छेद 16 (1) के तहत किए गए वर्गीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक बार अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किए जाने के बाद, अनुच्छेद 16 (1) के तहत ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (4) का उल्लंघन है।

प्रश्न संख्या 4: अधिसूचना में पात्रता की शर्तेंकट-ऑफ डेट यानी 26.1.1950 के साथ आरक्षण का लाभ उठाना अनुचित और मनमाना है।

विश्वास:

2000 के जी. ओ. सुश्री संख्या 3 को निरस्त करने की अगली कड़ी के रूप में, अनुमेय आरक्षण से अधिक नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं।

जीवित रहें और उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। हालाँकि, राज्य और अन्य उत्तरदाताओं की ओर से, यह आग्रह किया गया था कि नियुक्तियों को अलग नहीं किया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में, जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उन्हें दोषी नहीं कहा जा सकता है और वे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इसी तरह का जी. ओ. वर्ष 1986 में आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था।

राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ इस न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी, जिसे वर्ष 1998 में वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय से अपील वापस लेने के बाद, यह अपेक्षा की गई थी कि पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य इस तरह की अवैधता का सहारा नहीं लेगाएक बार फिर से 100% आरक्षण प्रदान करना। लेकिन इसके बजाय, इसने 2000 का जी. ओ. सुश्री संख्या 3 जारी किया, जो समान रूप से अस्वीकार्य था, भले ही ए. पी. आरक्षण और लोक सेवा नियुक्ति विनियमन अधिनियम, 1997 में संशोधन किया गया होता, उस स्थिति में भी 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। अपीलार्थियों द्वारा यह ठीक ही माना गया है कि राज्य फिर से दुस्साहस के माध्यम से उसी तरह की अवैध कवायद का सहारा ले सकता है जैसा कि पहले किया गया था। इस तरह के पदाधिकारी से इसकी कम से कम उम्मीद थी सरकार उपरोक्त तरीके से कार्य करेगी क्योंकि वे इंदिरा साहनी (उपरोक्त) और अन्य निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा

निर्धारित उक्ति से बंधे थे जिसमें कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार के पास 100% आरक्षण का सहारा लेने के लिए कोई तुकबंदी या कारण नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1986 में की गई अवैध कवायद को G.O.Ms जारी करके एक और असंवैधानिक प्रयास द्वारा संरक्षित करने की कोशिश की गई थी। 1986 के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2000 की संख्या 3, और अब उसके बाद 20 साल बीत चुके हैं। अजीबोगरीब परिस्थितियों में, हम बचाते हैंनियुक्तियाँ सशर्त रूप से कि पुनर्गठित राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भविष्य में इस तरह की कवायद का प्रयास नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं और आरक्षण की सीमा को पार करते हैं, तो 1986 से अब तक की गई नियुक्तियों में कोई बचत नहीं होगी। हम उत्तरदाताओं-राज्यों को भविष्य में आरक्षण की सीमा को पार नहीं करने का निर्देश देते हैं। तदनुसार आदेश दिया।

परिणामस्वरूप, हम अपीलों की अनुमति देते हैं, और अब तक की गई नियुक्तियों को उपरोक्त सवारों के साथ सशर्त रूप से सुरक्षित रखते हैं। अपील की लागत है पाँच लाख रुपये पर निर्धारित और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान